

Shodh Chetna

शोध चेतना

The International Reffered, Reviewed & Multifocal Research Journal

Year - 4

Jan. to March, 2018

Volume - 1

Patron

Prof. Ved Prakash Upadhyaya

Ex-chairman Punjab University, Chandigarh
U.G.C. Professor...
e-mail : drvedprakash.upadhyaya@gmail.com
Mob. : 9915746560, 8168875124

Dr. Uma Kant Mishra

Ex. Prof. & H.O.D. (Sanskrit-Academic)
T.R.S. College, Rewa

Dr. D. N. Tripathi

Associate Professor & HOD (Sanskrit)
Dharma Samaj P.G. College, Aligarh

Dr. Lokesh Singh Shekhawat

Ex. V.C. Jai Narain Vyas University
Jodhpur, Rajasthan

Chief Advisor

Ajay Srivastava

Librarian, State Central Library, Rewa

Founder & Chief Editor

Sushil Kumar Kushwaha

Honourary Editor

Dr. Sanjay Shankar Mishra

Professor and Head, Department of Commerce
Govt. T.R.S. College, Rewa (M.P.)

Editor

Dr. Surya Naryan Gautam

Associate Professor (Sanskrit), J.J.T. University
Jhunjhunu (Rajasthan)

Managing Editor

Harsh Kushwaha

Editorial Board

Dr. Rajan Suntoo

Asso. Prof. Social Studies & Humanities
University of Mauritius, Reduit-80837, Mauritius

Shri Narendra Shashtri

Ved Pravakta, Arya Samaj,
Singapore

Pran Kumar Kaul

Senior Lecturer
College of Business Studies (GCBS),
Royal University of Bhutan, Bhutan

Dr. (Mrs.) Aditya Sakia

Associate Professor & H.O.D.
M.D.K.G. College, Dibrugarh (Assam)

Dr. Piyush M. Maurya

Asst. Prof. & H.O.D. (Chemical Science)
Shri J.J.T. University, Jhunjhunu (Raj.)

Dr. C.L. Sharma

Ex. Principal, S.K. Govt. P.G. College
Seekar, Rajasthan

Dr. Umesh Kumar Mishra

Guest Faculty,
Government Science College,
Rewa (M.P.)

G.H. PUBLICATION

121, Shahrarabag, Allahabad-211 003

© *Publishers***Registration Fee : Rs. 1000.00****Membership Fee :
Single Copy Rs. 250.00
(Individual)****Annual (4 Issues) Rs. 1000.00
(Institution)****Life Member Fee Rs. 5000.00****Mode of Payment :***DD/Cheque/Cash should be
sent in favour of***G. H. PUBLICATION
Union Bank of India
Chowk, Allahabad-211 003
A/c. No. 394301010122432
IFSC-UBIN 0539431****SUBJECT EXPERT/
ADVISORY BOARD****Dr. Smt. Poonam Mishra**
(History)Govt. T.R.S. College, Rewa (M.P.)
e-mail : poonamtrs@gmail.com
Mob. : 9425847111**Dr. Rajendra Prasad Chaturvedi**Prof. & HOD (Sanskrit)
Govt. T.R.S. College, Rewa (M.P.)
e-mail : rajendrachaturvedi1960@gmail.com
Mob. : 9424638148**Dr. Dinesh Kumar Singh**(Botany)
Shri J.J.T. University, Jhunjhunu (Raj.)
e-mail : singhdk.singh955@gmail.com
9410060600**Mr. Vineet Kumar Gupta**(English)
Govt. Acharya Sanskrit College, Alwar (Raj.)
e-mail : vineetgupta1962@gmail.com
Mob. : 9460576302**Dr. Chandra Lekha Sharma**Member Rajasthan Sanskrit Academy
Prof. Philosophy
e-mail : dr_clsharma@rediffmail.com
Mob. : 8638148985

- The persons holding the posts of the Journal are not paid any salary or remuneration. The Journal's work is purely academic, non political, posts of Journal are honorary.
- The Journal will be regularly indexed and four issues will be released every year in (January to March) - 1, (Apr. to Jun.) - 2, (July to Sept.) - 3, (Oct. to Dec.) - 4

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक : सुशील कुमार कुशवाहा द्वारा 'शोध चेतना', जी.एच. पब्लिकेशन, 121 शहरारा बाग, इलाहाबाद-211 003 से प्रकाशित एवं श्री विष्णु आर्ट प्रेस, 332/257, चक जीरो रोड, इलाहाबाद-3 से मुद्रित।
प्रधान संपादक : सुशील कुमार कुशवाहा, (Ph.) 0532-2563028, (M) 9532481205, E-mail : ghpublication@gmail.com
website : www.shodhchetna.com

जनरल में प्रस्तुत विचार और तथ्य लेखक का है, जिसके विषय में प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक मंडल सहमत हो, आवश्यक नहीं। सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र इलाहाबाद रहेगा।

SHODH-CHETNA

शोध चेतना

*The International Referred & Reviewed
Multifocal Research Journal
Frequency - Quarterly*

We are providing a platform

For

The Publication of
Original Unpublished Research Paper,
Summary of Research Project,
Thesis and Book

For Guidelines & Membership Fee Authors/Researchers
can contact to Registered Office :

G. H. PUBLICATION

121, Shahrarabag, Allahabad-211 003

e-mail : ghpublication@gmail.com

website : www.shodhchetna.com

Ph. : 0532-2563028 (M) 09329225173

विशेष आवश्यक सूचना

आपको सूचित करते हुए हमें हर्ष की प्रतीति हो रही है कि
हमारी त्रैमासिक, अन्तर्राष्ट्रीय पंजीकृत पत्रिका

“शोध-चेतना”

में प्रकाशित माननीय लेखकों के शोध-पत्र विभिन्न विश्वविद्यालयों
(केन्द्रीय/राज्य), महाविद्यालयों (शासकीय/अशासकीय),
शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य बौद्धिक मठों, आश्रमों/शोध-संस्थानों
के पुस्तकालयों में अनवरत् रूप से भेजी जा रही है जिससे,

इन शोध दृष्टियों से

‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’

का

उद्देश्य पूर्ण हो सके।

...प्रकाशक

आज ही आदेश करें।

अप्रकाशित मौलिक शोध-पत्र, शोध प्रबन्ध, पुस्तक समीक्षा एवं
पुस्तकों के प्रकाशन हेतु सम्पर्क करें :-

जी.एच. पब्लिकेशन

121, शहराराबाग, इलाहाबाद-211 003

e-mail : ghpublication@gmail.com

Ph. : 0532-2563028 (M) 09329225173

अनुक्रम

1. **MANAGEMENT AND DISPOSAL OF MUNICIPAL SOLID : BIO-MEDICAL WASTE IN REWA, MADHYA PRADESH** 7
Dr. Akhilesh Singh Baghel
Dr. Vijay Kumar Tripathi
2. **Knowledge Management and Human Resource Management in Academic Libraries** 12
Suraj Kumar Dubey
Mahendra Pratap Singh
3. **Tony Morrison' beloved : Athematic and Technical Study** 16
Preeti Vishwakarma
Dr. Shalini Dubey
4. **Margaret Atwood's The Edible Woman : A Feministic Approach** 20
Anadi Chaturvedi
Dr. Shalini Dubey
5. **IMPACT OF SWACHH BHARAT MISSION ON RURAL INDIA** 23
Smt. Laxmi Sitani
Dr. Asha Gupta
6. **बौद्ध धर्म यात्रा : फाहियान की भारत यात्रा के आलोक में** 26
अजय कुमार, डॉ. अजय सिंह आर्य
7. **“पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों की बदलती भूमिका”** 31
श्री पुष्पेन्द्र सिंह, डॉ. नवीन कुमार
8. **परिवर्तित पर्यावरण का मानव पर प्रभाव** 36
डॉ. सारिका सिंह
9. **भगवान् का निर्गुण-निराकार, सगुण-साकार स्वरूप** 44
डॉ. संध्या पाण्डेय
10. **प्राचीन भारत में दण्ड का स्वरूप** 48
डॉ. गंगा मिश्रा
11. **मुगलकालीन शासन व्यवस्था का स्वरूप** 51
डॉ. (श्रीमती) प्रवीण पाण्डेय, डॉ. अजय शंकर शुक्ल

- | | |
|--|-----|
| 12. महिलाओं की सुरक्षा में मध्यप्रदेश सरकार के निर्णायक कदम
डॉ. अखिलेश कुमार गुप्ता | 57 |
| 13. “बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में कलाओं का स्वरूप
प्रमोद कुमार गुप्ता | 62 |
| 14. प्रेमोपासना सर्वस्व प्रदाता
अधोक्षजानन्द ओझा | 66 |
| 15. भर्तृहरि के शतकों में सांस्कृतिक एवं मानवीय चेतना
बाला प्रसाद विश्वकर्मा, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी | 68 |
| 16. “श्री अमरचन्द्र सूरि कृत बालभारतम् का समीक्षात्मक अध्ययन”
पूजा वर्मा, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी | 73 |
| 17. “ऋग्वेद में राजनीति विज्ञान : एक समीक्षात्मक अध्ययन”
प्राची गौतम, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी | 77 |
| 18. मध्यप्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन एवं औषधीय गुण
डॉ. एस.पी. पाण्डेय | 81 |
| 19. पाठकों द्वारा पुस्तकालय के उपयोग न किये जाने का विश्लेषणात्मक अध्ययन
कृष्ण कुमार सिंह | 85 |
| 20. किरातार्जुनीयम् में काव्यशास्त्रीय तत्त्व
डॉ. महेन्द्र कुमार मिश्र | 93 |
| 21. पुस्तक समीक्षा
‘बुद्ध ज्ञान रसायन’ : एक विहंगम दृष्टि
डॉ. साहबदीन मौर्य | 100 |
| 22. मिल बाँचे बघेली हिन्दी : एक सार्थक प्रयास
डॉ. चन्द्रिका प्रसाद ‘चन्द्र’ | 103 |
| 23. The Role of Women in Agriculture
Shiv Prasad Vishwakarma, Dr. Sheetla Prasad Verma | 104 |
| 24. Study of Food Additives
Dr. Sheetla Prasad Verma | 109 |
| 25. कानपुर जनपद में स्थित भीतरगाँव मन्दिर की स्थापत्य-कला
डॉ. राजेश कुमार | 115 |
| 26. पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का विश्लेषण
डॉ. जे.पी. सिंह | 121 |
| 27. Effects of industrial effluents on the soil profile of
Talanagri area of Aligarh District
Dileep Gupta | 124 |





MANAGEMENT AND DISPOSAL OF MUNICIPAL SOLID : BIO-MEDICAL WASTE IN REWA, MADHYA PRADESH

- Dr. Akhilesh Singh Baghel*
- Dr. Vijay Kumar Tripathi**

ABSTRACT

Proper waste Management is a major problem & a fundamental key to environmental sustainability. In present study, the municipal solid & Bio-Medical waste management & disposal methods in Rewa is presented. The characteristics and composition of these waste and problems related with its management are also investigated. A well-framed questionnaires was used to obtain primary data from a pick of people in the areas that shows the highest accumulation of heaps of wastes in recognized dumping sites and open spaces on the major streets with in the city. The result indicates that waste dumping sites on the major streets and several open spaces are not regularly attended and the method of waste categorization are also not properly applied and most of the waste is scattered all over the place attracting animal and insects. The result also shows that the composition of waste in Rewa is heterogeneous because it contains both Bio-degradable and non Bio-degradable materials such as plastics, polythene, hospital waste, among others. The study strongly recommend government consideration in waste management and need of proper recycling of waste to useful products.

Key words : Municipal solid waste, bio-medical waste, waste management, environment Rewa.

Introduction

The problem of municipal solid waste and bio-medical waste in the industrialized countries has been the cause of growing concern becoming one of the main areas of concern & of the environmental policy debate.

In Rewa, the problem of municipal solid & Bio-Medical waste has been a regular challenge over the years with successive efforts of authorities applying different approaches in a bid to solve the problem however, effective handling has not been embraced by the local authority as a way of leaving there waste to decay in open.

* School of Environmental Biology, A.P.S. University, Rewa (M.P.)

** School of Environmental Biology, A.P.S. University, Rewa (M.P.)

A number of scholars have reported regarding waste management in our country (S. KUMAR-2017) reviews in his paper the challenges and opportunities associated with improving waste management in India.

The negative health effect on the waste pickers has been highlighted by management research groups (Rag MR et al Int Arh occup Environ Health, 2017).

Rewa Just like most cities in India generates several tons of municipal solid waste (MSW) which are left uncollected at the designated and in the undesignated waste dumping sites each day. These unattended heaps of waste leads to blocking drains and creating feeding grounds for pests that spread diseases. The solid waste in most cases are blown around by winds or through rainwater making the environment filthy and leading to many other forms of pollution as

air pollution arising from the decay of these waste to emit poisonous gases to the environment. Planning and Management of waste in cities like Rewa is such a big task due to unchecked growth of clusters and development of unplanned colonies all over the city. Lack of awareness on the dangers of Unsustainable Waste Management practices, illiteracy and improper government support are the major factors of this problem rising high.

Municipal Solid Waste is generated by sources such as individuals, industries, businesses, markets and hospitals. This waste normally contains paper, plastics, glass, metals and various other household items. Urban areas like Rewa generates about 2.0 Kg. of solid waste per person per day compared with an average of 0.5 Kg. per person per day in most industrialized countries.

Table No. 1
Composition of Municipal Solid Waste in Rewa

S.No.	Bio-degradable	Non- Bio-degradable
1	Food Scraps	Polythene-bags
2.	Ash	Rubber Items
3.	Vegetables	Plastics
4.	Wood	Bottles
5.	Leaves	Can
6.	Used Cardboard boxes	e-waste
7.	Used clothes	Worn-out tyers
8.	Paper Items	Tile debries

Source : Field Work 2017

MATERIALAND METHODS

1. Site Description : In this study oral Interviews from selected candidates from certain locations were performed and primary

information were gathered regarding source of data.

(a) Sampling preparation or categorization of wastes : The various types of solid wastes are divided into different categories, and

collected in different collection centers or containers, as to help in segregation of degradable and non-degradable waste. The correct classification for collection of different waste items in different resource centre, is to be done by the various collection centers, and it is to ensure correct disposal of different waste items in the containers. such a system, eventually help in separately collecting the degradable and non-degradable waste items.


(b) Analytical Methods : MS Excel was used to analyse the data shown in Table 2 . The composition of MSW in Rewa is presented in Table 1.

RESULTS AND DISCUSSIONS :

Analysis of categorized MSW : Present waste management in Rewa town has severe problems. Very high rate of urban growth in a major region for the increased solid waste management problem.

Table No. 2
Physical Analysis and characteristics of Municipal Solid Waste in Rewa Town

Types of Area	Paper (Kg.)	Rubber (Kg.)	Plastic (Kg.)	Metals (Kg.)	Glass (Kg.)	Sand & fine earth (Kg.)	Compostable (Kg.)	Others(Kg.)
1. Residential Area	68213.52	9025.12	16802.59	8777.47	10399.14	1078376.08	1339715.34	408116.00
1. Commercial Area	10999.18	1431.27	2523.55	1355.94	1904.38	142901.00	247191.00	49982.00
1. Market Area	2025.71	230.47	406.35	218.34	159.25	26621.00	43063.70	12989.00
1. Industrial Area	3078.00	357.50	904.50	486.00	805.54	58455.00	66480.18	26555.00
Total	84315.41	11024.36	20637.00	108.38	13271.00	1306353.00	16954.13	497681.00
Percentage %	2.31	0.30	0.56	0.29	0.36	35.89	46.58	13.67



It has been estimated that about 3636.53 MT of municipal solid waste is generated in Rewa town during Year 2017, of which 2940 Mt is generated from residential area, 458.28 MT from commercial area 85.71 MT from market area and 157.08 MT from Industrial area.

Residential areas are further studied under three income groups' namely (a) High-Income group or HIG (bb) Middle Income group or MIG, (c) Low Income Group (LIG). A high of 1246.17 MT of MSW is generated by middle income group in residential areas is followed by lower income group & high income group contributing 1003.25 MT & 687 MT respectively (Table. 2).

There are two major components of MSW i.e. compostable matter, which constituted 46.58% (1695.41 MT) and sand & fine earth 35.89% (1306.35 MT) of the total MSW. Remaining small amount is contributed by other solid waste like paper 2.31 MT (84.31 MT), followed by plastic 0.56% (20.63 MT), Glass 0.36% (13.27 MT), Rubber 0.30% (11.02 MT), Metals 0.29% (10.83MT) & others 13.67% (497.68 MT).

To total generation of MSW during Year 2017 is about 3804.58 MT which is a bit higher than Jan. to March 2017. The contribution of residential area in this amount is 3004 MT. followed by commercial area (5.18 MT) and market area (86 MT) and Industrial area (166 MT) respectively.

RECOMMENDATIONS

The municipal authority has taken strong steps for collection of household waste and created really well established approach for it as a result Rewa has secured 38th place in India out of 434 cities surveyed for their cleanliness.

However since the situation has not improved as expected. More work still need to be done and following steps are recommended for better results.

1. Municipal corporation of Rewa do have a mobile app for online complains but their execution is not that satisfactory.

2. Though the garbage is collected from certain collection points but it is not done thoroughly leaving a lot of garbage scattered thus it should be more proper.

3. Municipal authority should embark on widespread awareness campaign on dangers of unsustainable waste management to the environment and general public.

4. Most of the wards are filthy and drains are choked leading to exposure of unwanted diseases. So the corporation must pay proper attention to the cleanliness of these.

5. Recycling process should be properly introduced.

6. Govt. should invest in waste to energy process.

7. Municipal authority of Rewa should promote involvement of non-government organizations to aware residents and boost financial areas.

CONCLUSION

Management and disposal of solid waste in Rewa has been investigated and findings show that the Municipal Solid Waste are mostly of the biodegradable and non-biodegradable materials. The study further revealed that municipal corporation responsible for collection disposal of waste is not properly performing their duties and they also lack to categorize the difference between MSW and Biomedical waste. The major portion of waste from Residential sectors and recycling are not currently practiced.

The consequences of poor waste management are environmental degradation, road encroachment, air pollution, residential land encroachment and poor health factors. The findings and suggestions presented in this work will serve as useful guide for improved waste management services within Rewa city.

ACKNOWLEDGEMENT

The author strongly acknowledges the contribution of some staff of Municipal Corporation and our indebted gratitude to late Dr. V.S. Sai, Professor, school of Environmental Biology, APS University Rewa M.P. We are also thankful to local residents who supported us throughout the study.

References :

Agunwamba, J.C., Egbuniwe, N., (2011). Least cost management of solid waste collection, Journal of Solid Waste Technology and Management, Vol-29, No-3.

Bingemer, and H.G., the production of methane from solid wastes. Journal of geophysical research 92 (D2).

C. Mazzacchera, Costi dei Sistemi di Smaltimento di Smaltimento dei Rifiuti (2006) Solidi Urbani, Economia Pubblica.

CPCB (Central Pollution Control Board). (2011). Management of municipal solid waste, 3rd International Symposium.

ERRA, Reference workshop 93, Acts.

Mondal. NK, et al, (2017) safe health work,.

OECD, OECD Environmental Data Compendium, Paris, 1991.

OECD, The State of Environment, Paris, 1985.

OECD, The State of the Environment, Paris, 1991.

Ray MR., et al Int. arch occup Environ Health, 2004.

S. Kumar (2017) Challenges and opportunities associated with Waste Management in India. Royal Society open Science.





KNOWLEDGE MANAGEMENT AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN ACADEMIC LIBRARIES

- Suraj Kumar Dubey*
□ Mahendra Pratap Singh**

ABSTRACT

The role of library in nation building is very important science it is the store house of knowledge. It is a powerful tool for all development. Library collects preserves and organizes recorded form its store house of knowledge. Library is an important social institution serving the society in several way Its functions include among other educational informative economic industrial and cultural aspect it serves as the center for lifelong self education for each and every member of the society. Knowledge has been widely recognized as a primarily commodity in the Current Knowledge based economy.

The most important resource in the knowledge economy system is the talent of the personal. The libraries should attach important to vocational Training Lifelong education of library staff to raise their scientific knowledge.

Keywords: Human Resource management, Academic Libraries, Knowledge management.

Introduction

Human resource (HR) is a product of the human relation movement of the early 20th century, when researchers began documenting ways of creating business value through the strategic management of the workforce. Human Resource Management is related to day to day activities such as the one discus in the Academic Libraries. There are, however some things that lie at the periphery of the HRM function that

none the less very important to the Management of the Human Resources Management in Academic Libraries.

The term “Human Resource Management” and “Human Resource” have largely replaced the term ‘personal Management’ as a description of the process involved in managing people in organization. HRM deals with the design of formal systems in an organization to ensure the effective and efficient use of human talent to

* Librarian, Shri Megh Singh Degree College, Agra, Email : surajdubey306@gmail.com

** Librarian, Om Degree College, Sikohabad, Firozabad, Email Id-mp8927@gmail.com

accomplish organizational goals. In an organization, the management of human resources means that they must be recruited, compensated, trained, and developed.

Knowledge Management

Knowledge is the full utilization of information and data, couples with potential of people's skills, competencies. Idea, Intuition, commitment and motivation. Knowledge management is the collection of processes that govern the creation dissemination, and utilization of knowledge. In one form or another, KM has been around for a very long time. Practitioners have included philosophers, priests, teachers, politicians, scribes, Libraries, etc.

KM is the management of the organization towards the continuous renewal of the organizational knowledge-based this means e.g. Creation of supportive organizational structures, facilitation of organizational member, putting IT-instrument with emphasis on team work and diffusion of knowledge (as e.g. Groupware) into place.

Need of Knowledge Management

The underlying factors (Sivasubramanian.2004) have much relevance to create KM as they help in the following;

1. To enhance users satisfaction.
2. To interact and retain new information seeker.
3. To increase public faith in the organization, to Stevie, meet the manage needs of user community.
4. To be able to justify the spending of funds allocated to the organization / library and information caster by the parent body.
5. Recruiting the best people for job.
6. Exposing professionals to the complexity

of real problems to stimulate and cultivate professionals knows how to retain professionals to react fast in problem solving techniques.

7. Boost professional problem solving abilities by capturing knowledge in system and software.

8. Overcome professional's reluctance to share information.

Role of Academic Libraries in Knowledge management

Libraries represent a major storehouse of human knowledge. Libraries act as the knowledge manager that disseminates information and knowledge in optimum quality and quantities to any information seeking community.

Challenges of Knowledge Management

Intellectual Capital: Managing of Tacit Knowledge is not easy. Because, Difficult to assures the human mind. It may not be easy to document tacit knowledge.

Culture: Because of narrow mindedness of insecurity majority of people don't want to share their Knowledge. And they are away from knowledge sharing.

Obsolescence: There are types of information which gets obsolete as assoc as it is generated egg. Stock market information.

Overloading: Knowledge gets accumulated; if not removed it leads overload and difficult to identify the required information.

Technology: Due to rapid changes in technology it is difficult to communicate the knowledge to the user because technology helps knowledge management to a large extent

Structure: Structure of KM should show

overall economy. Whether to follow centralized or decentralized system.

Role of HRM in KM

As the discipline, knowledge management promotes an integrated approach to identifying, capturing, retrieving, sharing, and evaluating an enterprise's information assets. These information assets may include databases, documents, policies, and procedures as well as tacit expertise and experience resident in individual workers. The resource based view of firm suggests that organization will need to be able combine distinctive, sustainable and superior assets, including sources of knowledge and information, with complementary competencies in leadership and human resource management and development to fully realize the value of their knowledge. Issues for HRM include how organization should be structured to promote knowledge creation and mobilization, and how to develop a culture and set of HRM policies and practices that harness knowledge and leverage it to meet strategic objectives.

The Importance of KM and its implications for HRM

Implications of KM for HR Development- As KM involves recognizing, documenting and distributing knowledge to improve organizational performance, it is of particular signification performance, it is of particular significance to HRD in training needs analysis and the planning of training to improve performance and deliver strategic result. KM Challenges HR over intellectual property, professional identity and unit boundaries; KM perspectives move HRD's goal away from developing individual capacity to creating, nurturing and renewing organizational resources and interactions. Instead of devising training courses, HRD

practitioners may need to identify organized elements that learners can reference as needed depending on the particular challenges faced.

Human Resource Management in Academic Library

Hiring Library staff is just the first step. The new staff arrives at the library for that first day of work immediately is a need for orientation and training this new staff. There has to be compensation and benefits package in academic libraries for him or her. And for as long as the staff stays in the position, there are HR functions that must be performed. In this era of rapid change, there are always demands for training and staff development. Each year staff needs to have a performance appraisal and consideration for a salary adjustment. Sometimes staff has to be disciplined or wishes to file a grievance. Occasionally staff needs to be terminated because of poor job performance; all of these activities and many are an integral part of the HR function from the initial day on the job until the staff leaves the libraries.

Academic Library Human Resource Framework for Staffing

As described in the previous section, academic libraries are formed and jobs are created when the overall task of the libraries is too large for any individual. Libraries like all organization are network of infracting components. Job is the individual building block upon which the library is built. Although the terms job, position and occupation are often used interchangeably each has a distinct definition in human resource management terminology. A position is a collection of tasks and responsibility that constitute the total work assignment of one person.

A basic rule to HRM is so too much the individual to the job. Following that principle

staff that does not want autonomy and empowerment should not be placed in position where they will need to work without supervision and direction. None the less the talents of great numbers of staff are underutilized at the present time, and it benefits both the worker and the organization to create job that allow staff to work up to their full potential. If libraries want their staff to be innovative and responsible they must provide jobs that give staff an opportunity to develop these attributes.

Hackman and Oldham have proposed a model of job enrichment that identifies five core job dimensions that are essential to job enrichment. These dimensions are:

* Skill variety- The extent to which a job required a number of different activities using a number of skills and talents.

* Task identity – The extent to which a job requires completing a whole piece of work from beginning to end

* Task significance – The staff view of the importance of the job.

* Autonomy – The extent to which employees have the freedom to plan schedule, and carry out their jobs as desired.

* Feedback – The extent to which a job allow the staff to have information about the effectiveness of their performance.

Conclusion

In present scenario knowledge management is a powerful tool for promoting innovation, realizing and re-engineering the various aspects of day-to-day activities of an organization. Knowledge is growing very fast in every aspect of life and it is becoming very difficult for knowledge professionals to capture and disseminate the available information to the deserving person without using the emerging technologies. HRM is a knowledge sharing. HRM must integrate effective knowledge sharing

and usage into daily life. That is, knowledge sharing must be expected, recognized, and rewarded. For many individuals and organizations, this reverses the conventional relationship between knowledge and power.

References

1. Alavi, Maryam; Leinder, Dorothy E. (1999). "Knowledge Management systems: issues, challenges, and benefits" (<http://portal.acm.org/citation.cfm>). *Communication of the AIS* 1(2).
2. Kumar, A.K. (2010). Knowledge Management and new generation of Libraries information Services: a concept. In *International Journal of library and Information Science* 1 (2) available online @ <http://www.academicjournals.org/ijlis>, Accessed Aug 7, 2010.
3. Taylor, R.M. (1999). Steps on Path of Knowledge. In Miline, P. (2000). *Information professionals and the knowledge aware, intelligent organization*, *Australian Library Journal* 49(2): 139-151.
4. Sirurmah, S.S. Knowledge management's new paradigm for electronic document management systems in corporate libraries. In *IASLIC (24 th) All India conference held at Dehradun during 15-18 December 2003*. P.57-64
5. Shanhong, Tang "Knowledge Management in Libraries in the 21 st Century" 66th EFLA Council and General Conference. Jerusalem, 13-18 August
6. www.kmbook.com
7. Aggarwal, D.S. (1985). *Lectures on Universe of knowledge*. New Delhi: Academic Publication.
8. Batthini, Ganapathi, Yagnik, Shailesh, Kumar T.S. and Parvez, Akhtar. (2013). *Management Libraries Networks*. New Delhi: *International Conference on Entrepreneurial Approaches to Librarianship*. pp. 254-255.





TONY MORRISON' BELOVED : ATHEMATIC AND TECHNICAL STUDY

□ Preeti Vishwakarma*
□ Dr. Shalini Dubey**

ABSTRACT

Tony Morrison is a famous Afro-American writer, her endeavor paid fairly when she was named the winner of the 1993 Nobel Prize for Literature. Tony Morrison' works constantly focus on the life of the black and their histories. Being a black woman she suffered throughout her life, she observed the atrocities and racial discrimination against black people very minutely. Toni Morrison's Pulitzer Prize-winning novel *Beloved* was published in 1987. In this novel, Morrison has reviled the pathetic history of black slavery, story of the novel moves around the black's social, economic, political, physical, personal, communal and spiritual aspects. One can get the actual vision of the black culture and their reality by seeing the narrative technique of Toni Morrison. In this sense the novel is filled with the characteristic of black narratives.

Keywords: Afro-American, Negro Community, Paranormal-Phenomena, Stream of Consciousness, Biblical allusions.

Introduction

Toni Morrison's Pulitzer Prize-winning novel *Beloved* was published in 1987. In this novel, Morrison has reviled the pathetic history of black slavery. The unconventional historicity of *Beloved* is directly linked to Morrison' improvisational exploration of alternative concepts and forms for reconstructing Afro-American history. In this novel the characters find it difficult to leave their traumatizing pasts behind, and therefore must go through the pain of

remembering the trauma of their lives in Slavery. In short substance, the story of *Beloved*, begins with a baby ghost nagging at Sethe's conscience in an annoying way. She has used cultural haunting in the form of a ghost to externalize the protagonist's (Sethe's) state of mind, to reconstruct an erased history of slavery and to bring reconciliation between the past and present consciousness, so that she may be freed to look forward to the future. Sethe's feels the impact of slavery to its fullest extent. Slavery pushes

* Research Scholar, Govt. T.R.S. College, Rewa (M.P.)

** Prof. & H.O.D. (English), Govt. T.R.S. College, Rewa (M.P.)

her to kill her baby daughter. She feels that it is the only way to protect her beloved daughter from the pain and suffering, she would endure if she became a slave.

“Black people lost their subjectivity in the process of colonialism. They who has immediate experience with the process is reluctant to revisit memories of the past because it is painful to remember the past permeated with racial violence, both physical and psychological. *Beloved* is a novel in remembering the “[d]isremembered an unaccountant for” (Note 1) For the former slaves in the novel, the past is a burden that they desperately and willfully try to forget, which is to borrow from Gandhi, “the repression of colonial memories.” (Note 2)

Major Themes of the Novel: The primary themes of *Beloved* are the issue of race and effects of slavery. Much of the novel focuses on a community of ex-slaves and how they manage to get on track with their lives. The novel questions, through the eyes of a schoolteacher, what the difference is between a man and an animal. In its vivid portrayal of the Negro community, complete with their desires and troubles, the novel shows that a colored man is like any other man. The novel also addresses the concern of whether it is better to endure the injustices of an unfeeling people or to fight against them.

One of the main themes of “*Beloved*” is the problem of race and effects of slavery. Much of the novel focuses on a community of ex-slaves and how they manage to get back to normal with their lives. The novel questions, through the eyes of a teacher, what the difference is between a man and an animal. In its realistic description of the Negro community, complete with their hopes and problems, the novel shows that a

colored man is like any other man. The novel also asks whether it is better to suffer the injustices of a cruel people or to fight against them.

The novel also asks what it means to be free. Was Baby Suggs truly free, when?

The institution of slavery destroyed much of the heritage of the Africans brought to the Americas; the novel partially recounts the creation of a new people and culture, a people displaced and forced to forge a new identity in the face of brutality and dehumanization. (Note.3)

Were White men allowed to barge into her yard at any time? Was Paul D free, though he wasn't allowed to love whatever he wanted to love? Were any of the Negroes truly free, who had to wait at the back of the supermarket for the whites to be served before they could get their groceries? Freedom, Morrison points out, is more than a matter of not belonging to a single master.

The concept of a family also pervades the novel. Most of the slaves have been torn apart from their families at an early age, and there is little hope in discovering what is left of their families. The consequences of this type of separation can be seen in Sethe, who is possessive of her children, and Paul D, who is determined not to love anything too much.

“*Beloved*” explores the physical, emotional, and spiritual devastation wrought by slavery, a devastation that continues to haunt those characters who are former slaves even in freedom. The most dangerous of slavery’s effects is its negative impact on the former slaves’ senses of self, and the novel contains multiple examples of self-alienation. Paul D. for instance, is so alienated from himself that at one point he cannot tell whether the screaming he hears is his

own or someone else's. Slaves were told they were subhuman and were traded as commodities whose worth could be expressed in dollars. Consequently, Paul D is very insecure about whether or not he could possibly be a real man, and he frequently wonders about his value as a person. As a result of their inability to believe in their own existences, both Baby Suggs and Paul D become depressed and tired. Baby Suggs's fatigue is spiritual, while Paul D's is emotional.

Morrison enhances the world of *Beloved* by investing it with a supernatural dimension. While it is possible to interpret the book's paranormal phenomena within a realist framework, many events in the novel (most notably, the presence of a ghost) push the limits of ordinary understanding. Moreover, the characters in *Beloved* do not hesitate to believe in the supernatural status of these events. For them, poltergeists, premonitions, and hallucinations are ways of understanding the significance of the world around them. Such occurrences stand in marked contrast to schoolteacher's perverse hyper-"scientific" and empirical studies.

Techniques: In *Beloved*, Toni Morrison uses several literary techniques that combine modernist and post-modernist innovations. The novel is filled with stream-of-consciousness narration, where the author goes into the mind of her characters and reveals their free association of thought. It attempts to capture the way people think as much as what they think. As a result, the narrative is not always logically ordered or chronological, for a present moment may trigger unrelated thoughts or past memories. A second major technique Morrison employs is shifting points of view. Instead of choosing one

main character whose point of view is followed throughout the novel, Morrison shifts from character to character, thereby ensuring that the reader sees the stories of the past from several perspectives. A third technique employed in the novel is the use of magical realism, where fantastic events are presented as if they were real; this is particularly obvious in the way Morrison handles the ghosts in the novel.

Beloved is both historical and gothic fiction, where fact and fable are combined. Morrison bases the central event of the novel on a historical account of a slave woman named Margaret Garner. Like Morrison's character, Sethe, Margaret Garner escaped slavery with her four children and later, when her slaveholder attempted to take them back to slavery, she killed one of the children. Morrison also sets the entire novel in a historical frame, referencing many actual events. There are repeated references to the Middle Passage, a designation for the ocean voyage of slaves from Africa. During the passage, slavers crowded the Africans into the holds of ships and chained them together by twos, at their hands and feet. They had no room for movement and no chance for exercise. Smallpox epidemics were common. Approximately one half of the slaves died during their journey or became permanently debilitated. Many committed suicide by jumping into the sea. The African trade was officially closed in 1808 at which time the domestic trade became highly profitable for European Americans.

The structure of the work is compounded with an ever-switching point of view. Every character, even the dead ones and half-alive ones, tell parts of the tale. At one point, Paul D and Sethe exchange flashbacks that finally meld into one whole (chapter 2). At another, the point

of view switches off between four white people, who unreservedly show the biased point of view of some men who view slaves as tamed animals. The diversity of the point of view creates a tapestry of people who interact-individuals joined by past or present into a community.

Morrison's use of both verse and stream of consciousness writing where necessary is unsurpassed and not often matched in literature. Strict narrative, she realizes, is not enough to capture the feelings of a people, and she manages to capture them in some of the most well-known passages of modern literature.

Finally, her use of objective correlativism should be noted. The use of Biblical allusions and much ambiguous symbolism creates an atmosphere riddled with force and drama. *Beloved* is meant to be more than a story-it is a history, and it is a life.

Morrison calls this process, "rememory, allows the past to persevere in the present and haunt those living in one's life. Sethe explains the process to her daughter Denver by saying, "It's never going away. The picture is still there; it will happen again; it will be there, waiting for you." This quote foreshadows the emergence of *Beloved*, who is thought to be the embodied spirit of the daughter that Sethe had murdered. By keeping her characters chained to their painful pasts, Morrison demonstrates the persistence of traumatic events in order to remind readers that slavery's the emotional wounds caused by slavery cannot be forgotten.

Conclusion:

Toni Morrison's *Beloved* raises the realistic vision of different cultures regarding the cultural positions, their identity, political, economic, social as well as spiritual aspects of the black culture.

Morrison's motive is to reconstruct Afro-American slave history and culture from the slaves' subjective outlook, and to speak for the black people whose stories are censored or silenced. Being a woman she portrayed the feeling of womanhood clutched in the shackles of slavery. She also depicted tormented desires of a mother who kills her own child to keep it away from the tsunami of slavery. *Beloved* is gothic novel, containing savagery and soul-stirring elements. *Ghost of Beloved* represents the sufferings caused by slavery which haunts Sethe even after her freedom from slavery. The novel effectively communicates the barbarity and bestiality that were cropped up by slavery.

Reference:

1. Aloria, dean No crystal stair; vision of race and sex in black women fiction; New York, Pilgrim Press-1984.
2. Morrison, Toni. *Beloved*. London; Vintage books; 2005.
3. Wood, Michael. *Children of Silence*; New York; Columbia University Press- 1998.
4. Note 1., Morrison, Toni. *Beloved*. London; Vintage books; 2005p.274
5. Note 2. Leela Gandhi. (1998). *Postcolonial Theory : A Critical Introduction*. New York: Columbia University Press, p.4
6. Note.3 Morrison, Toni. *Beloved*. London; Vintage books; 2005.p23





MARGARET ATWOOD'S THE EDIBLE WOMAN: A FEMINISTIC APPROACH

- Anadi Chaturvedi*
- Dr. Shalini Dubey**

ABSTRACT

“The Edible woman” is M. Atwood’s novel about Canada, about the Canadian reality of society, which “eats” every individual. The novel is the first work of Atwood with noticeable characteristic features of her creative style in general: in the center is a female perspective on contemporary problems, among which the most important and interesting for the writer was the problem of the relationship of nature and civilization, a detrimental effect of civilization on human and his life in the society, the problem of relations between men and women, the motif of sacrifice and many others. However, in this novel the most noticeable are features of the influence of feminist ideas of the writer. “The edible woman” is the first, but one of the best novels of M. Atwood.

Key word : Margaret Edible Woman, Feministic Approach

Introduction

The Edible woman appeared in 1969, four years after it was written and just in time to coincident with the rise of feminism in North America. The novel helped to establish Margaret Atwood as a prose writer of major significance. The Edible woman is a forerunner of much of the feminist literature that would follow the theme of woman in search of individual identity and worthwhile meaning in her life. The work is divided into three distinct sections, separated by the literary device of alternating narrative point of view. Although the narrator does not change, the voice changes as her

perspective of herself alters. Section 1 employs first-person, though unreliable, narration, in section 2 the narrator refers to herself in third person as she essentially loses touch with who she is, and the third section returns to first person as the narrator reclaims her identity. At the time of its release, the novel was a fresh approach to the presentation of women characters in fiction, an almost surreal type of feminist black humour.

The Edible woman: Themes and fictional technique

The main idea, or main theme, of Margaret Atwood's novel The Edible Woman is that social

* M.A. English, Department of English, Govt. T.R.S. College Rewa (M.P.)

** Prof. & H.O.D. (English), Govt. T.R.S. College, Rewa (M.P.)

expectations are seldom in tandem with our freedom of choice. As a result, the clash between what we want to be versus what social constructs nearly guide us to become will render us unable to separate what is real and what is a mere paradigm.

The novel, itself, was written during the strongest part of the Canadian Woman's Liberation Movement. Although there is no mention of such movement in the novel at all, Marian is an extract of the times, wondering exactly what is her role within a society that is changing as fast as she is.

Margaret Atwood's concern in *The Edible Woman*, is the problem of the woman who is unable to accept the roles provided for her by a male-dominated society. Marian is not consciously a rebel, nor does she think of herself as abnormal in her hopes and expectations. Her job, her way of living, and her friends are all ordinary. She has no conscious belief that her experiences and her college education had prepared her for something more in life, and she does not find Peter in any way objectionable. If he can be demanding, he is also reliable, potentially successful, everything which she thinks she ought to want. Marian is, however, unable to take the next logical step in the life for which society has prepared her. Her inability to eat is the result of her inability, literally, to stomach the kind of life her family and friends expect her to live.

Atwood does not provide alternative possibilities. At the end of the novel, there is no suggestion of what Marian will do next or what kind of life she may begin to lead. The important question for Atwood is always whether her protagonists can assert their individuality and begin the process of discovering who they are. *The Edible Woman* is more rooted in the processes of everyday living and less allegorical

than is *Surfacing*, but the central concern is the same: Will the protagonist allow her job, her family, and her friends to dictate what she will be?

Atwood is pessimistic about social change. Nothing in her novels suggests that society is recognizing the need of women for self-realization, although her novels are clear demands for such change. At the same time, her protagonist does come to an intuitive understanding of herself and of her own needs. Marian MacAlpin survives her trials, and the novel concludes with her assertion of her own personality.

Although the story is set within the time frame of the free-love 1960's, when women were beginning to discover themselves as individuals, the protagonist, Marian MacAlpin, seems wedged in by the values and myths of the generation that preceded her. Consequently, it is her adopted belief that in order for a woman, even an educated woman, to attain full identity, she must be defined by association with a successful man. In acquiescence to this code, Marian becomes involved with and subsequently engaged to Peter, an attractive young up-and-comer who expects her to act and react only in prescribed, predictable, and, above all, sensible ways. *The Edible Woman*, the premier work of fiction by noted Canadian poet Margaret Atwood, is a forerunner of much of the feminist literature that would follow the theme of woman in search of individual identity and worthwhile meaning in her life. The work is divided into three distinct sections, separated by the literary device of alternating narrative point of view. Although the narrator does not change, the voice changes as her perspective of herself alters. Section 1 employs first-person, though unreliable, narration, in section 2 the narrator refers to herself in third person as she essentially loses

touch with who she is, and the third section returns to first person as the narrator reclaims her identity. At the time of its release, the novel was a fresh approach to the presentation of women characters in fiction, an almost surreal type of feminist black humour.

When it comes to the ways postmodern theory can be applied to the novels of Margaret Atwood, the focus drifts to the notion of historiographic metafiction. This literary device was defined by Hutcheon and it has become one of the main pillars of literary postmodernism. This approach mirrors the contradictions typical of the movement. It uses history in order to create a realistic background which then subverts by means of metafiction. Atwood resorts to using historiographic metafiction in order to absorb the reader into the story but then exposes her own constructions as fiction. Her novel *The Edible Woman* is thought to be remarkable examples of this tool at work.

In the essay, "Reconstructing Margaret Atwood's Protagonists," Patricia Goldblatt states that "Atwood creates situations in which women, burdened by the rules and inequalities of their societies, discover that they must reconstruct braver, self-reliant personae in order to survive." At the end of *The Edible Woman*, Marian partially reconstructs that new persona or concept of self through a renewed relationship to food. Non-eating in *The Edible Woman* is mainly a symbol of the denial of the patriarchal model of femininity. Although the protagonist is an educated bright woman who lives on her own, she feels manipulated and unable to take decisions for herself. Her fiancé Peter, Ainsley,

Clara, and three office virgins as well as her own friends believe in traditional values and try to make Marian think in an old-fashioned way and accept her gender role.

Conclusion:

The Edible Woman, the premier work of fiction by noted Canadian poet Margaret Atwood, is a forerunner of much of the feminist literature that would follow the theme of woman in search of individual identity and worthwhile meaning in her life. The work is divided into three distinct sections, separated by the literary device of alternating narrative point of view. Although the narrator does not change, the voice changes as her perspective of herself alters. Section 1 employs first-person, though unreliable, narration, in section 2 the narrator refers to herself in third person as she essentially loses touch with who she is, and the third section returns to first person as the narrator reclaims her identity. At the time of its release, the novel was a fresh approach to the presentation of women characters in fiction, an almost surreal type of feminist black humour.

References

- Allen, Sture. *Novel Lectures Literature*. 1991-95. Singapore; world Scientific Publishing company, 1997.
- Atwood, Margaret. *The Edible Woman*. London; Virago, 2014
- Davidson, Thomas. *Chamber's Twentieth Century Dictionary*. London; R and W Chamber, 1903.
- Fraser, Wayne. *The Dictionary of Women; The Personal and the political in Canada Women's Literature*.





IMPACT OF SWACHH BHARAT MISSION ON RURAL INDIA

□ Smt. Laxmi Sitani*
□ Dr. Asha Gupta**

ABSTRACT

According to the recent report by UNICEF, more than half of the Indian population defecates in the open and the situation is worse in the acutely impoverished rural areas. Swachh Bharat Mission is a campaign in India that aims to clean up the streets, roads and infrastructure of Indian cities, towns and rural areas. The mission aims to achieve an open defecation free India by October 2nd 2019, the 150th anniversary of birth of Mahatma Gandhi, by constructing 90 millions toilets at a projected cost of Rs. 1.96lakhcrore.

Keywords: Swachh Bharat Mission, campaign, infrastructure.

INTRODUCTION: PROBLEM OF SANITATION AND CLEANLINESS

India is second most populated country in the world. 60% of the people don't have access to the private toilets. Majority of population defecate in the open. This causes a lot of dangerous disease. In 2011, as many as 7lakh students died due to diarrhea. In rural areas, the girls stop going to school due to unavailability of toilets as they grow older. Gandhi ji once said "so long you do not take the broom and the bucket in your hands, you cannot make your towns and cities clean." Following his step foots on 145th birth anniversary of mahatma Gandhi,

the P.M. Shri Narendra Modi himself cleaned the road lying the foundation of 'Swachh Bharat Abhiyan' which aim to eradicate open defecation by 2019.

The objective of the Abhiyan is to promote public cleanliness and sanitation and transform India into clean India. This mission aims to construct 90 million toilets in rural India at a projected cost of 1.96lakhcrores.

OBJECTIVES OF THE STUDY:

1. To study the situation, need and importance of Swachh Bharat Mission.
2. To study the impacts of Swachh Bharat Mission on rural areas.

* Researcher, A.P.S. University, Rewa (M.P.)

** Principal Govt. Girls Degree College, Sidhi (M.P.)

Research Methodology:

The study used secondary data based on different books, newspapers and relevant websites. The study intends to examine the situation and impact of Swachh Bharat Mission on rural areas of India. The study also focused on the need of Swachh Bharat Mission and objectives.

Need of Swachh Bharat Mission:

To change India's scenario and to place it amongst developed countries, we have to make the premises clean. We'll have to provide proper infrastructure, clean and hygienic environment, and clean drinking water. Unhygienic surrounding is main reason behind several diseases that are prevalent in the country. Tourism generates 65 % of G.D.P. of India but the biggest problem is lack of cleanliness and hygiene. To improve the mass health, to improve the robust maintenance of cleanliness, the department of School education and literacy, ministry of human resources and development, government of India has Swachh Bharat Mission on 2nd October 2014. Earlier UPA government also launched 'Nirmal Bharat Abhiyan' which became integral part of Total Sanitation Campaign. Modi govt. launched Swachh Bharat Mission with the aim to provide every rural family with a toilet till 2019. The program covers 4041 towns of the country to clean road, streets and infrastructure. This mission not only aims at cleanliness and disease prevention but also leads to notable economic development.

Various objectives of Swachh Bharat Mission can be listed here:

- * To make INDIA open defecation free till 2019.

- * To provide household pour flush toilets.
- * Total management of solid and liquid waste.
- * Promoting public awareness about sanitation.
- * Recruitment of good staff to bring about a behavioral change in people.
- * To construct toilets separately for boys and girls.
- * To provide toilet facilities to all aangan vadies.
- * To setup network of water pipelines in rural areas to ensure regular water supply.

PROBLEM OF RURAL HYGIENE AND CLEANLINESS:

India has failed to improve its hygienic and sanitary condition even after 70 years of independence. Our generations have been suffering from diseases caused by open garbage dumps, overflowing drains and open defecations. To change this scenario govt. of India flagged Swachh Bharat Mission on 2nd October 2014. The situation has been worse in rural areas. Open defecation and open drains have been the regular practices. Superstitions that making a toilet near home makes the premise unholy, hinders the mission. Girls stop going to school lack of separate of separate toilets in schools.

Open defecation led to many problems to women. It is difficult to go out for them to relieve themselves.

Poor hygiene and open defecation cause lots of disease and deaths. According to a report by W.H.O. children under 5, die in India due to poor hygiene and cleanliness.

IMPACT OF Swachh Bharat Mission ON RURAL INDIA:

REAL India lies in villages. If we want to make India clean and shining we have to clean our villages first. But now the situation is getting changed.

Our project seeks to transform and improve the quality of life of the poor in Jaipur, Rajasthan and largely India by motivating them get loans from banks and the encouragement amount from the government under Swachh Bharat Mission for construction costs. Before having toilets they had to walk miles away into the field to get relieved, feeling insecure and helpless. But after getting awareness they built their own toilets. Although the problem such as water availability persists, the women now feel more secure and comfortable. Seven tribal villages of the state are now open defecation free. Seven villages in the district of Chittodgarh, Bhilvada and Udaipur have become open defecation free.

11 villages Koraput in Odisha have become open defecation free villages. The Himachal Pradesh state govt. is determined to obtain the target of 100% open defecation free before 2019. Rs.852.55crore has been approved for revised project.

CONCLUSION:

The present study examined the need, importance and impact of Swachh Bharat Mission in India. It also focuses its impact on rural India. The study finds out that the campaign has a significant effect on the villages. Since 2014 3,23560 villages have become open defecation free. Number of open defecation free villages in Namami Gange project is 4464. 314 Districts have been declared defecation free. 11 states have been figured as open defecation free. Swachh Bharat Mission should be a combined effort of govt. as well as people as asserted by P.M. Modi. It is a divine duty of every citizen to make this mission successful.

REFERENCES:

1. Swachh Bharat Hardcover – 6 Mar 2016 by Mridula Sinha
2. TIWARI(2014): To Study Awareness of a National Mission: Swachh Bharat: Swachh Vidyalaya
3. Rao and Subbarao(2015). “Swachh Bharat: some issues and concerns”
4. Alka Choudary/International Journal for Research in Management and Pharmacy.

WEBSITES:

1. <http://www.mrunal.org/2014/12/mains-gs3-environmental-conservation-disaster-management-cyclone-hudhud.html>
2. www.mbaskool.com
3. www.savethechildren.com
4. www.thehindu.com





बौद्ध धर्म यात्रा : फाहियान की भारत यात्रा के आलोक में

□ अजय कुमार*

□ डॉ. अजय सिंह आर्य*

छठीं शताब्दी ईसापूर्व एक ऐसा युग था, जो धार्मिक क्रान्ति का युग माना जाता है। जब अनेक नवीन धर्मों का प्रादुर्भाव हो रहा था, उसी समय भारतवर्ष में भी एक ऐसे धर्म का आविर्भाव हुआ जो संसार में बौद्ध धर्म के नाम से विख्यात हुआ। जिसके प्रणेता महात्मा गौतम बुद्ध थे जिन्होंने अपने ज्ञान को संसार के लोगों में बिखेरा और बौद्ध धर्म को विश्व में एक आदर्श धर्म के रूप में प्रतिष्ठित किया। चीन में बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव किस काल विशेष में हुआ यह कहना कठिन है परन्तु इसमें सन्देह नहीं है कि चीन में बौद्ध धर्म की ख्याति ई०पू० तीसरी शताब्दी में फैल चुकी थी। जैसा कि सम्राट अशोक का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार हेतु बौद्ध धर्म के आचार्यों को मध्य एशिया में भेजा था। ये आचार्य सम्भवतः चीन में भी गये हों और धर्म प्रचार में सफलता प्राप्त की हो।

ईसा के जन्म के कुछ दशकों पूर्व चीन के सम्राट 'मिंगटो' ने भारतवर्ष के बौद्ध आचार्यों को बुलाने हेतु अपना दूत भेजा था जिसने बौद्ध आचार्य कश्यप, मातंग और धर्मरक्षक को अपने साथ चीन ले गया।¹

आचार्यों ने बौद्ध धर्म के अनेक ग्रन्थों का अनुवाद चीनी भाषा में करके बौद्ध धर्म का प्रचार किया। धर्म के प्रसार के साथ भारतवर्ष और चीन के मध्य गुरु-शिष्य सम्बन्ध सुदृढ़ हो गया और चीन में अनेक बौद्ध भक्तों ने प्रव्रज्या ग्रहण की तथा चीन में बौद्ध संघ का संगठन बन गया तभी से अनेक बौद्ध भिक्षु चीन से भारतवर्ष की बौद्ध धर्म यात्रा पर आते रहे परन्तु कोई भी यात्री पंजाब से आगे न बढ़ सका और न ही किसी ने अपनी यात्रा का विवरण ही लिख छोड़ा जिससे उनकी यात्रा के विषय में जानकारी उपलब्ध हो सके।²

फाहियान पहला चीनी यात्री था, जिसने भारतवर्ष के विभिन्न नगरों और अन्य देशों की यात्रा की और अपना वृत्तांत भी लिखा जो फो-क्यो-की नाम से जाना जाता है। जिसका अनुवाद सैमुअल बील के द्वारा 'दि ट्रेवेल्स ऑफ फाहियान' नाम से किया है।³ फाहियान का जन्म वुग्यांग नामक स्थान पर हुआ। उसका बचपन का नाम कुंग मिलता है। कुंग के जन्म से पूर्व इसके माता-पिता की सन्तान जीती नहीं थी। तीन लड़के आठ-दस वर्ष की अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। इसलिए कुंग के जन्म लेते ही इसके पिता

* शोधार्थी, शासकीय उत्कृष्ट स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरैना (म.प्र.)

** प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (इतिहास), शासकीय उत्कृष्ट स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरैना (म.प्र.)

ने इसे भिक्षु संघ को दान कर दिया था। वह वहीं संघ में रहा और सामनेर अवस्था में ही बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की ओर आकृष्ट होता चला गया। सामनेर अवस्था समाप्त कर कुंग ने प्रवज्या ग्रहण किया उसी समय उसका नाम संघ द्वारा फाहियान रखा गया। चीनी भाषा में 'फा' का अर्थ 'धर्म' और 'हियान' का अर्थ 'आचार्य' होता है अर्थात् फाहियान का अर्थ 'धर्माचार्य' या 'धर्मगुरु' होता है।

फाहियान धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने लगा और पिटक ग्रन्थों के अभ्यास के दौरान उसे ज्ञात हुआ कि ग्रन्थ के जो अंश देश में उपलब्ध हैं वे अधूरे हैं। उसे बड़ा दुःख हुआ और उसने संकल्प लिया कि वह भारतवर्ष से विनय पिटक की पूरी प्रति लगाकर उसका प्रचार-प्रसार अपने देश में करेगा। वह चांगगान के विहार में रहता था। वहीं उसकी मुलाकात चार अन्य बौद्ध भिक्षुओं से हुई जो हवेकिंग, तावयिंग, हवेयिंग और हेवेवीई⁴ के नाम से जाने जाते थे। पांचों भिक्षुओं ने संकल्प लिया कि वे भारतवर्ष की यात्रा पर जाकर और तीर्थस्थलों पर भ्रमण करके वहाँ के भिक्षुओं से मिलकर त्रिपिटक के ग्रन्थों की प्रतियाँ प्राप्त करें। ये पांचों यात्री 399 ई० में चांगगान से भारतवर्ष की यात्रा पर चल पड़े।

चांगगान से चलकर लुंग प्रदेश होकर वे कीनक्कीई प्रदेश में आये और वर्षावास किया। कीनक्कीई से ये साथ-साथ लियंग होते हुए यांग्लोपर्वत पार कर चांगयी पहुंचे। चांगयी प्रदेश चीन की प्रसिद्ध दीवार के पास लांगचावा के कुछ उत्तर-पश्चिम की ओर स्थित है। उस समय वहाँ अशांति फैली हुई थी। इन यात्रियों को कुछ दिन वहाँ रुकना पड़ा। यहीं पर उन्हें चेयेन, हेकिंग, पावयुन, शांगशाओ और सांगकिंग नामक⁵ पांच

यात्री और मिल गये जो भारतवर्ष की ओर तीर्थयात्रा के लिए जा रहे थे। सभी लोग वर्षभर वहीं रुके रहे और जब प्रदेश में शांति स्थापित हो गई तो वे सब तुंगहान नगर में आये जो चीन की दीवार के पश्चिम में पड़ता है। पावयुन आदि को छोड़कर फाहियान अपने मित्रों के साथ गोबी मरुस्थल की ओर चल पड़ा। मरुस्थल की 17 दिन यात्रा करने के उपरान्त वह शेनशेन प्रदेश में पहुँचा। फाहियान आदि यहाँ लगभग एक महीने तक रुके रहे और 15 दिन उत्तर-पश्चिम चलकर 'ऊए' प्रदेश में पहुंचे। ऊए में वे लगभग ढाई महीने तक रहे। पावयुन आदि जिनका साथ छूट गया था वे भी आ मिले। सभी यात्री 5 महीने कठिनाइयों को झेलते हुए खुतन नगर जो खुतन नदी के किनारे स्थित था पहुँच गये जहाँ बौद्ध धर्म का अच्छा प्रचार-प्रसार था अनेक बिहार व संघाराम थे फाहियान आदि वहाँ स्थित गोमती विहा में रुके।

वहाँ से फाहियान जीहो की ओर चल पड़ा और 25 दिन में वह जीहो पहुंच गया और 15 दिन रुककर जीहो से दक्षिण 4 दिन चलकर वे सुंगलिंग पर्व लांगघकर यूहे नामक स्थान पर पहुंचे और वहाँ 3 महीने व्यतीत करने के उपरान्त फाहियान सिन्धु नदी पार करके उद्यान नामक प्रदेश में पहुंचा, वहाँ से सुहातो प्रदेश होकर गांधार प्रदेश में पहुंचा और फिर 7 दिन चलकर तक्षशिला पहुंचा। तक्षशिला का यह नाम पड़ने का कारण दिया है कि बुद्धदेव ने अपने एक जन्म में अपना सिर एक मनुष्य को दान में दे दिया था।⁶ वहाँ एक स्तूप था। फाहियान फिर वहाँ से दक्षिण ओर चलकर चौथे दिन पुरुषपुर पहुंचा उसने लिखा है कि बुद्धदेव का भिक्षापात्र भी इसी पुरुषपुर जनपद में है। यहाँ से दक्षिण-पूर्व 80 योजन चलने पर वह मथुरा जनपद पहुंचा और

मथुरा से दक्षिण के देश को मध्य देश लिखा है और मथुरा की प्रजा को सुखी और समृद्ध बताया है। ऐसे प्रदेश से होकर वह दक्षिण-पूर्व चलकर संकाश्यनगर में पहुँचा और वहाँ नागविहार⁷ में कुछ समय व्यतीत किया तत्पश्चात वह दक्षिण-पूर्व चलकर कान्यकुब्ज नगर में पहुँचा जो गंगा के किनारे स्थित था। वहाँ से आले नामक स्थान पर गाया और आले से दक्षिण-पूर्व चलकर वह साकेत नगर पहुँचा। साकेत नगर में फाहियान को चारों बुद्धों के बैठने के स्थान पर स्तूप दिखा जो उस समय तक विद्यमान था। साकेत से दक्षिण आठ योजन चलकर वह श्रावस्ती जनपद पहुँचा जो उस समय उजाड़ पड़ी हुई थी। 200 के लगभग उस समय आबाद रहे होंगे और अनेक स्तूप और विहार देखा। वहाँ स्थित 'जेतवन विहार'⁸ के खण्डहरों में फाहियान घूमा-फिरा।

श्रावस्ती के पास ही फाहियान को तूवेद⁹ नामक ग्राम मिला जिसे कश्यप बुद्ध का जन्मस्थल के रूप में वर्णित किया है। वहाँ से श्रावस्ती लौटकर श्रावस्ती से दक्षिण पूर्व दिशा में 12 योजन चलकर ककुच्छंद बुद्ध के जन्मस्थल नेपोकिया¹⁰ पहुँचा। वहाँ उसे अनेक स्तूप मिले, वहाँ से कुछ दूर चलकर वह कनकमुनि बुद्ध के जन्मस्थल पर पहुँच गया।

उस समय तीनों बुद्धों के जन्मस्थान विरान और उजाड़ पड़े हुए थे, परन्तु वहाँ स्तूप के अवशेष विद्यमान थे। वहाँ से पूर्व एक योजन से कम पर कपिलवस्तु नगर के खण्डहर प्राप्त हुआ और कुछ श्रमण भी मिले जो उस समय वहाँ रह रहे थे। कपिलवस्तु से पूर्व 50 ली0 की दूरी पर लुम्बनी वन पहुँचा जो बुद्धदेव का जन्मस्थल था और अपनी पतावस्था में था अर्थात् वीरान हो चुका था। लुम्बनी

वन से पूर्व चलकर फाहियान रामग्राम¹¹ नाम स्थान पर पहुँचा और एक स्तूप को देखा संभवतः यह पिपरहवा का स्तूप रहा हो। रामग्राम से होकर कुशनगर पहुँचा जहाँ लिच्छिवी लोगों को बुद्धदेव ने महाभिनिष्क्रमण के समय लौटाया था। वहाँ से पूर्व चलकर वैशाली नगर पहुँचा और वहा आम्रपाली के विहार¹² को भी देखा जा उस समय अच्छी दशा में था। वहाँ से चलकर वह पाटलिपुत्र नगर में पहुँचा और वहाँ उसने सम्राट अशोक के राजभवन को देखा और उसे असुरों द्वारा निर्मित बताया और नगर के लोगों को सुखी और सम्पन्न बताया। नगर के दक्षिण 3 ली0 की दूरी पर एक स्तूप भी देखा जिसके सामने बुद्धदेव के पदचिन्ह उसने देखा। स्तूप से 400 पग पर सम्राट अशोक द्वारा बसाया गया नगर नेले था। जिसमें पत्थर का एक स्तम्भ था जो 30 हाथ से भी ऊँचा था। जिसके ऊपर सिंह की मूर्ति लगी हुई थी। उसने उस समय अनेक औषधालयों और धर्मशालाओं का भी उल्लेख किया है।

पाटलिपुत्र से फाहियान राजगृह गया और गृद्धकूट पर्वत और सप्तपर्णी गुफा गया और वहीं पास में ही स्थित वेणुवन विहार¹³ में गया। विहार में कुछ बौद्ध भिक्षु भी रहते थे। फाहियान कई दिनों तक विहार में रुककर आस-पास के अनेक स्थलों का भ्रमण किया। फिर वह वहाँ से चलकर गया पहुँचा जो उस समय जंगल बना हुआ था। वहीं पास में वह गांव भी मिला जहाँ की लड़कियों ने बुद्धदेव को खीर खिलायी थी और वह स्थान भी मिला जहाँ पत्थर की शिला पर बैठकर पूर्वाभिमुख करके बुद्धदेव ने खीर खायी थी।¹⁴ फाहियान ने पत्थरशिला और वृक्ष को अपने आंखों से देखा था जो वहाँ विद्यमान थी। वहाँ से दक्षिण कुक्कुटपाद

या गरुणपाद पर्वत पर गया, जो महाकश्यप का स्थान था।¹⁵ जिसके बारे में फाहियान ने अनेक बातें लिखी हैं।

गरुणपाद से अनालय होता हुआ गंगा के किनारे चलकर वह काशी जनपद पहुंचा। काशी के पास ही मृगदाव (जो अब सारनाथ नाम से जाना जाता है) पहुंचा और वहाँ उसने धमेख स्तूप के साथ-साथ अनेक छोटे-छोटे स्तूप भी देखे। सारनाथ (मृगदाव) से लौटकर वह पुनः पाटलिपुत्र पहुंचा और अपने यात्रा के मुख्य उद्देश्य धर्मग्रन्थों की प्रतियाँ प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगा। वहाँ 3 वर्षों तक रुककर केवल धर्मग्रन्थों का संग्रह ही नहीं किया अपितु संस्कृत के ग्रन्थों का अभ्यास व अध्ययन भी किया और विनयपिटक की प्रतिलिपि भी तैयार की। संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त उसने यह देखा कि उसका मित्र तावचिंग जो यात्रा में उसके साथ रहा अब अपने देश में नहीं जाने वाला है तब वह अकेले ही गंगा के किनारे-किनारे चलकर चंपा पहुंचा जो अब खण्डहर बन चुकी थी। वहाँ से पूर्व चलकर फाहियान तांबलिपि जनपद पहुंचा। जहाँ उसने 24 संघाराम देखा तांबलिपि में वह 2 वर्ष रुककर सूत्रों की प्रतिलिपि तैयार की और मूर्तियों का चित्र बनाया। वहाँ से वह एक व्यापारी की नाव पर चढ़कर 14 दिन में सिंहल देश में पहुंचा और वहाँ वह 2 वर्ष रहा और उसने वहाँ से निम्न चार पुस्तकों की प्रतियाँ प्राप्त की।¹⁶

- (1) महीशासक निकाय का विनयपिटक
- (2) दीर्घागम
- (3) संयुक्तागम
- (4) संयुक्तसंचय पिटक

इन पुस्तकों को लेकर फाहियान एक व्यापारी की नाव में बैठकर चल पड़ा। समुद्रमार्ग में अनेक

कठिनाईयों का सामना करते हुए तीन महीनों में वह जावाद्वीप पहुंचा। वहाँ वह 5 महीनें रुका। जावा में पांच महीने रुककर एक व्यापारी की नाव पर बैठकर चल पड़ा। उसके साथ कुछ ब्राह्मण यात्री थी थे। कुछ महीनों की दुर्गम यात्रा करके वे लोग सिंगचाव प्रान्त के चांगक्यांग की सीमा पर पहुंचे। उस समय उस प्रदेश का शासक लेए बड़ा दृढ़ बौद्ध धर्मानुयायी था। उसने फाहियान का बड़ा ही स्वागत किया और धर्मग्रन्थों और चित्रों का दर्शन किया और अपने साथ राजमहल में ले गया और फाहियान का अतिथि सत्कार किया। फाहियान वहाँ वर्षभर रहा और वहाँ से पूर्वी शीन राज्य की राजधानी नानकिन पहुंचा। जहाँ उस समय भारतवर्ष का एक महाविद्वान श्रमण बुद्धभद्र रहते थे उनके पास रहकर उसने अनेक पुस्तकों का अनुवाद चीनी भाषा में किया। इसी बीच में वह किंगचाव गया और वहाँ शीन के एक संघाराम में 88 वर्ष की अवस्था में वह परलोकगामी हो गया।

फाहियान बौद्ध धर्मानुयायी था। वह अपनी भारत की धर्मयात्रा भी धर्म-ज्ञान और धर्मग्रन्थों की (पिटकों) पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से की। उस समय भारत में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल था। जो ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल रहा फिर भी फाहियान ने अपनी यात्रा में प्रत्येक वस्तु और स्थलों को बौद्ध धर्म के ही दृष्टिकोण से देखता है और वह उन्हीं स्थलों पर गया और रुका जिसका सम्बन्ध बौद्ध धर्म से रहा हो। यद्यपि उसने कुछ बातों का धर्म से इतर भी वर्णन किया है। वह तत्कालीन भारतीय समाज की अनेक बातों से अनभिज्ञ था परन्तु वह यहाँ के लोगों से जो कुछ भी सुना और समझा वह भी अपने वृत्तांत में लिख दिया है। यद्यपि वह यहाँ के वातावरण, परम्पराएँ, रीति-रिवाज आदि से

अनभिज्ञ था फिर भी उसने यहाँ के विषय में जो कुछ भी लिखा है वह अन्य साधनों से मिलान करने पर कुछ को छोड़ सत्यप्रतीत होते हैं। उसकी कुछ बातों का अन्तर प्राप्त होता है जैसे दिशा ज्ञान व नदियों के विषय में कुछ बातें उसकी लिखी बातों से मेल नहीं खाती है हो सकता है कि जब वह भारत भ्रमण पर निकला था उस समय वह कहीं-कहीं पर दिशा भ्रम का शिकार हो रहा हो। जिसके कारण उत्तर को दक्षिण लिखता है तथा नदियों के विषय में भी कहीं-कहीं समानता नहीं प्राप्त होती है या फिर हो सकता है कि वह अपना यात्रा वृत्तांत भारत भ्रमण के दौरान न लिखा हो व चीन जाकर अपने वृत्तांत को अन्तिम रूप दिया हो अथवा हो सका है कि उसके किसी मित्र ने उससे सुनकर उसके वृत्तांतों को अन्तिम रूप दिया हो। खैर बातें जो भी रहीं हो फाहियान की भारत धर्मयात्रा सफल रही जो उसका मूल उद्देश्य था वह उसने प्राप्त किया और देश के साथ-साथ सम्पूर्ण विश्व को भी बौद्ध धर्म के विषय में परिचित कराने में सफलता प्राप्त की।

सन्दर्भ

1. जगन्मोहन वर्मा – फाहियान की भारत यात्रा, शब्द महिमा प्रकाशन जयपुर, 1996 पृ0 9
2. वही, पृ0 9
3. के0सी0 श्रीवास्तव – प्राचीन भारत का इतिहास, यूनाइटेड बुक डिपो इलाहाबाद 2004-05 पृ0 44
4. जगन्मोहन वर्मा – फाहियान की भारत यात्रा, शब्द महिमा प्रकाशन जयपुर, 1996 पृ0 11
5. वही, पृ0 11
6. वही, पृ0 25
7. वही, पृ0 29
8. वही, पृ0 31
9. वही, पृ0 33
10. वही, पृ0 33
11. वही, पृ0 35
12. वही, पृ0 36
13. वही, पृ0 41
14. वही, पृ0 43
15. वही, पृ0 45
16. वही, पृ0 50





“पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों की बदलती भूमिका” (मध्यप्रदेश में सतना जिले के विशेष संदर्भ में)

- श्री पुष्पेन्द्र सिंह*
□ डॉ. नवीन कुमार**

शोध सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों की क्या स्थिति हैं और उनकी भूमिका बदल रही है की नहीं यह बताने का प्रयास किया गया है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को ग्राम पंचायतों में 50 प्रतिशत सीटों को आरक्षित कर उनकी भागीदारी का अधिकार सुनिश्चित किया गया है और महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से म.प्र. शासन द्वारा अनेक नितियों, योजनाओं को संचालित किया जा रहा है और यही कारण है कि वर्तमान समय में म.प्र. में महिला प्रतिनिधियों की स्थिति में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और वो राजनीतिक रूप से सशक्त हो रही है। तथा पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर राजनीतिक कार्यों को संचालित कर रही है। तथा ग्रामीण विकास के कार्यों में अपनी भूमिका का संचालन कर रही है। लेकिन यह सब स्थिति शिक्षित महिला प्रतिनिधियों में देखने को मिली हैं और अशिक्षित महिला प्रतिनिधियों की स्थिति अभी भी उसी तरह है। वो अपने अधिकारों को नहीं जानती जिसके कारण अभी भी उनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः इन्हीं सब बातों का उल्लेख इस शोध पत्र के माध्यम से किया गया है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में महिलाओं की स्थिति में किस तरह से सुधार किया गया इसका अनुमान हम संकल्पनाओं के माध्यम से लगा सकते हैं। किन्तु महिलाओं के विकास के लिए पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा योजनायें चलाई गई एवं संविधान द्वारा महिलाओं के व्यक्तित्व के विकास हेतु आरक्षण दिया गया संविधान द्वारा दिये गये महिलाओं को आरक्षण पर संतोष व्यक्त किया

- * शोध छात्र, पी-एच.डी शोधार्थी, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट सतना म.प्र. भारत, ई-मेल—singhpushpendra133@gmail.com, मो.नं. 9630759952
** प्राध्यापक राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना, म.प्र. भारत, ई-मेल—drnamwin15@yahoo.com, मो.नं. 9893332077

जा सकता है, किन्तु आजादी के पहले और बाद भी हमारा नारी समाज अंधविश्वास रूढ़िवादिता में लिपटी जातिप्रथा, सतीप्रथा, पर्दा प्रथा इन अंधविश्वासों में महिलाओं का विकास सिमट जाता है, वह अपने आप को कमजोर महसूस करती थी किन्तु स्वतंत्रता के पश्चात धीरे-धीरे इन प्रथाओं का अंत किया गया और भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को समाज के प्रत्येक क्षेत्र में सशक्त होने के अवसर दिये जा रहे हैं। पंचायती राज के माध्यम से आज ग्रामीण एवं शहरी अंचल की महिलाएँ सशक्त होती जा रही हैं। किन्तु उनकी राजनैतिक स्थिति संतोषजनक नहीं है¹। आज भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में यह अवलोकन किया जाता है कि जहाँ महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखकर वे समाज की प्रथाओं के दायरे में रहकर वे सशक्त नहीं हो पा रही हैं, ग्रामीण समाज राजनीतिक विकास, शिक्षा की समस्या आदि से प्रभावित होता है। ग्राम पंचायत के प्रधान अधिकतर शिक्षित लोग होते हैं जिसका लाभ दबंग लोग उठाते हैं, ऐसी ही कुछ स्थिति ग्रामीण समाज की महिलाओं की है, महिलाओं की भागीदारी उचित है और उनको पर्दे से बाहर निकालने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है लेकिन निरक्षरता के कारण महिलाओं को अपने पंचायत संबंधी अधिकारों का ज्ञान नहीं है। ये तो आरक्षण व्यवस्था का शुक्र है जो महिलाएँ चुनी जाती हैं, वरना यह भी एक गम्भीर समस्या होती। महिलाओं के आरक्षण का लाभ उठाकर गांव के दबंग लोग अपनी पत्नियों को चुनाव जिता लेते हैं, और सारा काम स्वयं करते हैं। इसलिए महिलाएँ केवल खर की मोहर बनकर रह जाती हैं। इसी प्रकार ग्रामीण समाज में रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति प्रधान

होते हुए भी दबंग व सामंतवादी लोगों के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाते हैं²।

संविधान का यह प्रावधान महिलाओं की छिपी शक्ति को उजागर करने का सार्थक कदम था। इसके बाद देश के विभिन्न राज्यों में पंचायत चुनावों की घोषणा की गई। इस चुनाव में लगभग तीस लाख महिलाओं ने भाग लिया। विश्व के किसी अन्य देश में पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण नहीं किया गया है। जब पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण के विषय पर विचार-विमर्श किया जा रहा था, उस समय जहाँ एक ओर लोगों के मन में एक आशा जग रही थी वहीं कुछ अन्य लोगों के मन में अनेक शंकाएँ भी थीं कि 'क्या पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त महिलाएं मिल सकेंगी? भारत की अधिकांश महिलाएं तो अनपढ़ हैं, उनमें से अधिकांश तो घर की चारदीवारी से भी बाहर ही नहीं निकलती हैं। यदि ऐसी महिलाएं चुनाव में जीत भी गईं तो क्या वे पंचायत का कार्यभार सुचारु रूप से चला पाएंगी?' इस प्रकार के अनेक प्रश्न लोगों के मन में उठ रहे थे किन्तु चुनाव के बाद जब बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं चयनित होकर पंचायतों के नेतृत्व हेतु आ गईं तो ये शंकाएं स्वतः समाप्त हो गईं। इस संविधान संशोधन के बाद भारत के पारम्परिक पुरुष-प्रधान निर्णय लेने वाले समाज में अब निर्णय की प्रक्रिया में महिलाओं का भी समावेश होने लगा। लेकिन समाज की मानसिकता के चलते अभी भी इस रास्ते में महिलाओं के सामने अनेक कठिनाइयाँ हैं। यह सत्य है कि हमारा सामाजिक ढाँचा और उनकी मानसिकता समूचे देश में एक समान नहीं है। किन्तु यह कहना भी गलत न होगा कि महिलाओं के प्रति सोच में हमारे देश के

विभिन्न भागों में काफी समानताएं हैं। विगत पांच सौ वर्षों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी पर अनेक अध्ययन हुए हैं जिनमें देश के विभिन्न राज्यों में उनकी परिस्थितियों में समानताओं और विभिन्नताओं के विषय में बहुत सारी जानकारियां सामने आई हैं। उत्तर भारत में पर्दे या घूंघट की प्रथा है। बहुत से लोगों का मत है कि यह प्रथा स्त्रियों के विकास के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है जबकि दक्षिण भारत में जहां महिलाएं घूंघट नहीं ओढ़तीं वहां वे अधिक सुदृढ़ हैं। परन्तु वास्तविकता यह नहीं है। दक्षिण भारत में भले ही स्त्रियां घूंघट काढ़े हुए नजर न आएँ लेकिन वे भी पुरुषों के उतनी ही आधीन हैं जितनी कि उत्तर भारत में महिलाएं चाहे किसी भी राज्य, जाति, वर्ग या धर्म की हों जब उनसे ये सवाल पूछे गए तो प्रायः एक ही उत्तर आया कि पंचायतों में कुछ पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसलिए मेरे पति ने मुझसे नामांकन पत्र भरवा दिया। इनमें से कुछ महिलाओं ने घर-घर जाकर प्रचार भी किया किन्तु बहुत-सी महिलाएं घर पर ही रही और उनके पति या परिवार के अन्य सदस्य वोट मांगने गए³। महिलाओं के विषय में एक विशेष बात यह है कि सभी महिलाएं चूंकि समाज के विभिन्न वर्गों से आती हैं इसलिए उनकी समस्याएं भी अलग-अलग होती हैं। एक ऊँचे सम्पन्न परिवार की महिला की समस्याएं उसके महिला होने से सम्बन्ध रखती है। इसके साथ ही दलित जाति के परिवार की महिला अपनी जाति और स्वयं के महिला होने के कारण यानी इन दोनों ही कारणों से वे समस्याएं झेलती हैं।

जब महिलाएं पहली बार चुनाव जीत कर पंचायतों में कार्य करने आईं तों उस समय वे कुछ भी नहीं जानती थीं। अधिकांश तो कभी किसी

कार्यालय तक गई ही नहीं थीं। पंचायत का कार्य किस प्रकार चलाया जाता है वे इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ थीं। शुरु-शुरु में आती थीं और चुपचाप एक किनारे बैठी रहती थीं। अधिकतर महिलाओं के पति ही उनकी एवज में काम किया करते थे। यहां तक कि बहुत से तो अपने आप को ही प्रधान बताते थे। ये ही लोग वाद में प्रधान पतियों के नाम से प्रसिद्ध हुए।

महिलाओं की चुप्पी लोगों ने सभी स्थानों पर देखी पंचायत घरों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समय और बड़े-बड़े शहरों में आयोजित सम्मेलनों तथा सेमिनारों में, लेकिन वास्तव में ये मूक महिलाएं कानों से सभी कुछ सुन रही थीं और आंखों से पंचायत का सब कार्य होते देख रही थीं। एक लम्बी चुप्पी के बाद, विशेषकर प्रशिक्षित महिलाओं ने अपना मौन व्रत तब तोड़ा, जब उन्हें यह अहसास हुआ कि उनकी समस्याओं के बारे में उनके पुरुष साथियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। गांव की गाँव की औरतें इन महिला प्रधानों और सदस्यों के पास बेझिझक आतीं और अपना दुखड़ा रोतीं। महिलाओं की गम्भीर से गम्भीर समस्याओं पर पुरुषों ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए महिलाएं धीरे-धीरे जागरूक और सक्रिय होने लगीं।

कहीं-कहीं तो देखने में आया कि जहां पर पंचायत में सरपंच का पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित है वहां लोगों ने मिल कर उस वर्ग की एक महिला को चुना और उसको चुनाव में जिताया। चुनाव जीतने के बाद यह महिला उनके सामने सर झुकाये खड़ी रहती है। उनके सामने सरपंच वाली कुर्सी पर भी नहीं बैठती। वह नीचे जमीन पर ही बैठती है जबकि इस तरह की महिलाएं शिक्षित हैं पर उसे जैसा कहा जाता है वह वैसा ही करती हैं। यहां तक कि

सरपंच के नाम आए सभी सरकारी पत्रों को भी पुरुष अपने ही पास रखते हैं और अपने अनुसार उन पत्रों का उपयोग भी करते हैं।

प्रदेश के महिला मतदाता उम्मीदवार और जनप्रतिनिधि सभी इस समस्या से प्रभावित हैं या पूर्वाग्रहों से कम या अधिक ग्रस्त हैं। कई जनप्रतिनिधियों के विचार तुलसीदास की इस उक्ति को प्रमाणित करते हैं “परउपदेश कुशल बहुतेरे ” अर्थात वे संपूर्ण महिला स्वतंत्रता और समानता के पक्षपाती थे परन्तु स्वयं अपने परिवार में इसके विपरीत अर्थात समाज में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार कार्य करने के आदी है”⁴।

म.प्र. में पंचायतों के तीसरे चरण के चुनाव को ढाई तीन साल होने को है और सतना जिले, रामपुर बाघेलान तहसील के इटमा गांव की सरपंच श्रीमती कमला बाई की कहानी पूरे पंचायती राज की सटीक आस्था के लिए पर्याप्त है। वे एक ऐसा उदाहरण हैं जिसने पंचायती राज को खगालने का मौका दिया 1994 के पहले चरण के चुनाव में जनपद सदस्य चुनी गई है और शुरूआती तमाम समस्याओं से उलझनों के बावजूद भी वे अपने कार्यकाल के समय से हर तरीके से सफलता प्राप्त की और कई प्रकार के विकास के कार्यों को संचालित करवाई कमला बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है और आदिवासी समुदाय से है। वे बहुत ही दंबगता से कहती हैं कि उस कार्यकाल ने मुझे राज-काज करना सीखा दिया था कि कौन सी बात कहाँ, कैसे और किसके सामने रखना है। मूल समस्या क्या है। और तमाम तरह के कार्यों से कैसे जल्द से जल्द निपटना है इन सब का ज्ञान इस कार्यकाल में हो चुका था। दूसरे चरण के पंचायत चुनाव में वे फिर लड़ी और जनपद चुनाव

में हार गई, लेकिन तीसरे चरण में जबगांव के लोगों के कहने पर सरपंच का चुनाव लड़ी तो वे फिर जीत गई लोकतांत्रिक प्रणाली की अभीष्ट विशेषता की ओर यह उदाहरण इंगित करता है जिसके बलबूते पर लोकतंत्र की बुनियाद रखी गई”⁵।

पहले कार्यकाल में जहां कमला बाई ने बड़े स्तर पर अनुभव और एक तरीके से प्रशिक्षण ले लिया था और दूसरी पारी खेलने में उन्हें कोई परेशानी नहीं आई। पंचायत की संख्या सवर्ण बहुल है और निश्चित तौर सामंती पंचायत की जड़ो गहरी है कि उनसे पार करना किसी के लिए भी एक आसान नहीं होता है। इटमा में भी यही सामंती ताकते फिर वही कार्य करने लगी जो कि अक्सर उन्हें तानाशाही करने से हटाने पर होता है आर्थिक दृष्टि से कमला अपेक्षाकृत मजबूत है और पूर्व की तरह ही कमला को कार्य से मतलब था दूसरी तरफ सचिव हरिमोहन की कामचोरी की आदत ने एक दिन शीतयुद्ध को जन्म दिया जिसकी परिणति आरोप-प्रत्यारोप में बदल गई। प्रशासन ने भी पूरे मामले को सुना और कमला को योग्य ठहराते हुए सचिव को हटाया गया। पंचायती में यह विरले ही होता है। कमला के तर्कों के आगे सब बेवस थे। इस सारे घटनाक्रम में पूरा एक साल पंचायत का कार्य पूर्णतः अवरूद्ध रहा और उसी का अफसोस कमला को बहुत हैं”⁶। वे फिर अपने कार्य में लग गई है और विकास की धार फिर से बहने लगी है। सतही स्तर पर पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देकर जहां उनकी भागीदारी को एक हद तक बढ़ावा मिला है। वही राष्ट्रीय स्तर पर अभी बहुत कुछ करना शेष है। महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद जो महिलाएं संसद

और विधानसभाओं में चुनकर आयेगी उनका पंचायत स्तर की महिलाओं तक 'नेटवर्क' होगा जिसके कारण पंचायत में महिलाओं को और अधिक सशक्त होने का अवसर मिलेगा। महिलाओं के स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का उपयोग करने तथा सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्र में अपनी निजी भूमिका निभाने में अनेक बाधाएं हैं लेकिन जिस समाज में महिलाओं का घर से बाहर निकलना तक अच्छा न समझा जाता रहा है, उस ग्रामीण परिवेश में निश्चय ही एक नई चेतना का संचार हुआ है⁷।

म.प्र. के सतना जिले में महिलाओं की स्थिति

क्रं.	ब्लाक का नाम	कुल ग्राम पंचायत	अध्ययन क्षेत्र में कुल महिला सरपंच प्रतिनिधि	अध्ययन क्षेत्र में चयनित महिला सरपंच प्रतिनिधि उत्तरदाता	अध्ययन क्षेत्र चयनित महिला पंच प्रतिनिधि उत्तरदाता	कुल सरपंच/पंच
1	अमरपाटन	74	37	15	13	28
2	मझगवां	96	48	15	10	25
3	मैहर	121	68	16	22	38
4	नागौद	93	48	15	15	30
5	रामनगर	60	27	13	10	23
6	रामपुर बाघेलान	97	50	22	25	47
7	उचेहरा	70	35	15	15	30
8	सोहावल	93	47	15	14	29
	कुल	704	360	126	124	250

स्रोत : जिला मुख्यालय पंचायती राज व्यवस्था एवं ग्रामीण विकास विभाग

संदर्भ

1. डॉ. सिंह, निशांत : "पंचायती राज और महिलाएं", सुनील साहित्य, दिल्ली, पृष्ठ 8,
2. कुरुक्षेत्र अगस्त, 207
3. त्रिपाठी राजमणि : 2001 "पंचायती राज व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण कुरुक्षेत्र, पृष्ठ 13
4. 'पहल' 2012 : 'महात्मा गाँधी राज्य ग्रामीण संस्था म.प्र.' ई-समाचार पत्र।
5. चौधरी कृष्णचन्द्र 2013 "मनोसामाजिक महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार" कुरुक्षेत्र, पृष्ठ 57
6. फड़िया, बी.एल. भारतीय राजव्यवस्था एवं भारत का संविधान, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा 2006, पृ. 147
7. स्टेट्समैन, 15 जुलाई 1998 : 1





परिवर्तित पर्यावरण का मानव पर प्रभाव

□ डॉ. सारिका सिंह*

शोध सारांश

1995 में जब जलवायु बदलावों पर वैश्विक स्तर पर बातचीत शुरू की गई तब वातावरण में कार्बन घनत्व 361 पीपीएम (पार्ट पर मिलियन) था, 2014 में यह बढ़कर 300 हो गया। वैश्विक स्तर पर किए गए तमाम प्रयासों के बावजूद भी 2000 से 2010 के दौरान ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन पिछले कई दशकों में सबसे ज्यादा हुआ जिसका नतीजा यह हुआ कि 2014 अब-तक का सबसे गर्म साल रहा। इसकी वजह हवा और वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के मुताबिक 1880 की तुलना में 1980 तक धरती तकरीबन 1 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हुई है। जबकि हमें आने वाले 15-20 सालों में धरती के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि को रोकना है, हालांकि यह दिखने और सुनने में उतना मुश्किल नहीं लगता जितना की असल में है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, यदि धरती पर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से रोकना है तो हम 3200 गीगाटन से अधिक कार्बन-डाई-ऑक्साइड उत्सर्जित नहीं कर सकते। बहरहाल, हमारे पास महज 2000 गीगाटन का बजट बाकी है। यदि मौजूदा उत्सर्जन के मुताबिक देखा जाए तो 2000 गीगाटन का बजट अगले तीस सालों में खत्म हो जाएगा। यानी हम यदि कार्बन उत्सर्जन को स्थिर भी कर लेते हैं तो भी आने वाले 30 सालों तक ही धरती को 2 डिग्री सेल्सियस गर्म होने से रोक पाएंगे। बहरहाल, यह जानना भी दिलचस्प होगा कि यदि 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है तो क्या होगा? हालांकि यह सभी के लिए उतना बुरा नहीं होगा, जो आज एकदम बर्फीले इलाकों में रहते हैं और जहां बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं दिखता उन इलाकों में लोग मछली पाल सकेंगे व चावल उगा सकेंगे। हालांकि इसके साथ में हमारे साथ जो चुनौती होगी वह यह होगी कि न्यूयॉर्क जैसे

* असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, अर्मापुर पी0जी0 कालेज, कानपुर, मो0 9838557882,
Email : sarika.rathor73@gmail.com

शहर इसके बाद तकरीबन 11 मीटर पानी के अंदर होंगे और कमोबेश यही हाल दुनिया के ज्यादातर बड़े शहरों का होगा जो समुद्र के किनारे बसे हैं। इसके अलावा हमें दुनिया के नक्शे में भी कुछ फेरबदल करने होंगे क्योंकि क्योंकि बहुत से छोटे-छोटे टापूनुमा समुद्री देशों को नक्शे से हटाना पड़ेगा और बहुत-बहुत बड़े देशों की सीमाओं को छोटा कर समुद्र की सतह का विस्तार दिखाना होगा।

परिचय—

पर्यावरण का अर्थ मानव के चारों ओर पाए जाने वाले बाहरी वातावरण अर्थात् मानव के चारों ओर पाये जाने वाला पारिस्थितिक तन्त्र पर्यावरण कहलाता है।

पारिस्थितिक तन्त्र में दो बातें आती हैं— भौतिक वातावरण एवं जैविक वातावरण। भौतिक वातावरण का अर्थ मानव जन्म व अन्य जीव-जन्तु के जन्म से है इस प्रकार पर्यावरण से अर्थ प्रकृति के उस भौतिक व जैविक वातावरण से है जो मानव के चारों ओर फैला हुआ है। ऐसे वातावरण में जब परिवर्तन तेजी से होने लगता है तो इसे परिवर्तित पर्यावरण या जलवायु परिवर्तन कहते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर परिवर्तित पर्यावरण या जलवायु परिवर्तन कहते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर परिवर्तित पर्यावरण से होने वाले खतरों को महसूस किया जाने लगा है। देखा जाये तो परिवर्तन एक सार्वभौमिक सत्य है। इसी तरह पर्यावरण में परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। चिंता व चिंतन की बात तब होती है जब कुछ भी अप्राकृतिक घटित होता है। वर्तमान समय में पर्यावरण परिवर्तन प्राकृतिक सीमाओं को लॉघ चुका है। मानवीय जीवन-चक्र खतरे में है।

नेशनल एनवाइरनमेण्टल रिसर्च कौंसिल के अनुसार 'मानवीय क्रिया-कलापों से उत्पन्न अपशिष्ट उत्पादों के रूप में पदार्थों एवं ऊर्जा के निष्कासन से प्राकृतिक पर्यावरण में होने वाले हानिकारक परिवर्तनों को पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है।

अतः पर्यावरण प्रकृति की सहजगति है परन्तु मानव की उच्च महत्वाकांक्षाओं उसकी निरन्तर बढ़ती हुयी जनसंख्या, पारिवारिक आवश्यकताओं, औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के अन्धाधुन्ध दोहन ने प्रकृति एवं उनके घटकों के मध्य स्थापित सामन्जस्य में हस्तक्षेप किया और प्रदूषण को जन्म दिया। वर्तमान में वैभवयुक्त एवं विलासी जीवनशैली ने इन परिस्थितियों को और भी गंभीर बना दिया है। जिसके कारण प्रदूषण की विभीषिका और अधिक खतरनाक होती जा रही है। इसके फलस्वरूप मानव को नई-नई बीमारियाँ, संक्रामक रोगों, मानसिक तनाव, स्वच्छ जलवायु एवं स्वच्छ वातावरण आदि के लिये संघर्ष करना पड़ रहा है।

इसलिये मानव गतिविधियाँ किन-किन तरह से पर्यावरण को प्रभावित करती हैं तथा उससे होती भी हैं, यह समझने की आवश्यकता है।

अध्ययन का उद्देश्य:—

1. मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का प्रभाव
2. मानव स्वास्थ्य पर व्यवसाय से सम्बन्धित प्रदूषण का प्रभाव
3. मानव स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव
4. मानव स्वास्थ्य पर तनाव का प्रभाव
5. मानव स्वास्थ्य पर विविरण (रेडियोधर्मी) प्रदूषण का प्रभाव

6. मानव स्वास्थ्य पर मिट्टी पर पड़े प्रभाव का असर


अतः अवकर्षित पर्यावरण का मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव को अध्ययन हम नीचे प्रस्तुत करेंगे:—

पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ्य अध्ययन का विश्लेषण:-

मनुष्य ने पृथ्वी के तीनों परिमंडलों पृथ्वी, जल और वायु को अपने हित साधन के लिये मनमाने ढंग से प्रदूषित किया है। जिस वायु में हम साँस लेते हैं, जो जल हम पीते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, हमारे कार्य करने की जो परिस्थितियाँ हैं और यहाँ तक कि हमारा इर्द-गिर्द होने वाला तेज शोर हमारे स्वास्थ्य और कल्याण को खतरा पैदा कर रहा है। कैंसर तथा स्वांस सम्बन्धी रोगों तथा संक्रमित भोजन और जल द्वारा उत्पन्न समस्याओं पर किये गये अनुसंधानों ने यह सिद्ध कर दिया है कि इनका सम्बन्ध उन प्रदूषकों से है जो पर्यावरण में फँक दिये जाते हैं।

वायु प्रदूषण तथा स्वास्थ्य:-

डब्ल्यू0एच0ओ0 (WHO) की रिपोर्ट के अनुसार-2012 में वैश्विक स्तर पर 86 लाख नये मामले ट्यूबरकलोसिस (टी0बी0) के दर्ज किये गये और 13 लाख लोगों की टी0बी0 से मौते हुयी।



अतः विश्व में वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिये बढ़ता खतरा है। जिस वायु में हम साँस लेते हैं

उसमें प्रदूषण होने के कारण आक्सीजन की कमी हो जाती है तथा उसकी गुणवत्ता भी घट जाती है। इसके अलावा हमें साँस में उन प्रदूषकों को भी लेना पड़ता है जो हमारे फेफड़ों के लिये हानिकारक है। अक्सर हम अनुभव करते हैं कि धुएँ या बारीक धूल के कणों के सम्पर्क में आते ही हमारी आँखों, नाक, गले इत्यादि में जलन पैदा हो जाती है। अगर प्रदूषित गैसों श्वसन तन्त्र के अन्य भागों तक पहुँच जाता है तो लगातार खाँसी, साँस लेने में कठिनाई और तेज साँस या श्वसन की अन्य समस्यायें पैदा हो जाती है जो घातक सिद्ध हो सकती हैं। स्वास्थ्य पर प्रमुख वायु प्रदूषकों के प्रभाव को हम निम्नलिखित तरीके से समझाएँगे:-

शोर से उत्प्रेरित रोग

वर्तमान शताब्दी को 'शोर शताब्दी' कहना सही है। औद्योगीकरण का बहुत बड़े पैमाने पर विकास होने के कारण हमें चारों ओर उच्च स्तर तथा शोर सुनायी देता है। शोर प्रदूषण के कुछ प्रमुख स्रोतों में हम हवाई जहाज, मोटर गाड़ियों, फैंक्ट्रियों, सार्वजनिक भाषणों और पॉप संगीत को शामिल कर सकते हैं। शोर का स्वास्थ्य पर प्रभाव शोर की तीव्रता और आवृत्ति पर निर्भर करता है। शोर के कारण हमारे ऊपर पड़ने वाले प्रभावों में मनोवैज्ञानिक, प्रच्छादन प्रभाव (Masking effect) तथा शरीर क्रियात्मक प्रभाव प्रमुख है अधिक शोर के कारण बोलने और संचार में अवरोध खीज (Armeynance) दक्षता तथा शरीर सामान्य परिवर्तन जैसे प्रभाव देखने को मिलते हैं। (रक्तचाप, थकावट, लगातार नींद न आना आदि)।

मानव स्वास्थ्य पर मिट्टी पर पड़े प्रभाव का असर-

पर्यावरण परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि होती है और वाष्पीकरण का संतुलन खराब होता है

व हमारी मिट्टी की आर्द्रता असंतुलित हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप हमें सूखे की मार झेलनी पड़ती है अगर यह स्थिति लगातार बनी रही तो मिट्टी मरुस्थल में तब्दील हो जाती है। मिट्टी एक समय ऊसर व बंजर हो जाती है अर्थात् हमारे पास भोज्य पदार्थों के उत्पादन के लिये पर्याप्त उर्वर भूमि नहीं बचेगी और हमें भूख व कुपोषण की चपेट में आकर अपी जान गवानी पड़ेगी। हालांकि यह स्थिति अभी भी बनी हुयी है लेकिन पर्यावरण परिवर्तन के कारण इसका स्वरूप और विकराल हो सकता है। इतना ही नहीं “काउन्सिल ऑफ एनर्जी, एन्वायरमेंट एंड वाटर द्वारा जारी एक शोध में यह कहा गया है कि वैश्विक तापमान वृद्धि से पैदा हुये मुद्दों का युद्ध स्तर पर निवारण नहीं किया गया तो 2050 तक गेहूँ, चावल और मक्के की 200 अरब डॉलर की फसलों को नुकसान हो सकता है।”

“अमेरिकी मेटरलॉजिकल सोसायटी के बुलेटिन में विशेष परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित ‘स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन 2014’ नामक स्पट के अनुसार वर्ष 2014 इस सदी का सबसे गर्म वर्ष रहा है।

पर्यावरण परिवर्तन की भयावहता व इसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के जन स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा सामाजिक मानक विभाग ने लिखा है—“विश्व यदि इसी रफ्तार से चलता रहा तो आने वाले 80 वर्षों में सतह के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की आशंका है। इस बार की गर्मी में भारत में हमने जिस तरह से गर्म हवाओं को महसूस किया है और जिसके कारण वहाँ पर 5000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गवाई है।

प्रमुख बीमारियाँ—

पर्यावरण परिवर्तन का स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्परिणामों को रेखांकित करते हुए लांसेट कमीशन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेज-2015 ने अपनी रपट में कहा है कि पर्यावरण परिवर्तन से 9 अरब लोगों की वैश्विक स्वास्थ्य सम्बन्धी लाभ नष्ट होने का खतरा है।

पर्यावरण परिवर्तन के कारण होने वाली प्रमुख बीमारियाँ मलेरिया, लिशमैनियासिस/कालाजार, लिमफैटिक फिलारियासिस, सिस्टोजोमाइसिस, लेप्रोसी, डेंगू, प्लेग, यलो फीवर, कोलेरा, इंसेकलाइटिस, अस्थमा, जापानी फीवर, ब्रोनकाइटिस, बर्डफ्लू, एलर्जी, ट्यूबरक्लोसिस, खाँसी, मानव अफ्रीकी, जुकाम, ट्राइपानोसोमियासिस आदि।

सुझावः—पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम एवं नियन्त्रण के उपाय

चूँकि वायु प्रदूषण स्रोत औद्योगिक वाहनजनित तथा घरेलू है। अतः इसे रोकने की रणनीति में विभिन्न स्तर के ध्यान दिया जाना चाहिये। यहाँ वाहनों की संख्या में प्रतिवर्ष 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि होती जा रही है। जिससे मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता के साथ-साथ चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद, सूरत, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, नागपुर तथा वाराणसी जैसे नगरों में वायु प्रदूषण फैलता जा रहा है। अतः विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार “विश्व की वायु गुणवत्ता में सुधार तथा वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपायों को अविलम्ब लागू किया जाने की आवश्यकता है:—

1. वायु गुणवत्ता प्रबन्ध कार्यक्रम
2. ऊर्जा संरक्षण

3. मोटर गाड़ी रख रखाव कार्यक्रम
 4. सीसायुक्त पेट्रोल के उपयोग को घटाना
 5. डीजल में सल्फर के स्तर को घटाना
 6. सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को प्रोत्साहित करना

7. कचरे को खुला जलाने के विकल्पों का उपयोग करना

8. स्वच्छ प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले अथवा बैटरी चालित वाहनों का उपयोग।

केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के 142 प्रथम श्रेणी के नगरों से 70,06,740 किलो लीटर जल प्रति दिन सीवेज के रूप में निकलता है। गंगा कार्य योजना का लगभग 50 प्रतिशत व्यय अपशिष्ट जल शोधन परियोजना पर व्यय किया जाना है। गंगा कार्य योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक सरकारी एवं गैर-सरकारी विभागों, शोध-संस्थाओं एवं संगठनों का भी सहयोग लिया जाता है अतः सरकारी योजनाओं के साथ ही साथ हमें भी एक देश का नागरिक होने के नाते जल को स्वच्छ बनाने में सरकार को अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए क्योंकि जल ही जीवन है।”

मृदा प्रदूषण की रोकथाम के लिये सर्वप्रथम मानवीय बस्तियों से प्राप्त कूड़े-कचरे के निपटान में असावधानी बरतने पर महामारी फैलने का भय रहता है। अतः कूड़े-कचरे का उपयोग कम्पोस्ट खाद बनाने में किया जा सकता है। अहमदाबाद नगर में कार्यरत जैव खाद संयन्त्र में प्रतिदिन 150 जन कूड़े कचरे से लगभग 75 टन जैव खाद निर्मित की जा रही है। कूड़े-कचरे के ताप अपघटन से एक प्रकार का तैलीय द्रव, ईंधन गैस तथा तारकोल प्राप्त किया जा सकता है और कूड़े-कचरे

के उपयोग से बिजली बनाने में अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हमारे पास बिजली का अभाव है। अतः हम इससे पर्यावरण सुरक्षा करने के साथ-साथ बिजली की कमी को भी पूरी कर सकते हैं।

रेडियो एक्टिव तत्व जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, रुबिडियम, सीजियम, कोबल्ट, स्ट्रॉन्सियम आदि तथा रेडियो एक्टिव किरणें (???) नाभिकीय परिक्षणों के परिणाम स्वरूप वातावरण में प्रवेश कर के रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न करती है। जिससे बच्चे पागल, अपंग एवं मानसिक दुर्बल व अनुवांशिक बिमारियों के साथ पैदा होते हैं तथा मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है जो कि लम्बे समय तक रहता है। अतः नाभिकीय परिक्षणों का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए तथा हाइड्रोजन बम, परमाणु बम आदि के बनने पर रोक लगानी चाहिए। इसके अतिरिक्त नाभिकीय पदार्थों का प्रयोग मानवमात्र के हितों के लिए करना चाहिए। सर डोनाल्ड के अनुसार, “19 डेसीबल (dB) क्षमता की ध्वनि दृष्टि भ्रम पैदा कर सकती है इसके अतिरिक्त यह मनुष्य की मानसिक क्षमता व कुशलता को कम कर सकती है। मोरवर्ग विश्वविद्यालय के डॉ० ग्राह के अनुसार 180 डेसीबल या उससे अधिक क्षमता की ध्वनी तीव्रता से मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है।” आस्ट्रिया के डॉ० ग्रिफिथ के अनुसार “तीव्र शोर असमय मनुष्य को बूढ़ा कर सकता है।” भारतीय मानक संस्थान (ISI) ने बन्द स्थानों एवं आन्तरिक वातावरण के लिए ध्वनि की क्षमता को 55 डेसीबल तथा वाह्य वातावरण को तथा खुले स्थानों के लिए 60 डेसीबल से अधिक ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी के अंतर्गत रखा है। अतः ध्वनि प्रदूषण को दूर करने

के लिए सबसे पहले इंग्लैण्ड में ध्वनि निवारण कानून बना इसके पश्चात् अमेरिका अब भारत में भी अनेक ध्वनि नियंत्रण कानून बनाये गये हैं। जिसमें भारतीय दण्ड संहिता भी लागू की गयी है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए लाउड स्पीकारों को काफी हद तक प्रतिबन्धित किया गया है तथा आवश्यकता पड़ने पर इनकी ध्वनि क्षमता एवं समय सीमा का निर्धारण भी उचित प्रसासनिक अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है। इसका इस्तेमाल अस्पताल, शिक्षण संस्थान, कोर्ट इत्यादि से 500 मीटर की दूरी पर होने का प्रावधान रखा गया है।

गंभीर मानसिक विकारों तथा तनावों को दूर करने के लिये 1982 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया था। जिसमें (1) निकट भविष्य में न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सभी वर्गों खासकर जनसंख्या के सबसे असुरक्षित वर्गों को उपलब्ध हो (2) मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान और सामान्य स्वास्थ्य देखभाल में कुशलता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। इसके लिये जिला स्तर पर आधारित मॉडल मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली विकसित की गई और 1986–1995 के बीच निमहन्स द्वारा कर्नाटक को बेल्लारी जिले में इसे परखा गया। इसे जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डी0एम0एच0पी0) के रूप में अपनाया गया और 22 राज्यों, केन्द्रशासित प्रदेशों में 27 जिलों में 1996 में शुरू हुई नौवीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। दसवीं पंचवर्षीय योजना में एनएमएचपी की रणनीति पुनः तय की गई और मानसिक बीमारियों तक प्रभावी पहुँच और प्रभाव के लिए वह एकतरफा की बजाय बहुतरफा कार्यक्रम किया गया। जिसमें डी0एम0एच0पी0 का देश के

100 जिलों तक विस्तार, मानसिक अस्पतालों का आधुनिकीकरण, सरकारी मेडिकल कालेजों, सामान्य अस्पतालों के मनोचिकित्सा विभाग का गठन। इस समय जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का देश के 121 जिलों में कार्यान्वयन हो रहा है। 75 सरकारी मेडिकल कॉलेजों, सामान्य अस्पतालों को मनोचिकित्सक विभाग के विकास और 26 मानसिक अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिये अनुदान जारी किया गया है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिये 11वीं पंचवर्षीय योजना में 100 करोड़ का आवंटन किया गया है। एनएमएचपी के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2008–09 में 70 करोड़ का आवंटन किया गया है।

1995 में जब जलवायु बदलावों पर वैश्विक स्तर पर बातचीत शुरू की गई तब वातावरण में कार्बन घनत्व 361 पीपीएम (पार्ट पर मिलियन) था, 2014 में यह बढ़कर 300 हो गया। वैश्विक स्तर पर किए गए तमाम प्रयासों के बावजूद भी 2000 से 2010 के दौरान ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन पिछले कई दशकों में सबसे ज्यादा हुआ जिसका नतीजा यह हुआ कि 2014 अब-तक का सबसे गर्म साल रहा। इसकी वजह हवा और वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के मुताबिक 1880 की तुलना में 1980 तक धरती तकरीबन 1 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हुई है। जबकि हमें आने वाले 15–20 सालों में धरती के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि को रोकना है, हांलाकि यह दिखने और सुनने में उतना मुश्किल नहीं लगता जितना की असल में है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, यदि धरती पर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से रोकना है तो हम

3200 गीगाटन से अधिक कार्बन-डाई-ऑक्साइड उत्सर्जित नहीं कर सकते। बहरहाल, हमारे पास महज 2000 गीगाटन का बजट बाकी है। यदि मौजूदा उत्सर्जन के मुताबिक देखा जाए तो 2000 गीगाटन का बजट अगले तीस सालों में खत्म हो जाएगा। यानी हम यदि कार्बन उत्सर्जन को स्थिर भी कर लेते हैं तो भी आने वाले 30 सालों तक ही धरती को 2 डिग्री सेल्सियस गर्म होने से रोक पाएंगे। बहरहाल, यह जानना भी दिलचस्प होगा कि यदि 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है तो क्या होगा? हालांकि यह सभी के लिए उतना बुरा नहीं होगा, जो आज एकदम बर्फीले इलाकों में रहते हैं और जहां बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं दिखता उन इलाकों में लोग मछली पाल सकेंगे व चावल उगा सकेंगे। हालांकि इसके साथ में हमारे साथ जो चुनौती होगी वह यह होगी कि न्यूयॉर्क जैसे शहर इसके बाद तकरीबन 11 मीटर पानी के अंदर होंगे और कमोबेश यही हाल दुनिया के ज्यादातर बड़े शहरों का होगा जो समुद्र के किनारे बसे हैं। इसके अलावा हमें दुनिया के नक्शे में भी कुछ फेरबदल करने होंगे क्योंकि बहुत से छोटे-छोटे टापूनुमा समुद्री देशों को नक्शे से हटाना पड़ेगा और बहुत-बहुत बड़े देशों की सीमाओं को छोटा कर समुद्र की सतह का विस्तार दिखाना होगा।

निष्कर्ष—

बहरलाह ग्लोबल वार्मिंग यानी पर्यावरण परिवर्तन आज पृथ्वी के लिये सबसे बड़ा संकट बन गया है। इसे लेकर पूरी दुनिया में हाय तौबा मची है। इसको लेकर कई तरह की भविष्यवाणियाँ भी की जा चुकी हैं, दुनिया अब नष्ट हो जायेगी, पृथ्वी जलमग्न हो जायेगी, सृष्टि का विनाश हो जायेगा।

ज्यादातर ऐसा शोर पश्चिमी देशों से ही उठता रहा है जिन्होंने अपने विकास के लिये ना जाने प्रकृति के विरुद्ध कितने ही कदम उठाये और लगातार उठा ही रहे हैं। आज भी कार्बन-डाई आक्साइड उत्सर्जन करने वाले देशों में 70 प्रतिशत हिस्सा पश्चिमी देशों का ही है जो विकास की ऊँची दौड़ का परिणाम है। मगर वे इस पर जरा भी कटौती नहीं करना चाहते।

परन्तु पर्यावरण परिवर्तन को लेकर भारत सचेत हो रहा है। यह बात भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पृथ्वी दिवस पर दिये इस बयान से स्पष्ट होती है जिसमें उन्होंने कहा था— “भारत विश्व को पर्यावरण परिवर्तन से निपटने के रास्ते दिखा सकता है क्योंकि पर्यावरण की देखभाल करना देश के हित के लिए आवश्यक है। हमारा नाता ऐसी संस्कृति से है जो इस मंत्र में विश्वास करती है कि धरती हमारी माँ है और हम उसकी संताने हैं। अपनी बात को दुहराते हुये प्रधानमंत्री ने अपने ब्रिटेन के बेम्बले स्टेडियम में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुये स्पष्ट रूप से कहा कि विश्व के सामने दो प्रमुख समस्याएँ हैं— एक आतंकवाद और दूसरा जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भारत विश्व को बहुत कुछ दे सकता है। अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिये भारत द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर बल देते हुये उन्होंने आह्वान किया कि भारत दुनिया के 102 सूर्य पुत्रों (जहाँ पर सूर्य की रोशनी ज्यादा है। को एक मंच पर लाने की पहल कर रहा है। प्रधानमंत्री की यह सोच भार की दूरदृष्टि को स्पष्ट कर रही है निश्चित ही इसमें ऊर्जा जरूरतों के लिये उपयोग में लाये जाने वाले ईंधनों (जिनमें कार्बन उत्सर्जन होता है) की खपत में कमी आयेगी।

प्रधान मंत्री के सुर में सुर मिलाते हुए पिछले दिनों केन्द्रीय वित्त मंत्री ने पर्यावरण परिवर्तन पर आयोजित वित्त मंत्रियों की बैठक में कहा कि "हम मानते हैं कि पृथ्वी पर बढ़ती गर्मी भारत सहित विश्व के गरीब हिस्सों को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। दिसम्बर-2015 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने पेरिस में प्री-सी ओपी-21 की जनसभा को संबोधित करते हुए विकासशील देशों की समस्याओं को बखूबी रखा व उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जलवायु परिवर्तन के मामले में विकसित राष्ट्रों को और खुलकर सामने आना चाहिये। उन्होंने कहा कि विकसित देशों द्वारा वित्त उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता उनकी ऐतिहासिक जिम्मेदारियों और आर्थिक क्षमताओं पर आधारित है।

पेरिस सम्मेलन में विश्व के देश कार्बन उत्सर्जन को लेकर जो नियाकम तय करेंगे, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि विश्व का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। आइपीसी0सी0 के अनुसार पर्यावरण परिवर्तन का सबसे बुरा असर एशिया के क्षेत्रों पर पड़ेगा क्योंकि ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था कृषि व प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। ऐसे में भारत जैसे देशों को पर्यावरण परिवर्तन को लेकर ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है।

हमें पूरी उम्मीद है कि पेरिस सम्मेलन में विश्व के देश तापमान वृद्धि रोकने के उपायों, ईंधन में कटौती, ऊर्जा उपयोग, प्रदूषण नियंत्रण की नई तकनीकों जैसे तमाम विषयों पर जरूर ध्यान देंगे। इन प्रश्नों के उत्तर में ही जलवायु परिवर्तन से होने वाली तबाही को रोकने व वैश्विक स्वास्थ्य रक्षा का सूत्र छुपा हुआ है।

संदर्भ

1. <http://Zeenews,india.com/hindi/science/crop-damage-of-200-billion-by-2050-day-to-increase-in-global-temperature/263713>
2. <http://www.adb.org.Documents/Book/Economics-Climate-chant3-SEA.default.asp>
3. <http://Zeenews.india.com/hindi/Science/2014-was-the-warmest-year-so-far/264335>
4. <http://www.who.int/compaingns/tb-day/2014/event/en/>
5. <http://www.who.int/gho/neglected diseases/schistosomiasis/n/>
6. 12वीं योजन के लिए आइपीएमआर की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन समिति के वयाधि-विशेष दस्तावेज / डेंगू / चिकनगुनिया / हाई फीवर
7. विश्व स्वास्थ्य ऑकड़े (2008) विश्व स्वास्थ्य संगठन, जेनेवा
8. स्टर्न एन द इकनामिक क्लाइमेट चेंज : इ स्टर्न रिव्यू कॉन्ग्रज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2007
9. <http://www.searo.who.int/EN/Section10/Section2537-14458.htm>
10. http://en.wikipedia.org/wiki/IPCC_Fourth_Assessment_Report
11. भारतीय अर्थव्यवस्था-डॉ. चतुर्भुज मेमोरिया एवं एस0सी0 जैन साहित्य भवन पब्लिकेशन्स
12. भारतीय आर्थिक समस्याएँ-टी0आर0 जैन, मुकेश त्रिहान एवं रन्जू त्रिहान-ग्लोबल पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
13. व्यावसायिक पर्यावरण-डॉ0 एस0के0 सिंह-साहित्य भवन पब्लिकेशन्स
14. भारतीय अर्थव्यवस्था- एस.0के0 मिश्रा एवं वी0के0 पुरी-हिमालया पब्लिशिंग हाउस
15. व्यावसायिक वातावरण-रोजी, जोशी एवं संगम कपूर
16. अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र- एम0सी0 वैश्य एवं सुदामा सिंह
17. समाचार पत्र- दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, इकनामिक टाइम





भगवान् का निर्गुण-निराकार, सगुण-साकार स्वरूप

□ डॉ. संध्या पाण्डेय*

शोध सारांश

अज, अव्यय तथा समस्त भूत प्राणियों के ईश्वर अर्थात् अद्वैत दृष्टि से निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा अपनी प्रकृति को अधीन कर अचिन्त्य योगमाया से प्रगट होते हैं अर्थात् सगुण साकार होते हैं। प्रगट होना = अवतार लेना सगुण साकार होना ही तो है। फिर भी प्रस्तुत प्रकरण में भगवान् के निर्गुण-निराकार-सगुण साकार स्वरूप के संबंध में स्वतंत्र रूप से विचार किया जाना अपेक्षित है। वेदों और पुराणादि शास्त्रों में भगवान् के इन स्वरूपों के संबंध में विचार किया गया है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इन रूपों में तत्त्वतः कोई भेद नहीं है। कार्य कारण वसात् एक ही परब्रह्म परमात्मा एक ही काल में सगुण साकार भी बन जाता और निर्गुण निराकार भी रहता है। जैसे अग्नि एक ही काल में निराकार अव्यक्त भी रहती है और साकार (व्यक्त) भी। वह वैसी ही जैसे-चकमक पत्थर या दियासलायी = माचिस अथवा काष्ठादि में अग्नि अव्यक्त रूप में रहती है किन्तु संघर्षण आदि उपाधि के योग से प्रगट हो जाती है, वह अग्नि जहाँ प्रगट होगी वहाँ पूरी अपनी दाहकता शक्ति से होती है और एक ही काल में अन्यत्र अव्यक्त-निराकार-निर्गुण रूप से भी विद्यमान रहती है।¹

प्रस्तावना

प्रस्तुत शोध पत्र में यह शंका नहीं उत्पन्न होती कि जब परमात्मा किसी स्थान विशेष में सगुण साकार होकर प्रगट हो जाता है तब तो वह एकदेशीय अर्थात् सीमित हो जाता है, और उसकी सर्वव्यापकता भी समाप्त हो जाती होगी तब जगत् का पालन-शासन कौन करता होगा? क्योंकि पूर्वोक्त श्रुति-

“अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो” के दृष्टान्तानुसार परमात्मा के किसी स्थान विशेष में साकार रूप धारण कर लेने पर भी उसकी सर्वव्यापकता समाप्त नहीं होती और न ही उसका शासन समाप्त हो जाता है। अपितु यथावत चलता रहता है।

श्रीमद्भगवद्गीता जो स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण के द्वारा सुगीत अर्थात् प्रतिपादित है, उसमें स्वयं

* आचार्य, कैलाशपुरी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के पास, रीवा (म.प्र.)

परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण के रूप में सगुण-साकार होकर अपने को अज-अव्यय और सबका ईश्वर कहकर अपने निर्गुण निराकार रूप की ओर भी संकेत करते हैं। गीता में ही कर्म योग के प्रसंग में “तानि...मत्परः” (2/61), “मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य” (3/30), “ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति” (5/29), ज्ञान योग के प्रसंग में- “सर्वभूतस्थितं यो मां भजति” (6/31), “मद्गतेनान्तरात्मना” (6/47) तथा भक्ति योग के प्रसंग में- “मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपास्यते” (12/2) इत्यादि स्थलों में उत्तम पुरुष (मैं) के रूप में स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण अपने को सम्बोधित कर अपने सगुण साकार स्वरूप के साथ (वह तो है ही) अपने निर्गुण, निराकार स्वरूप का भी आभास कराते हैं।

श्रीमद्भागवत, भगवान् के अवतार अर्थात् सगुण-साकार स्वरूप के प्रकाशन का सर्वोच्च ग्रन्थ होने के कारण भक्ति शास्त्र का सर्वस्व है। भक्ति को ही परम धर्म मानता है।² फिर भी अद्वयतत्व अर्थात् भगवान् के निर्गुण-निराकार स्वरूप का प्रतिपादन करता है।³ सगुण साकार भगवान् श्रीकृष्ण ने अपने अद्वयतत्व के विषय में ब्रह्माजी को इस प्रकार से बताया है- “सृष्टि के पूर्व मैं ही था- केवल मैं था, कोई क्रिया नहीं थी। उस समय सत् अर्थात् कार्यात्मक स्थूलभाव नहीं था, असत्-कारणात्मक सूक्ष्मभाव नहीं था। यहाँ तक कि इनका कारण भूत प्रधान भी अन्तर्मुख होकर मुझमें लीन था। सृष्टि का यह प्रपंच मैं ही हूँ, और प्रलय में सब पदार्थों के लीन हो जाने पर मैं ही एकमात्र अवशिष्ट रहूँगा।” इससे स्पष्ट है कि भगवान् निर्गुण-निराकार सगुण साकार, जीव, जगत् सब वही हैं। अद्वयतत्व ही भगवान् का सत्य स्वरूप है। उसी एक अद्वितीय परमार्थ को ज्ञानीजन

ब्रह्म, योगीजन परमात्मा और भक्तगण भगवान् के नाम से पुकारते हैं।⁴ वही परमात्मा जब सत्त्वादि गुणरूपी उपाधि से अर्वाच्छन्न न होकर अर्थात् उपाधि से रहित होकर अव्यक्त निर्गुण निराकार रूप से रहते हैं, तब वे निर्गुण निराकार कहलाते हैं और उपाधि से अवच्छिन्न युक्त होने पर तथा (साम्यासंगादि गुणों को धारण कर लेने पर) सगुण साकार कहलाते हैं।⁵ “जो परमार्थभूत ज्ञान, सत्य, विशुद्ध, एक, बाहर भीतर भेद रहित, प्रत्यक्, प्रशान्त, परिपूर्ण, अन्तर्मुख तथा निर्विकार हैं, वही भगवान् तथा वासुदेव शब्दों के द्वारा अभिहित होते हैं।⁶ ऐसी दृष्टि अद्वैत विद्वानों की है, तथा प्राकृत गुण गण हीन होने के कारण भगवान् निर्गुण हैं, और अचिन्त्य दिव्य-कल्याण गुण गणों के होने के कारण भगवान् सगुण हैं। ऐसी परिभाषा शैवाचार्यों और वैष्णवाचार्यों ने की है। इनकी दृष्टि से भगवान् सदा गोलोक, साकेत लोक, शिवलोकादि में साकार रहते हैं। उसी रूप में प्रयोजन विशेष से भूतल में प्रगट होते हैं। यद्यपि अद्वैतवादी और द्वैत वादियों में स्थूल दृष्टि से जो भगवान् के निर्गुण, सगुण रूपों में भेद दिखाई देता है, वह अपनी आराधना, साधना, उपासना पद्धति के कारण है। तत्त्वतः सभी उभय रूप को स्वीकार करते हैं। वस्तुतः भगवान् कैसे हैं, उनके क्रियाकलाप क्या हैं? इसे इदमित्थम् कोई नहीं कह सकता- इसीलिये तो वेद “नेति नेति” कहकर चुप हो जाते हैं। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है।⁷

वेदों में भगवान् के निर्गुण, निराकार और सगुण साकार स्वरूप के सम्बन्ध में विशेष विचार किया गया है तथा इन दोनों स्वरूपों (निर्गुण और सगुण) के प्रतिपादक अनेक मंत्र हैं। (यद्यपि बाह्य दृष्टि से चार स्वरूप- (1) निर्गुण, (2) निराकार,

(3) सगुण, (4) साकार हैं। परन्तु मुख्यतः दो ही स्वरूप हैं क्योंकि जो निर्गुण है वह निराकार होगा ही और जो सगुण होगा वह साकार होगा ही। इसलिए शब्दाधिक्य से बचने के उद्देश्य से दो स्वरूप मान कर निर्गुण और सगुण इन दो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है।)

वेदों में सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूप प्रतिपाद्य हैं। एक ही परमात्मा कार्यकारण वसात् सगुण भी है और निर्गुण भी है। निर्गुण शब्द का अर्थ ही है “निर्गतः गुणो यस्मात् स निर्गुणः” अर्थात् गुण जिससे निकल गया यानी पहले सगुण था गुण निकल जाने से निर्गुण हो गया। जैसे किसी को कहा जाय कि यह “गृहत्यागी” है। इसका अर्थ यही हुआ कि पहले गृह में (घर में) था, अब त्याग दिया यही बात निर्गुण, सगुण के संबंध में भी समझी जा सकती है। इसीलिये वेदों में जहाँ अनेक मंत्रों में भगवान् को निर्गुण कहा गया है जैसे “निर्गुणं-निष्क्रियं सूक्ष्म” (आध्यात्मनो) “साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च” (श्वेता. 6/11) “दिव्यो ह्यमूर्तः” (मुण्डकोपनिषद् 2/12) “निष्कलं निष्क्रियं शान्तं” (श्वेता. 6/16) “एकमे वाद्वितीयम्” (छा. उ. 6/2/1) “महानज आत्मा” (बृ.उ. 3/9/26) “असङ्गो ह्ययं पुरुषः” (वृहदारण्योपनिषद् 4/3/15) इत्यादि।

वैसे ही भगवान् को सगुण भी कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद् में कहा गया है कि अविनाशी अजन्मा भगवान् ने सृष्टि के आरम्भ में संकल्प किया कि मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ।⁸ एक ही परमात्मा जगत् रूप में प्रगट हो गये। इस प्रकार जगत् परमात्मा का आदि सगुण अवतार है।

यजुर्वेद मा.सं. तथा कुछ शब्दान्तर के साथ अथर्ववेद में कहा गया है— प्रजापति – विश्व की प्रजा

के पालक जगदीश्वर पुरुषोत्तम (अन्तः) मध्य में (चरति) विचरते हैं और गर्भ में, अजन्मा होते हुए भी बहुत प्रकार से राम—कृष्ण आदि सगुण रूपों में प्रगट होते हैं, उनके सगुण—साकार लीला विग्रह में उन प्रजापति के मूल निर्गुण निराकार रूपता को तत्त्वदर्शी भक्त ही देखते हैं। उस पुरुषोत्तम, जगदीश्वर—प्रजापति में ही सम्पूर्ण लोक अवस्थित है।⁹

श्रीमद्भागवत में वेद स्तुति के प्रारम्भ में शंका व्यक्त की गई कि— “भगवन्! ब्रह्मकार्य— कारणातीत है। सत्त्व, रज, तम ये तीनों गुण उसमें हैं नहीं। वह सर्वथा अनिर्देश्य है। मन और वाणी से संकेत रूप में उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। श्रुतियाँ गुणवृत्तिक होती हैं अर्थात् उनकी प्रवृत्ति सगुण में ही होती है। वे जाति, गुण, क्रिया सम्बन्ध का अथवा रूढ़ि का निर्देश करती हैं। ऐसी स्थिति में सत्—असत् से परे निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन श्रुतियाँ कैसे कर सकती हैं? क्योंकि निर्गुण के प्रतिपादन में उनकी पहुँच हो ऐसा नहीं प्रतीत होता है।¹⁰ इस शंका का प्रारम्भिक समाधान भागवत 10/87/2 में किया गया तथा श्रीमद्भागवत के अधिकृत विद्वान् श्रीधर स्वामी आदि विद्वानों ने उक्त दोनों स्थलों (शंका और समाधान) की जो व्याख्या की उससे स्पष्ट होता है कि भगवान् निर्गुण—निराकार और सगुण साकार सब कुछ हैं। इसी तरह भगवान् श्रीराम का श्रुतियाँ, स्तवन और गुणगान करते हुए कहती हैं, जिसे रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस तरह से व्यक्त किया है।¹¹

जीव निराकार हैं यह सभी जानते हैं, तब—जब निराकार जीव विभिन्न शरीर धारण कर सगुण—साकार हो सकता है। तब सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड और सम्पूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति, पालन और

संहार करने वाला परमात्मा स्वयं सगुण साकार नहीं हो सकता ऐसा कुतर्क तो महामूढ़ ही कर सकता है।

संदर्भ

1. अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो,
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव।
एकस्तका सर्व भूतान्तरात्मा
रूपं रूपं प्रतिरूपं बहिश्च। (कठो0 2/2/9)
2. मुनयः साधुपृष्टोऽहं भवद्भिर्लोक मंगलम्।
यत्कृतः कृष्ण सम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति॥
स वै पुंसां परोधर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे।
अहैतुक्य प्रतिहता ययाऽऽत्मा सम्प्रसीदति॥
(श्रीमद्भाग0 1/2/5-6)
3. अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परम्।
पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्॥
(भागवत् – 29/32)
4. वदन्ति तत् तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्जनमद्वयम्।
ब्रह्मेति परामात्मेति भगवन्निति शब्दते॥
(भाग0 1/2/11)
5. मां भजन्ति गुणाः सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकम्।
सुहृदं प्रियमात्मानं साम्यासंगादयो गुणाः॥
(भाग0 11/13/40)
6. ज्ञानं विशुद्धं परमार्थमेकमनन्तरं त्वबहिर्ब्रह्म सत्यम्।
प्रत्यक् प्रशान्तं भगवच्छब्द संज्ञं यद् वासुदेवं कवयो
वदन्ति॥ (भाग0 5/12/11)
7. नेति नेति जेहि वेद वखाना। (रामचरितमा0)
8. “सोऽकमायत् बहुस्यां प्रजायेयेति॥”
(तैत्ति. 2/6/4)
9. प्रजापतिश्चरित गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा
विजायते। –
तस्य योनिं पर पश्यन्ति धीरास्तस्मिन्
हतस्थुर्भुवनानिविश्वा॥ (यजु.मा. सं. 31/19)
10. ब्रह्मन् ब्रह्मण्यनिर्देश्ये निर्गुणे गुणवृत्तयः।
कथं चरन्ति श्रुतयः, साक्षात् सदसतः परे॥
(श्रीमद्भाग0 10/87/1)
11. जे ब्रह्म अजमद्वैतमनुभवगम्य मन पर ध्यावहीं।
ते कहहुँ जानहुँ नाथ हम तब सगुण जस
नितगावहीं॥ (रामचरितमा0 7/12/6)





प्राचीन भारत में दण्ड का स्वरूप

□ डॉ. गंगा मिश्रा*

दण्ड: अर्थ एवं नामकरण :-

राजशास्त्रकारों ने कोष के पश्चात् राज्य के आवश्यक अंग के रूप में दण्ड को स्थान प्रदान किया है।¹ कौटिल्य ने भी ज्यों का त्यों मनु का अनुगमन करते हुये कोष के ठीक पश्चात् दण्ड को महत्ता प्रदान की।² दण्ड के अभाव में कोष की रक्षा व अभिवृद्धि हो ही नहीं सकती। अतः कोष के उपरान्त दण्ड को स्थान दिया जाना उचित है दण्ड के अभाव में हम किसी भी प्रकार के सुख-शांति, धर्म एवं राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वी. के सरकार का इस सन्दर्भ में सूत्रवत कथन उद्धरणीय है। यहि दण्ड नहीं है तो राज्य भी नहीं है।³ यही कारण है कि प्राचीन भारतीय आचार्यों ने दण्ड को राजनीतिक जीवन में इतना अधिक महत्व दिया है कि उनके द्वारा स्थान-स्थान पर राजनीतिशास्त्र के पर्याय के रूप में दण्डनीति शब्द का प्रयोग किया गया है। जान स्पेलगन के शब्दों में दण्डनीति की मान्यता प्राचीन भारत द्वारा उत्पन्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारों में से एक थी।⁴ इतना ही नहीं दण्ड का अर्थ समझने के लिये के लिये स्पैलमैन ने मानव प्रकृति से सम्बन्धित भारतीय विचारों को समझना आश्यक माना है। प्राचीन भारतीय वाङ्मय में दण्डनीति को ज्ञान की एक शाखा तक माना गया है।⁵

मनुस्मृति में दण्ड शब्द शक्ति का प्रतीत है जिसके भय से लोग स्वकर्तव्य का पालन करते हैं।

महाभारत ने अन्यत्र दण्ड की परिभाषा करते हुये बताया है कि इस लोक में जिसमें अधिकार रहते हैं उसको ही दण्ड कहते हैं। अर्थात् दण्ड को ही इस जगत में सम्पूर्ण सत्ता प्राप्त है।⁶

सूत्रकारों के अनुसार दण्ड का उद्देश्य समाज की यथास्थिति की रक्षा करना है। निरुक्त में कहा गया है कि दण्ड शब्द "द" धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है रखना (रक्षा करना)। गौतम के अनुसार दण्ड शब्द दम (दमयति) क्रिया से लिया गया है। इस अर्थ में वह निरोधक है। वह उनका निरोध करता है जो स्वयं विरोध करता है जो स्वयं विरोध नहीं कर सकते। अतः इसे दण्ड कहते हैं। मत्स्यपुराण एवं अग्निपुराणा में भी दण्ड को ऐसा ही बताया गया है क्योंकि यह प्रतिरोध करता है और सजा देता है।⁷ दण्ड का मुख्य अर्थ छड़ी या अंकुश से लिया जाता है। परम्परागत रूप से इसको सत्ता या आज्ञा का प्रतीत माना गया है। दण्ड का अभिप्राय व्यापक अर्थों में सेना, युद्ध, जुर्माना, पुलिस शक्ति, न्यायिक दबाव आदि मान्यताओं से भी लिया जाता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बल को दण्ड कहा है किन्तु सुमन्त के मत से दण्ड का तात्पर्य है शरीर दण्ड या अर्थदण्ड वेचतुरंगिणी सेना की गणना कोष के अंतर्गत करते हैं।⁸ अमरकोष में साहस दण्ड व दम दण्ड के पर्याय बताये गये हैं।⁹

* ए.म. ए., पी-एच.डी., (राजनीतिशास्त्र)

दण्ड की आवश्यकता एवं सृष्टि :

दण्ड की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुये मनु का कथन है कि मानव समाज में धर्म परायण व्यक्ति दुर्लभ हैं। इसीलिए उन्हें कर्तव्य परायण रखने के लिये दण्ड आवश्यक हैं। मनुष्य ही नहीं बल्कि जड़ व चेतन आदि सब को स्वधर्म पालन हेतु बाध्य करने के लिये तथा सबके सुव्यवस्थित जीवन-यापन के लिये दण्ड की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि दण्ड के भय से ही सम्पूर्ण स्थावर और जंगम भोग को प्राप्त होते हैं और अपने-अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होते हैं। धर्म शास्त्रों में दण्ड की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुये स्पष्ट शब्दों में कहा गया है यदि राजा आलस्य छोड़कर दण्डनीय व्यक्तियों को दण्ड नहीं देता है, तो बलवान लोग दुर्बलों को उसी प्रकार पकाने लगते हे, जैसे मछलियों को लोहे के छड़ में छेदकर पकाया जाता है। कौवा पुरौडाश (यज्ञान्न) को खान लगता कुत्ता हविष्यान्न को चाटने लगता है किसी पर प्रभुत्व नहीं रह जाता है और नीच लोग ही बड़े बनने लगते है। दण्ड के अभाव या अनुचित प्रयोग से सभी वर्ण दूषित (वर्ण संकर) हो जाते हैं, सभी मर्यादयें छिन्न-छिन्न हो जाती हैं और सब लोगों में (चोरी, डाका, व्यभिचार आदि से) क्षोभ उत्पन्न हो जाता है।¹⁰

अतः प्राणिमात्र की रक्षा के लिये, सबको कर्तव्य परायण बनाये रखने के लिये, वर्णाश्रम धर्म की सुरक्षा के निमित्त एवं सभी मर्यादाओं की अभिरक्षा हेतु ईश्वर ने आत्मस्वरूप ब्रह्म तेज से निर्मित दण्ड की सृष्टि की। इसी आधार पर महाभरत आदि में भी दण्ड की अनिवार्यता एवं उत्पत्ति का प्रकाशन किया गया है। इस प्रकार प्रजानुरंजनार्थ एवं अराजकता से लोगों की रक्षा के लिये दण्ड की आवश्यकता दर्शाते हुये धर्मशास्त्रकारों ने राजा को सम्यक दण्ड देने का निर्देश दिया है।¹¹

दण्ड की प्रकृति :

दण्ड की प्रकृति धर्ममय है। दण्ड धर्म का आधार है। दण्ड धर्म का रक्षक है। इसीलिए दण्ड को ही धर्म कहा गया है।¹² मानव धर्मशास्त्र में दण्ड को ही राजा, पुरुष, नेता, शासनकर्ता एवं चारों आश्रमों के धर्म का प्रतिभू कहा गया है। महाभारत के अनुसार दण्ड इस लोक को शीघ्र सत्य में स्थापित करता है। धर्म सत्य में स्थित है। किसी व्यक्ति को दिया जाने वाला दण्ड उसे धर्म की मर्यादा में रखने के उद्देश्य से संचालित होता है। भीष्म की उक्ति है कि ब्रह्मा जी ने लोक रक्षा तथा स्वधर्म की रक्षा के लिये जिस धर्म का उपदेश किया था, वह दण्ड ही है। दण्ड के अभाव में समाज में धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं रह जाती है अतएव ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर महादेव जी ने धर्म की रक्षा के लिये अपने आपको दण्ड के रूप में प्रकट किया था और दण्ड के सहारे धर्माचरण होते हुये देखकर नीति स्वरुपा देवी सरस्वती ने दण्डनीजिकी रचना की। मानव धर्मशास्त्र में दण्ड के रुद्र रूप का उल्लेख मिलता है। यहां दण्ड को श्यामवर्ण, लाल नेत्रों वाला एवं पाप नाशक कहा गया है। साथ ही दण्ड की प्रकृति प्रजानुरंजनात्मक बताया गया है।¹³ उचित दण्ड से ही प्रजा प्रसन्न रहती है, अनुचित दण्ड नाश का कारण बन जाता है। अतः मनु ने दण्ड प्रयोक्ता को उचित दण्ड देने की बात कही है ताकि प्रजा प्रसन्न रहे यदि दण्ड योग्य व्यक्ति को दण्ड न दिया जाये या कम दण्ड दिया जाये तो अराजकता की भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाती है साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि यदि अधिक दण्ड दिया गया तो प्रजा रुष्ट हो जाती है।¹⁴

दण्ड सम्बन्धी इस विचार का समर्थन याज्ञवल्क्य एवं कौटिल्य ने भी किया है।¹⁵

दण्ड का आधार एवं उद्देश्य :

दण्ड का आधार शक्ति है। दण्ड के भय से ही लोग अपनी-अपनी सम्पत्ति (भोग) आदि का उपभोग करते हैं, वैसे तो स्वभावतः शुद्ध व्यक्ति दुर्लभ है। मानव क्या देव, दानव, गन्धर्व, राक्षस, पक्षी और सर्प आदि भी दण्ड के भय से पीड़ित होकर भोग वर्षा आदि करने के लिये प्रवृत्त होते हैं। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि दण्ड के पीछे किसी शक्ति का भय सर्वदा काम करता रहता है। प्रकारान्तर से शक्ति को ही दण्ड कहा जाता सकता है। इसी आधार पर दण्ड के अंतर्गत सेना, पुलिस, शस्त्रादि एवं न्यायिक निर्णय का उल्लेख किया जाता है क्योंकि इन सभी के पीछे किसी न किसी प्रकार के शक्ति (प्रयोग) का भय सर्वदा कायम रहता है। महाभारत में तो खड्ग, धनुष, त्रिशूल, चक्र, पाश आदि सभी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र को दण्ड के अंतर्गत रखा गया है।

इसी शक्ति के द्वारा न केवल अपराधी को दण्ड दिया जाता है बल्कि ऐसी परिस्थितियाँ भी पैदा की जाती हैं, जिनमें कोई अपराध ही न करे। इस दण्ड (शक्ति) के भय से ही मनुष्यादि जीव ही क्या वृक्षादि जड़ पदार्थ भी अपने-अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होते हैं। अस्तु, यह स्वतः सिद्ध है कि दण्ड का आधार शक्ति है।

दण्ड का मूल लक्ष्य प्रजा में आतंक फैलाना नहीं है बल्कि सारे समाज को सुरक्षा प्रदान करना है। अपराध तथा दुराचार को दूर करके समाज में अनुशासन स्थापित करना दण्ड का अभीष्ट है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समाज में धर्म की स्थापना करना दण्ड का मुख्य उद्देश्य है।¹⁶ इसी आधार पर नारद ने भी दण्ड का उद्देश्य जन-कल्याण माना है संक्षेप में हम कह सकते हैं कि धर्मशास्त्रकारों ने दण्ड को राज्य की शक्ति माना है तो धर्म की स्थापना को राज्य का उद्देश्य। तभी तो राजा धर्म (कार्य) सिद्धि के लिये बार-बार

अनेक रूप धारण कर दण्ड का प्रयोग करता है। इसी दृष्टि से जे. एच. गांगुली ने लिखा है कि दण्ड और धर्म का समन्वय होने पर ही दण्ड संस्कृति के विकास की संस्था एवं धर्म मानव के अंतिम लक्ष्य का प्रतिपादक बनता है। इस प्रकार दण्ड का उद्देश्य समाज में सुव्यवस्था स्थापित करते हुये धर्म की स्थापना करना है।¹⁷

संदर्भ स्रोत :

1. कोशदण्डों सुहृत्तथा। मनु0 9/294
2. कोशदण्ड मित्राणि प्रकृतयः।। अर्थशास्त्र, 6/1वार्ता।
3. पोकिटिकल इंस्टिट्यूसन्स एण्ड थ्योरीज आफ दी हिन्दू, पेज 198
4. पोलिटिकल थ्योरी आफ एन्सीएण्ट इण्डिया, पेज 807
5. दण्डनीति च शाश्वतीम्। मनु0 7/43
6. यस्मिन् हि सर्वभयात् स दण्ड इह केवलः 11 शान्तिपर्व, 211/8
7. गौतम. 11/28, मत्स्य पु0, 225/17, अग्नि पु0 226/16
8. दण्डः चतुरंग सैन्य नभवति। अपराधानुसारेण शारीरोर्थ दण्डः परिकल्पनीयः 1 स0वि0, पृष्ठ 46
9. साहसं तु दमोदण्डः 11 अमरकोष
10. मनु0 7/21-24
11. मनु0 7/14, याज्ञ0 1/354, शांतिपर्व 122/14-54, मनु0 7/19
12. दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वादय एवाभिरक्षति। दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्म विदुबुधाः।। मनु0 7/18
13. मनु0 7/17-25, शान्तिपर्व, 121/49
14. मनु0 7/20, शांतिपर्व, 123/28, याज्ञ0 1/357, अर्थ0 1/4
15. याज्ञ. 1 / 354, 1/357-359, अर्थ0 1/4/1
16. मनु0 7/22-23, कठकोपनिषद् 3/3, शांतिपर्व, 121/17-18
17. नारदस्मृति, 18/14, मनु0 6/10, फिलासफी ऑफ धर्मास, 1, एच. ओ. वाल्यू02, पेज, 15





मुगलकालीन शासन व्यवस्था का स्वरूप

- डॉ. (श्रीमती) प्रवीण पाण्डेय*
□ डॉ. अजय शंकर शुक्ल**

शोध सारांश

मुगल राजवंश का प्रादुर्भाव तुर्क तथा मंगोल खून से हुआ था। अतः उसकी शासन व्यवस्था में उनकी व्यवस्थाओं का सम्मिलन स्वाभाविक था। भारत में मुगल राजनीति एवं शासन व्यवस्था की शुरुआत बादशाह बाबर ने अवश्य की थी, परन्तु उसे व्यवस्थित रूप बादशाह अकबर ने दिया था। उसने जो शासन व्यवस्था व राजनीति चलाई प्रायः वही शासन व्यवस्था व नीति उसके उत्तराधिकारी जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब तक चलती रही। समय-समय पर इस शासन व्यवस्था व राजनीति में मुगल राजवंश से संबंधित महिलाओं ने भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका का निर्वाह किया और कभी-कभी तो उन्होंने शासन का संचालन भी किया था। इस दृष्टि से मुगल शासन व्यवस्था में महिलाओं के महत्व को नकारा नहीं जा सकता।

शब्द बीज : मुगल कालीन शासन व्यवस्था राजनीति संचालन स्त्री।

प्रस्तावना

दिल्ली सल्तनत के विघटन का एक प्रमुख कारण विदेशी आक्रमण था। इन्हीं आक्रमणकारियों में एक था बाबर जिसने भारत में एक नए राज्य का सूत्रपात किया। और एक नई वंश की नींव डाली। यह वंश अगले 200 वर्षों तक भारत का सरताज बना रहा। भारत में मुगल सत्ता के संस्थापक बाबर का जन्म 1483 ई. में फरगना में हुआ था।¹ उसकी नसों में एशिया के दो पराक्रमी एवं लड़ाकू

विजेताओं का रक्त था। पितृ पक्ष से उसका संबंध तैमूर से था और मातृ पक्ष में चंगेज खां से। उसका पिता उमर शेख फरगना का शासक था। जब बाबर 11 वर्ष का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। अतः उसका बाल्यकाल दुःख और कठिनाई में बीता। उसे अल्पायु में ही फरगना का राज्य भार सम्भालना पड़ा। फिर भी उसने कठिनाइयों का बड़े धैर्य और साहस के साथ सामना किया। विभिन्न समस्याओं के बावजूद बाबर की महत्वाकांक्षा अपने

* शासकीय शहीद केदारनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मऊगंज, जिला-रीवा (म.प्र.)

** शासकीय महाविद्यालय गोबिन्दगढ़, जिला-रीवा (म.प्र.)

पूर्वज तैमूर के सिंहासन पर बैठने की थी। वह कुछ समय के लिए ही सही, पर अपनी महत्वाकांक्षा में सफल भी हुआ। बाबर अपने को तैमूर का वंशज होने पर गर्व था। उल्लेखनीय है कि मंगोलों की पारिवारिक कलह ने तैमूर को मध्य एशियाई क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित करने में प्रेरणा दी थी। ठीक उसी प्रकार भारतवर्ष में अफगानों की फूट और दलबंदी ने बाबर को भारत विजय की ओर अग्रसर किया।

बाबर बुद्धिमान था। उसे अवसर का लाभ उठाना आता था। अवसर पाकर उसने समरकन्द को जीत लिया। उधर उसके एक मंत्री ने उसके छोटे भाई जहांगीर को फरगना की गद्दी पर बैठा दिया। बाबर के सामने विकट स्थिति थी, आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति निर्मित हो गई थी। वह फरगना की ओर बढ़ा तो समरकन्द उसके हाथ से निकल गया। अब तक वह अपना पैतृक एवं विजित दोनों राज्य खो चुका था। वह बेघर हो गया था। अपने सवा वर्षों का उपयोग उसने अपने को संगठित करने में लगाया। अल्पायु में ही बाबर ने सैनिक कला का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वह मंगोलों, उजबेगों तथा तैमूरी मिर्जाओ की रणनीतियों से भली भांति परिचित हो गया था। 1499 ई. में उसने पुनः फरगना जीत लिया और उसके दूसरे वर्ष समरकन्द को भी जीत लिया। दो वर्षों के अंतराल में वे राज्य उसके हाथ से फिर से निकल गए। अंततः 1502 ई. में बाबर अपनी मातृभूमि को अलविदा कह किस्मत के सहारे हिन्दकोह को पार कर काबुल की ओर बढ़ना चाहा।

इधर काबुल की स्थिति चिन्ताजनक थी। काबुल के शासक की मृत्यु हो चुकी थी और उसके उत्तराधिकारियों की कमजोरी के कारण काबुल राज्य में अराजकता व्याप्त था, इसलिए 1504 ई. में बिना किसी विशेष कठिनाई के काबुल पर

अधिकार कर लिया।² काबुल पर अपना अधिकार करने के बाद भी बाबर की वर्षों से दबी इच्छा अब हिलोरे मार रही थी। वह समरकन्द को पुनः प्राप्त करना चाहता था और उसे पाने की लालसा अभी भी बाबर के मन में जागृत थी। अब तक उसने समरकन्द की गद्दी पर बैठने का स्वप्न नहीं छोड़ा था। उसके पुराने शत्रु शैबानी खां की मृत्यु हो जाने के बाद उसे समरकन्द को जीतने का सुअवसर मिला। ईरान के शाह की सहायता से उसे सफलता भी मिली। किन्तु उसके भाग्य में ज्यादा समय तक तैमूरी सिंहासन पर बैठना न लिखा था। उजबेग नेता औवेदुल्ला ने उसे समरकन्द से भगा दिया। अंततः बाबर को समूचे ट्रांस आक्सियाना के क्षेत्र से ही भागना पड़ा।³ इस प्रकार समरकन्द बाबर के लिए बार-बार स्वप्न ही बना रहा। किन्तु उसकी लालसा अभी एक कोने सुसुप्तावस्था में पड़ी रही। बाबर पुनः काबुल लौट पड़ा।

समरकन्द पर अन्तिम प्रयास के पूर्व जब बाबर ने 1504 ई. में काबुल विजय पूर्ण कर ली तो उसके बाद सन् 1507 ई. में उसने अपने पूर्वजों द्वारा प्रयुक्त की जा रही उपाधि “मिर्जा” और “सुल्तान” को त्याग दी। “मिर्जा” का अर्थ मीर या अमीर का वंशज और अमीर से अभिप्राय था। तैमूर खां से जो चंगेजखानी शासक का अमीर था, न कि स्वतंत्र शासक। जब तक तैमूर वंश के शासकों ने सुलतान और मिर्जा का प्रयोग किया, वे प्रभुता सम्पन्न स्वतंत्र शासक नहीं थे। उन्होंने अपनी प्रभुता और स्वतंत्रता की घोषणा भी नहीं की थी।⁴ किन्तु बाबर ने अब तक प्रयुक्त की जा रही उपाधि को उसके वंशजों ने भी अपनाया। बाबर के द्वारा इस उपाधि को धारण करने का कारण संभवतः अन्य लोगों से सर्वोच्च रहने की भावना थी।

बाबर के आगमन के पूर्व भारत की राजनैतिक स्थिति—

बाबर के भारत आक्रमण के समय भारत कि राजनैतिक स्थिति लगभग उसी तरह की थी जैसे तुर्कों के आगमन के समय थी। समाज का राजनीतिक जीवन अस्त व्यस्त तथा अशांतमय था। उस समय भारत में अनेक छोटे बड़े राज्य थे जोकि आपस में लड़ा करते थे। आपसी वैमनस्यों, षड्यंत्रों तथा हत्याओं का दौर चल रहा था। कोई भी ऐसा शक्तिशाली राज्य नहीं था, जो एक एक कर सभी को एक राजनीतिक सूत्र में पिरो सके। यद्यपि लोदी शासकों ने उत्तरी भारत को एक करने का प्रयत्न किया किन्तु असफल रह। आपसी संघर्ष इतने तीव्र थे कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए राष्ट्र विरोधी कार्य करने से भी नहीं हिचकिचाते थे। अपनी झूठी शान और यश के खातिर छोटी-छोटी बातों पर वे आपस में लड़ पडते थे। उस समय उत्तरी अथवा दक्षिणी भारत में कोई ऐसा सम्राट नहीं था जो बाबर का सामना कर सके। अगर हम डा. ईश्वरी प्रसाद के शब्दों में कहे तो “सोलहवीं सदी के प्रारंभ में भारत राज्यों का एक संग्रह था और किसी भी आक्रमणकारी को जिसमें विजय करने की शक्ति तथा दृढता होती, बड़े आराम से शिकार बन सकता था।”⁵ बाबर ने अपनी आत्मकथा में तात्कालिन सात बड़े राज्यों का उल्लेख किया है। ये राज्य दिल्ली, गुजरात, बहमनी विजय नगर, मालवा, बंगाल तथा मेवाड़ थे।⁶ उपरोक्त राज्यों के अलावा कई छोटे-छोटे राज्य भी थे।

भारत की छिन्न-भिन्न राजनीतिक स्थिति के अलावा भारत के वैभव सम्पदा ने भी बाबर को भारत आने को आकर्षित किया।

बाबर का भारत में पदार्पण एवं मुगल सत्ता की स्थापना—

जब बाबर को यह विश्वास हो गया कि वह मध्य एशिया के प्रदेशों पर कभी अधिकार न कर सकेगा, तब उसने उत्तरी भारत की ओर ध्यान देना शुरू किया। अब तक बाबर सामरिक शिक्षा प्राप्त कर चुका था। ईरानियों से उसने तोपों का प्रयोग तथा उजबेगों से तुलुगमा की समर नीति सीखी थी। जिसका उपयोग उसने पानीपत तथा खानवा के युद्ध में बड़ी सफलता के साथ किया।

भारत पर बाबर का पहला आक्रमण बाजौर पर था। जिसे बाबर ने हस्तगत कर लिया। तत्पश्चात भेरा नामक स्थान को जीत लिया।⁷ बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण करने से पूर्व निकटवर्ती प्रदेशों पर अपनी स्थिति सुदृढ कर ली। उधर दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी अयोग्य तथा घमण्डी था। सभी अफगान सरदार उसे घृणा करते थे। उसके दुर्व्यवहार से तंग आकर पंजाब का शासक दौलत खां लोदी ने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया। ठीक दूसरी ओर इब्राहिम के चाचा आलम खां तथा मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह ने भी बाबर को आमंत्रित किया। बाबर ने इन निमंत्रणों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसने अपनी स्थिति सुरक्षित करने के उद्देश्य से लाहौर पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लिया।⁸ दौलत खां और आलम खां ने ईमानदारी से बाबर का साथ नहीं दिया। वह काबुल लौट गया और सैनिक तैयारी में जुट गया अगले वर्ष पुनः आक्रमण कर सीमांत पंजाब को हस्तगत कर लिया। ऐसा करने से बाबर का दिल्ली पर आक्रमण करने का रास्ता साफ हो गया।

पंजाब को अपने अधिकार में लेने के पश्चात् बाबर एक विशाल सेना तथा साजो समान के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। अप्रैल 1526 ई. में पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं आ डटीं। बाबर का तुलुगमा तथा तोपखाने का प्रयोग इब्राहिम की सेना पर भारी पड़ा। वह बहादुरी के साथ लड़ता हुआ मारा गया। और दिल्ली की सेना के पाँव जल्द ही उखड़ गये।⁹

दिल्ली विजय के पश्चात् बाबर को हिन्दुस्तान का स्वामी होने से पहले एक अत्यंत पराक्रमी तथा भयंकर शत्रु का सामना करना था। मेवाड़ का शासक राणा संग्राम सिंह उत्तरी भारत का शक्तिशाली राजपूत शासक था। राणा संग्राम सिंह उत्तरी भारत में राजपूत सत्ता को पुनः स्थापित करना उसका स्वप्न देख रहा था। उसने जब बाबर को आमंत्रित किया तो उस समय उसका विचार था कि लूटपाट करने के बाद बाबर वापस लौट जायेगा और उसे दिल्ली की गद्दी पर बैठने का सुअवसर मिल जायेगा। दोनों के बीच संधि हो गई थी। किन्तु महत्वाकांक्षाओं के टकराव ने दोनों को शीघ्र ही खानवा के मैदान में आमने-सामने कर दिया।¹⁰

सर्वोच्च सत्ता के विषय में मुगलों की धारणा—

भारत में अपनी जड़ों को अच्छी तरह से जमाने के बाद उसके समक्ष अब कोई राजनीतिक समस्या नहीं थी। इतने बड़े साम्राज्य का वह स्वामी था। बाबर अपने इस नये साम्राज्य को अपने पुत्रों और परिवार के लिए सुरक्षित करना चाहता था। क्योंकि तात्कालिन परिस्थितियों में सत्ता का हस्तान्तरण बड़ी तेजी के साथ होता था। ऐसी स्थिति न आये इसलिए बाबर एक राजकीय सिद्धान्त

स्थापित करना चाहता था। जो कि तात्कालिक अफगान राजसत्ता के सिद्धान्त से अलग हो। अफगान राजसत्ता के अनुसार राजा सरदारों का सरदार था। अफगान के इस सिद्धान्त से निकट भविष्य में संकट उत्पन्न होने का डर था। बाबर इस तरह का कोई भी संकट नहीं आने देना चाहता था। तभी तो उसने 1507 ई. में ही अपने पूर्वजों के द्वारा प्रयुक्त “मिर्जा” और “सुलतान” की उपाधि का त्याग कर उसके स्थान “बादशाह” की उपाधि धारण की।¹¹ बाबर के द्वारा इस तरह की उपाधि धारण करने के पीछे उसका मत रहा होगा कि लोगों को यह ज्ञात हो जाये कि वह अपने पूर्व के समय के सुल्तानों की तरह नहीं बल्कि उसकी सत्ता उनके कहीं अधिक बढ़कर है। बाबर की मान्यता थी कि राजा को ईश्वर से ही शक्ति तथा सत्ता प्राप्त हुई है। बाबर ने राजसत्ता के लिए तात्कालिन भारत में प्रचलित “दैवीय अधिकार” को अपनाया जो कि उस समय के लिए सर्वदा अनुकूल था बाबर का राजा और राजसत्ता का मत हिन्दू विचारधारा के काफी करीब था। बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूँ ने भी “बादशाह” का पद धारण किया। अकबर ने भी अपने पूर्वजों के पदचिन्हों पर चलने हुए “बादशाह” का पद धारण किया। इसके साथ ही अकबर ने सन् 1577 ई. में खलीफाओं का अनुसरण करते हुए अपने नाम का खुतमा पढ़वाया। साथ ही सन् 1579 ई. में मजहर की घोषणा कर इमाम, आदिल, अमीरुल, मोमिनीन और मुज्तहदि आला की उपाधियाँ धारण की। ऐसा करने से वे धार्मिक नेता की श्रेणी में आ गये।¹² अकबर के उत्तराधिकारियों ने भी किसी भी आन्तरिक या बाह्य शक्ति की अधीनता या श्रेष्ठता स्वीकार नहीं की। वे अपने आपको पूर्ण स्वतंत्र और प्रभुता

सम्पन्न मानते रहे। मुगलों की मान्यता रही कि “राजा एक सामान्य मानव रो कहीं ऊपर है।” अपने कार्यों के द्वारा भी उन्होंने यही सिद्ध करने की कोशिश की। पद की गरिमा और उसका आकर्षण बनाये रखने की दिशा में विशेष प्रयत्न भी किये।

मुगल राजनीति का सैद्धांतिक व व्यवहारिक पक्ष—

कुरान के अनुसार बादशाह सच्चे उपासकों का एक मात्र नायक और अपने कर्तव्यों के उचित पालन में मुस्लिम महासभा के प्रति उत्तरदायी था। किन्तु उस पर नियंत्रण रखने वाली अथवा उसके कार्यों को समझने वाली, जनता के प्रति उत्तरदायी, सभा या मंत्रिपरिषद् की भाँति कोई वैधानिक वस्तु किसी भी मुस्लिम देश में न थी। और न किसी ने इसका अनुमान ही किया था। मुस्लिम राज्य सचमुच एक सैनिक राज्य था और और अपनी सत्ता के लिए बादशाह के निरंकुश अधिकारों पर आश्रित रहता था। वही सेना का प्रधान सेनापति होता था। बादशाह की निरंकुशता पर नियंत्रण के लिए मुस्लिम जगत् में सिद्धांत रूप में नियम का अभाव था। यद्यपि व्यवहार में बादशाह के कार्य मुस्लिम सैन्य दल के भय तत्कालीन सामाजिक घृणा उत्पन्न करने की उसकी अनेच्छा से प्रभावित थे। सम्राट ने कुरान के नियमों का उल्लंघन किया है, फलतः वह राज्य करने के लिए अयोग्य है और सिंहासन से उसे हटा दिया जाये। ऐसा निर्णय देने के संबंध में बहुत से उलेमा निःसंदेह स्वतंत्र थे। परन्तु इस प्रकार के निर्णय को लागू करने का एक मात्र साधन विद्रोह ही था। कोई वैधानिक समिति नहीं थी, जो शांतिपूर्वक एक बादशाह को राजगद्दी से हटा देती तथा दूसरे को सिंहासनारूढ़ करा देती।

एक अत्याचारी बादशाह को हटाने में सफलता का अर्थ एक बहुत बड़ी सैनिक शक्ति के साथ गद्दी पाने के एक-दूसरे झूठे अधिकारी का उदय था। राज्य की स्थायी सेना वस्तुतः बादशाह की राजाज्ञा का पालन करने के लिए ही बाध्य थी, न कि उलमाओं और मंत्रिपरिषद् की।

मुगलों के पास कोई स्थायी मंत्री परिषद् न थी। सम्राट के बाद वजीर अथवा दीवान ही राज्य का सबसे बड़ा अधिकार था, किन्तु दूसरे अधिकारी किसी भी अर्थ में उसके सहयोगी न थे। वे निश्चित रूप से उससे निम्न श्रेणी के थे और मंत्री कहलाने की अपेक्षा सचिव कहलाने के अधिकारी थे। क्योंकि उनके कार्यों को वजीर दुहरा सकता था। राजाज्ञा प्रायः उसी के द्वारा उन लोगों तक पहुँचती थी। राज्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्राट और वजीर दूसरे मंत्रियों के बिना ही स्वतः तय कर लेते थे। बादशाह की राजेच्छा को न तो निम्न श्रेणी के मंत्री और न ही वजीर नियंत्रित कर सकते थे। इस प्रकार मुगल राजनीति का व्यावहारिक पक्ष व्यक्ति विशेष का शासन था।

बादशाह के मंत्री उसके सचिव मात्र थे। वे प्रत्येक कार्य में राजेच्छा की पूर्ति किया करते थे। साधारण अनुरोध एवं अंतर्निहित चेतावनी के अतिरिक्त वे बादशाह की नीति को कभी भी प्रभावित नहीं कर सकते थे। संक्षेप में बादशाह की सुसुप्तावस्था में ही मंत्री राज्य संचालन करते थे। इस प्रकार का कार्य मंत्रियों द्वारा सचमुच विधान की आत्मा के विरुद्ध था।

मुगल बादशाह की अपरिमित शक्ति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वह राज्य और धर्म दोनों का प्रधान था। प्रत्येक मुगल शासक विशुद्ध सैद्धांतिक दृष्टि से उस समय का

खलीफा अथवा पैगम्बर का अतिनिकट उत्तराधिकारी था। जब तक वह उलेमाओं के निर्णय से हटाया नहीं जाता था, तब तक उसकी शक्ति महान् थी। मुगल बादशाहों को दो प्रकार के कर्तव्यों का पालन करना पड़ता था। एक तो शासक की तरह उन्हें अपने राज्य की समस्त जनता पर शासन करना था और दूसरा सम्प्रदाय विशेष के धर्म का प्रतिनिधि या धर्मरक्षक होना पड़ता था।

शासन चाहे राजतंत्र का हो या फिर जनतंत्र का हो। उस शासन को अकेले कोई भी नहीं चला सकता है। शासन के कार्यों को चलाने के लिए कई व्यक्तियों के सहयोग की जरूरत होती है। तभी शासन का कार्य सुचारु रूप से चल सकता है। शायद यह बात प्राचीन समय में शासन करने वाले शासकों को ज्ञात थी। तभी तो उन्होंने अपने अधीनस्थ कई लोगों को विभिन्न प्रकार के कार्य देकर के उनसे सहयोग की अपेक्षा करते थे। भारत के हिन्दू राजाओं ने भी अपने अधीनस्थ लोगों को जिम्मेदारियाँ देकर के शासन कार्यों में उनसे सहयोग लिया करते थे।

संदर्भ

1. बी.एन. लूनियों – मुगल कालीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास पृ. 937
2. सैयद् ए0ए0 रिजवी अनुवादित – मुगल कालीन भारत बाबर पृ. 365
3. प्रोफेसर राधेश्याम – म0प्र0 सं0 सं0 पृ. 220
4. प्रोफेसर राधेश्याम – मध्यकालीन प्रशासन समाज एवं संस्कृति पृ. 220
5. बी.एन. लूनियों – मुगल कालीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास पृ.650
6. बृजरत्नदास अनुवादित – जहाँगीर का आत्मचरित्र पृ. 249
7. ए0एल0 श्रीवास्तव– मुगल कालीन भारत पृ. 374
8. मथुरा लाल शर्मा अनुवादित– (लिगट–डाउसन) भारत का इतिहास पृ. 137–130
9. हरि शंकर श्रीवास्तव– मुगल शासन प्रणाली पृ. 36–37
10. हरिशंकर श्रीवास्तव– मुगल शासन प्रणाली पृ. 37
11. हरिशंकर श्रीवास्तव– मुगल शासन प्रणाली पृ. 37
12. सैयद् ए0ए0 रिजवी अनुवादित – मुगल कालीन भारत बाबर पृ. 365





महिलाओं की सुरक्षा में मध्यप्रदेश सरकार के निर्णायक कदम

□ डॉ. अखिलेश कुमार गुप्ता*

शोध सारांश

किसी भी राज्य की खुशहाली में महिलाओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान उल्लेखनीय होता है। यह तथ्य सर्वविदित है कि महिलाओं की कार्यक्षमता किसी भी मायने में पुरुषों से कम नहीं होती है। और ऐसा वे सिद्ध भी कर चुकी हैं कि सबल राज्य के निर्माण में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सभी बातें उस तथ्य पर निर्भर करती हैं कि हमारा राज्य और समाज महिलाओं को कौन सा स्थान देता है। यदि समाज पारस्परिक रूढ़ियों के बंधन में जकड़ कर उन्हें अपने प्राप्त अधिकारों से वंचित रखता है और प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को अस्वीकार करता है तो इसका समाज एवं राज्य के विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसके विपरीत यदि समाज में पुरुष के समान अधिकार दिए जाएं और उनकी भूमिका को महत्व दी जाए, उनके शिक्षा का प्रसार होता रहे तथा प्रत्येक क्षेत्र में उनकी सक्रियता बनी रहे, तो राष्ट्र अवश्य विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रसर होगा।

“महिला केवल मासपिण्ड की संज्ञा नहीं है आदिम काल से आज तक विकास पथ पर पुरुष का साथ दे कर उसकी यात्रा को सरल बनाकर उसके अभिशापों को स्वयं झेल कर अपने वरदानों से जीवन में अक्षय शक्ति भरकर, मानवी ने जिस व्यक्तित्व, चेतना एवं हृदय का विकास किया है, उसी का पर्याय महिला है।”

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश जैसे राज्य का यह दुर्भाग्य ही है कि यहां एक ओर देवी के रूप में महिलाओं की वंदना की जाती है तो ठीक दूसरी ओर यथार्थ के धरातल पर महिलाओं की स्थिति काफी चिंताजनक है। महिलाओं के अधिकार का कोई महत्व नहीं है। हमेशा सुरक्षा की दृष्टि से महिलाओं का डर बना रहता है। शहरीय हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र में

महिलाओं के महत्व को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया जाता है। इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार ने महिला सुरक्षा के प्रति हो रहे अपराध पर लगाम लगाने के लिए तेजी से निर्णय लिए हैं। महिलाओं को सतर्क रखने और उनकी सुरक्षा के लिहाज से मध्यप्रदेश सरकार ने कई सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं फिर भी महिलाएँ असुरक्षित हैं।

* अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म.प्र.), मो. 8349220776

2011 की जनगणना के अनुसार हमारे राज्य में महिलाओं की कुल जनसंख्या 35014503 है। महिलाओं द्वारा श्रम में बराबर का योगदान देने के बावजूद ये न केवल उद्देशित है बल्कि अत्यधिक शोषण की शिकार भी है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज में पुरुषों और महिलाओं में भेद किया जाता है, यह सर्व विदित है कि महिलाएँ पुरुषों से प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने की ज्यादा सामर्थ्य रखती हैं फिर भी अब तक महिलाओं को पुरुषों से हीन समझा जाता रहा है, उनकी क्षमताओं को दबाया जाता रहा है। आजकल हमारे समाज, राज्य और राष्ट्र में महिलाओं को अधिकार दिये जाने की बात कही जा रही है कई निर्णायक कदम शासन के द्वारा चलाये जा रहे हैं, फिर भी महिलाएँ अपने अधिकार से अनजान हैं, जबकि महिलाओं ने आज तक किसी भी प्रकार के अधिकार या सुविधा की मांग नहीं की है यहां तक कि समाज के साथ-साथ देश के विकास के लिए भी काम आ रही है। कुछ महिलाओं को इतना भी ज्ञात नहीं है कि उनके कार्यों से देश, राज्य का विकास हो रहा है ऐसे में राज्य या समाज का यह परम कर्तव्य है कि इन महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाय, उनमें ऐसी भावनाओं का विकास किया जाय, जिससे ये समझ सकें कि उनसे राज्य का विकास सम्भव है।

सरकार यह स्वीकार करती है कि महिलाएँ देश में कार्य बल का एक प्रमुख हिस्सा हैं और उनकी पूर्ण तथा सक्रिय भागीदारी के बिना गरीबी उपशमन के लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन है। राज्य के विकास की प्रक्रिया में महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है, अतः उन्हें विकास की धारा में लाना सरकार का मुख्य लक्ष्य रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने तथा महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए उचित नीतियों एवं कार्यक्रमों, विभिन्न स्तरों पर

संस्थागत तंत्रों तथा पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के जरिए एक उपर्युक्त वातावरण का निर्माण किया गया है।

नेतृत्व

स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं के नेतृत्व में काफी परिवर्तन आया है। अब महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में काम करने की सामर्थ्य रखती हैं। महिलाएँ अपने घरों को तो सवारती ही हैं साथ में बाहर खेत, खलिहानों में भी कार्य करती हैं। और उद्योगों में पुरुषों के साथ उनसे ज्यादा मेहनत वाला काम करती हैं। अब तो महिलाएँ जब से अपने अधिकार व नेतृत्व के बारे में जान गई हैं तब से महिलाएँ राजनीति, समाज, कृषि जैसे क्षेत्रों में नाम ऊँचा की हैं। और अब युद्ध लड़ने तक के लिए दुश्मनों के प्रति तैयार हैं। यहाँ तक कि सरकार की कमजोर नीति एवं अपराधों से बचाव के लिए महिलाओं ने बन्दूक तक उठा ली है। जिले के तराई अंचल में रहने वाले गाँव के लोग इन दिनों खौफ के साये जीवन गुजार रहे हैं। हालत यह है कि अपने और गाँव, घरों की सुरक्षा के लिए खुद की हथियार उठा लिया है। इनती ही नहीं पुरुषों के साथ काम में जाने के बाद यह सुरक्षा का जिम्मा महिलायें भी बखूबी निभा रही हैं। मानव सभ्यता के इतिहास में महिला अस्मिता उसके समान अधिकार और स्वतंत्रता का प्रश्न सदा से ही उलझनपूर्ण रहा है 'यत्र नारयस्तु पूज्यन्ते' में बदलाव के लिए हमारी सोच कहीं न कहीं जिम्मेदार है। आज धर्म, दर्शन, शिक्षा, राजनीति सब क्षेत्रों में नारी चेतना, नारी मुक्ति एवं नारी अस्तित्व का अनुसंधान किया गया है, जिसमें महिलायें पूर्ण रूप से सहयोग की हैं।

'स्त्री ही स्त्री की सबसे बड़ी शत्रु है' यह एक चुनौती है क्योंकि महिलाओं की समस्या निराकरण हेतु महिलाओं को ही आगे आना होगा तभी अति उन्मुक्तता, अतिपरिकीयता, जो भारतीय परिवेश व पारिवारिकता के विरुद्ध है, पर लगाम लग सकती

है। लक्ष्मण रेखा लगने के बाद वांछित लक्ष्य आशानी से नहीं मिलता इस लिए महिला अपने नैतिक जिम्मेदारी को समझे और शासन के सरकारी प्रयासों से सुविधाओं का लाभ उठाये एवं अपनी आंतरिक सोच में परिवर्तन लाकर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं में साहस का प्रचार-प्रसार करें। और आत्मिक रूप से निर्भीकता, आर्थिक स्वावलम्बिता, विधिक साक्षरता एवं सहायता से इस जागृत को सही दिशा व गति भी प्रदान करें।

महिलाओं के लिए बने कानून :

पिछले दशकों में स्त्रियों का उत्पीड़न रोकने और उन्हें उनके हक दिलाने के बारे में बड़ी संख्या में कानून पारित हुए हैं। अगर इतने कानूनों का सचमुच पालन होता तो मध्यप्रदेश में स्त्रियों के साथ भेदभाव और अत्याचार अब तक खत्म हो गया होता, लेकिन पुरुष प्रधान मानसिकता के चलते यह संभव नहीं हो सका है।

आज हालात ये हैं कि किसी भी कानून का पूरी तरह से पालन होने के स्थान पर ढेर सारे कानूनों का थोड़ा सा पालन हो रहा है लेकिन मध्यप्रदेश में महिलाओं की रक्षा हेतु कानूनों की कमी नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनी समानता अनुच्छेद 15 (3) में जाति, धर्म एवं स्थान आदि के आधार पर भेद भाव न करना, अनुच्छेद 19 (1) में समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में स्त्री एवं पुरुष दोनों को प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से वंचित न करना, अनुच्छेद 23, 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार संवैधानिक रूप से प्राप्त, अनुच्छेद 39 (घ) में पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों को समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज्य संस्थाओं व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था, अनुच्छेद 41 में बुढ़ापा, बीमारी और अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में सहायता पाने का अधिकार,

अनुच्छेद 33 क में प्रस्तावित 84 वे संविधान के जरिए लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था, अनुच्छेद 332 क में प्रस्तावित 84 वे संविधान संशोधन के जरिए राज्यों की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।

म.प्र. में महिला अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने तेजी से निर्णय लिये हैं। महिलाओं को सतर्क रखने और उनकी सुरक्षा के लिहाज से राज्य सरकार ने कई सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। प्रदेश में महिला थाना से लेकर सोशल मीडिया पर लोकेशन ट्रेस करने की सुविधा प्रदान की है। महिला डेस्क, सोशल मीडिया, हेल्पलाइन 1090, निर्भया प्रोटोलिंग, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, पत्ररट ट्रेक कोर्ट Mpecop मोबाइल एप के माध्यम से महिलाओं के अपराध को नियंत्रण के लिए बनाया गया है।

योजनाएँ एवं कार्यक्रम

वर्तमान में मध्यप्रदेश शासन द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नगरीय निकायों के पंचायत में 50 प्रतिशत आरक्षण किया गया है। महिलाओं को सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, सरकार के अनुसार महिला जनहितैसी कार्यों के लिए धन की कमी नहीं आने दी जायेगी परन्तु राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुसरण, प्रेरणादायक निर्देशन, कुशल संचालन एवं नैतिकता जैसे गुणों की आवश्यकता होती है। महिलाओं को आरक्षण के बल पर शासन के सभी योजनाओं का लाभ देने के लिए योजनाएं लागू की गई हैं, जिससे कि महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि में सुधार लाने के लिए प्रयास किया गया है। अतः राज्य में लायी जा रही प्रमुख योजनाएँ एवं कार्यक्रम जिसमें राज्य सरकार की भागीदारी रहती है वे निम्न हैं :-

1. स्वावलम्बी योजना 1982।

2. महिला सामाख्या 1989।
3. बालिका समृद्धि योजना 1997।
4. स्वयं सिद्ध योजना 2001।
5. जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना 2003।
6. जननी सुरक्षा योजना 2006।
7. आशा योजना 2005।
8. उज्ज्वला योजना 2007।
9. इंदिरागांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 2007।
10. पंचधारा योजना।
11. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना।
12. सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रम 1958।
13. जागरूकता कार्यक्रम 1986-87।

सुझाव :- महिलाओं की सुरक्षा व राज्य के एकीकृत विकास के लिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि पहले उन अवरोधों को दूर किया जाये जो कि महिला विकास के पथ पर है, और उन्हें दूर करने के प्रयास दिली हो न कि औपचारिक व कागज। जब महिलाएँ सबल व सशक्त होकर विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगी तब राज्य का सार्थक विकास होगा। जब हमे महिलाओं के सुरक्षा की दृष्टि पर विशेष रूप से ध्यान देनी होगी तभी राज्य की प्रत्येक महिला न केवल शिक्षित होगी बलिक जागरूक भी होगा। उन्हें सम्मान जनक स्थिति तक ले जाना हमारा कर्तव्य है।

महिलाओं की स्थिति में सुधार के प्रयास हेतु शोधार्थी का निम्न सुझाव है—

1. सर्वप्रथम महिलाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा कर देनी चाहिए।
2. महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकतानुसार वे जीविका अर्जन कर सके।
3. महिलाओं का शोषण और उत्पीड़न रोकने के लिए उन्हें संगठित होकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देनी चाहिए।

4. शिक्षा के साथ-साथ जूड़ो कराटे का प्रशिक्षण तथा कानूनी अधिकारों की जानकारी, यौन उत्पीड़न कानून आदि की जानकारी देनी चाहिए।
5. अधिक से अधिक महिला थाना व परिवार परामर्श केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए।
6. महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान कानूनी और वास्तविक रूप से मानवाधिकार हासिल हो।
7. महिलाओं को अपनी मानसिक प्रवृत्ति में परिवर्तन लाना होगा इससे उनके आत्म विश्वास में वृद्धि होगी।
8. पुरुषों को भी पुरानी सोच छोड़कर महिलाओं को समानता का दर्जा देना होगा।
9. दहेज, बलात्कार व उत्पीड़न के लिए कठोर से कठोर दंड तत्काल दिया जाना चाहिए।

**‘शक्ति के विद्युत कण, जो वयस्त,
विकल विखरे है, हो निरुपाय,
समन्वय उसका करे समस्त,
विजयनी मानवता हो जाये।
और यह क्या तुम सुनते नही,
विधाता का यह वरदान,
शक्तिशाली हो विजयी बनो,
विश्व मे गूँज रहा जयगान।।**

निष्कर्ष :

सरकारी प्रयास के तहत कानून कार्यक्रम के योजनाएं तो बड़ी बुलन्दी से बनाई जाती है किन्तु उसके क्रियान्वयन में हमारा, ठंडापन, आलस भरे प्रयास, व्यवहारिकता का अभाव व कागजो तक ही सीमित दायरा, कानून, योजनाएं व कार्यक्रम की मूल आत्मा को मार देती है। तमाम प्रयोसों के बावजूद भी महिलाएँ हासिये पर ही रह जाती है और राज्य के विकास की मुख्य धारा से नही जुड़ पाती है। जिन राज्य ने प्रगति पथ पर लम्बा सफर

तय किया है उसके पीछे महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि यदि सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में वास्तविक रूप में महिलाओं की स्थिति को हम सुधारना चाहते हैं तो उपर्युक्त सुझावों का पालन करना होगा। क्योंकि इस पुरुष प्रधान समाज में आज भी वह अवरोधों और वचनाओं को सहन कर रही है और अपने स्व का त्यागकर वह पुरुष के पौरुष को अभिव्यक्ति देती है। स्व प्रतिबिंब को उभरते हुए पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह कर रही है तो घर के बाहर निकलकर राज्य व मानवता के वृहत दायरे में भागीदारी का निर्वाह कर अपनी सशक्तता का बोध करा रही है। आज हम भले ही समाज में महिला पुरुष समान अधिकारों की बात कर रहे हो तथ लैगिंग भेदभाव न होने की दलीले दे रहे हैं किन्तु वस्तुस्थिति एकदम विपरीत है। भारतीय महिलाएँ न तो स्वतंत्र हैं और न ही इतनी स्वावलम्बी कि अपने निर्णय स्वयं ले सकें। मसलन वह विभाग व रेल चला रही है। अपराधियों से दो-दो हाथ कर रही है व चोटिया फतह कर रही है। सुरक्षा कमान सम्भाल रही है। यहां तक कि चाँद पर भी कदम रख चुकी है, लेकिन घर की देहरी लाघने वाली महिलाएँ बहुत खुश नहीं हैं। अकसर उनकी अस्मिता पर आघात होते रहते हैं, वे पुरुष के अहम का शिकार होती हैं व प्रताड़ना झेलनी पड़ती है।

अतः हम कह सकते हैं कि यदि पुरुष स्वयं पर विश्वास रखकर अपने नारीत्व पर गर्व करें और अपने शर्तो पर उसे जिन्दगी जीने का साहस भरे तभी राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। ये सब बदलाव तभी आ सकेंगे जब महिला जागरण मंच के साथ-साथ पुरुष मानसिकता परिवर्तन मंच के माध्यम से पुरुषों के मस्तिष्क से इस भावना को हटाया जाये कि पुरुष श्रेष्ठ है व महिलाएँ दोगम दर्जे की नागरिक हैं। यह कार्य कठिन अवश्य है परन्तु असंभव नहीं।

“लॉघ दे दीवरे दुनिया की,
छोड़ बंधन ये परतंत्रता का।
बढ़ आगे डर मत नारी,
ढूढ़ रास्ता अपनी प्रगति का।।”

संदर्भ

1. अल्लेकर, ए.एस., 1948 : प्राचीन भारतीय शासन पद्धतियाँ : भारतीय भण्डार इलाहाबाद (यू.पी.)
2. भटनागर, सुरेश : 2004 : राजनीतिक समाजशास्त्र : संजीव प्रकाशन, मेरठ
3. शर्मा, प्रज्ञा : 2006 : भारतीय समाज में नारी : पाइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर
4. भट्ट, जयश्री : 1998 : समाज कल्याण, नारी शिक्षा संस्कृत : आदित्य पब्लिसिंग बीना
5. कुमार राधा : 2009 : स्त्री संघर्ष का इतिहास : वाणी प्रकाशन 21 ए दरियागंज नई दिल्ली





“बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में कलाओं का स्वरूप

□ प्रमोद कुमार गुप्ता*

शोध सारांश

कला के माध्यम से मानव अपनी प्रतिभा को दर्शाता है। कला के द्वारा अपनी सूझ-बूझ को साझा करता है, तथा अपनी भावनाओं और कल्पनाओं का उचित रूप प्रस्तुत करता है। अतः मूर्तिकला, स्थापत्यकला और चित्रकला के क्षेत्र में भारत की एक अलग ही पहचान है। बौद्ध साहित्य के उल्लेखों से पता चलता है कि बुद्ध के साथ अनेक देवताओं के प्रतिमाओं का चलन था जिसमें भगवान् शिव, कृष्ण तथा इन्द्र आदि का वर्णन प्राप्त होता है। कनिष्क के शासनकाल में मूर्ति कला का विकास हुआ जो कि वास्तु कला का स्वाभाविक परिणाम था।

मूर्ति शिलाखण्ड पर बनाया जाता था जो पहाड़ों को काटकर शिलाखण्ड प्राप्त किया जाता था। बौद्ध मूर्तियां विभिन्न संग्रहालयों में संग्रहित हैं और उस समय के कला को दर्शाती हैं। प्राचीन समय में बौद्ध कला का स्रोत क्रमशः विहार, अर्थयोग, प्रसाद, हर्म्य एवं गुहा का उल्लेख प्राप्त होता है। इसमें कला के दृष्टिकोण से गुहा का एक अलग ही महत्व था, लेकिन विहार भिक्षुओं के रहने एवं एकान्तचर्या के लिए उत्तम व्यवस्था थी। गुहा का निर्माण पहाड़ी को काटकर किया जाता था एवं उसमें अनेक कला को दर्शाया जाता था। इस प्रकार से प्रस्तर कला

का विकास हुआ। बौद्ध कला बहुत ही विकसित थी। भिन्न चैत्यों, स्तूपों, विहारों तथा मूर्तियों का उदाहरण अद्भुत है। निःसन्देह बुद्ध की विभिन्न प्रकार की मूर्तियों ने भारत के प्रतिमा विज्ञान को एक अलग पहचान दिलाती हैं। गान्धार शैली एवं मथुरा शैली में बनी मूर्तियां अत्यन्त सुन्दर, अन्तर्भाव एवं आध्यात्मिक भाव को दर्शाती हैं। भारतीय कला के इतिहास में बौद्ध कला का अनोखा स्वरूप है।

कलाकार कभी-कभी बड़ी कहानियों को चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं तथा उस कहानी के हाव-भाव को दर्शाते हैं। जैसे

* शोध छात्र, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर मध्य प्रदेश

बुद्धचरित और सौन्दरनन्द में शूर्पारक नामक मछुएँ तथा राजपुत्री कुमुदवती के प्रेमाख्यान को मथुरा कला के अन्तर्गत शुंगकालीन मृण्मूर्ति पर अंकित किया गया है जिसमें कामदेव के पैरों के नीचे असहाय अवस्था में पड़ा हुआ मछुआ दिखाया गया है।

भारतीय कला के इतिहास में बौद्ध कला का अनोखा स्वरूप है। बौद्ध ग्रन्थ के अध्ययन से हमें कला के विभिन्न मूर्तियों, चित्रों, चैत्यों, विहारों, स्तम्भों तथा नगरों का सुन्दरीकरण जैसे विवरण प्राप्त होते हैं। बुद्ध के भिन्न-भिन्न रूप की प्रतिमाओं का अनोखा स्वरूप देखने को मिलता है, जबकि भगवान् बुद्ध ने अपनी मूर्ति बनाने व उसकी पूजा का खण्डन किया था।

बुद्ध मूर्ति निर्माण का ज्ञान हमें बौद्ध साहित्यिक स्रोत तथा चीनी एवं तिब्बती ग्रन्थों से होता है।

स्तूप तथागत का प्रतीक था, इसलिए स्तूप अथवा चैत्य की पूजा प्रचलित होने पर कालान्तर में चैत्यगुहों का निर्माण हुआ। शरीर के अवशेषों पर स्तूप का निर्माण किया जाता था, जो अर्द्धाण्डाकार या बठियाकार, बुदबुदाकार स्मारक होते थे। प्रायः इसका निर्माण बुद्ध के मरणोपरान्त ही प्रारम्भ हुआ था।

बुद्ध की अवशेषों पर आठ स्तूपों का निर्माण कराया गया, जिसे अष्टमहास्थानों के नाम से जाना जाता है।

मूर्तिकला का अभिप्राय उन प्रतीकों या मूर्तियों से है, जो धार्मिक महत्व की ओर पूज्यनीय है। जैसे महाबोधि मन्दिर में बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति पद्मासन की मुद्रा में है, वहाँ सुनने को मिलता

है कि यह मूर्ति उसी जगह स्थापित है, जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मन्दिर के चारों ओर पत्थर की नक्काशीदार रेलिंग बनी हुई है। ये रेलिंग ही बोधगया में प्राप्त सबसे पुराना अवशेष है। मूर्ति के आगे बलुए पत्थर पर बुद्ध के विशाल पद बने हुए हैं। भगवान् बुद्ध के पद्मासन में बैठी मूर्ति के दोनों हाथों की हथेलियाँ एक के ऊपर एक अंक में रखी हुई दिखाई गयी हैं। इस मूर्ति को बोधिवृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में दर्शाया गया है।



महाबोधि मन्दिर में स्थित
भगवान् बुद्ध की मूर्ति (बोधगया)

कनिष्क ने अपने शासन काल के दौरान अनेक बुद्ध प्रतिमा का निर्माण कराया तथा मथुरा इसका केन्द्र था। मूर्तियों को देवस्थानों (मन्दिरों) में स्थापित किया जाता था। दिव्यावदान के अनुसार, राजाओं की भी मूर्तियाँ बनाई जाती थी। राजा चन्द्रप्रभ ने अपने सिर के आकार का एक रत्नमय सिर बनवाया था।

बौद्ध साहित्य में बुद्ध के साथ-साथ अन्य देवताओं के प्रतिमा का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें भगवान् शिव, कृष्ण आदि देवताओं की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। बुद्ध की मूर्ति उनके बत्तीस लक्षणों से युक्त बनाई जाती थी। बुद्ध

मूर्तियों का अंकन कुषाण कालीन सिक्को पर भी मिलता है। सम्राट कनिष्क के स्वर्ण तथा ताम्र सिक्कों पर बुद्ध की आकृति बनी हुई है तथा स्वर्ण मुद्रा पर 'बोडडों' लिखा हुआ है जो बुद्ध का ही परिचय प्रस्तुत करता है।

बौद्ध मूर्तियों का प्रारम्भ कुषाण युग के दौरान हुआ था। इस युग में मूर्तियों का निर्माण प्रायः दो प्रकार के शैली में किया जाता था—

1. गान्धार शैली
2. मथुरा शैली

गान्धार शैली में मूर्ति का निर्माण काला स्लेटी पत्थर पर किया जाता था। बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं बनाई गयी हैं। 'चार्ल्स फाबरी' ने गान्धार शैली को गान्धार की यूनानी-बौद्ध कला का नाम दिया है। वस्तुतः इस शैली में यूनानी कला व भारतीय कला का मिला-जुला रूप दिखाई देता है। गान्धार शैली के अन्तर्गत भगवान् बुद्ध की मूर्ति का रूप राजाओं की भाँति अंकन किया जाता था। शरीर एकदम तन्दुरुस्त, धोती-चुन्नटों से युक्त, सिर पर पगड़ी जिनमे आभूषण जड़ा हुआ रहता था। गले में मोटी माला जो कन्धों तक फैला हुआ है, दायाँ हाथ अभय की मुद्रा में और बायाँ हाथ कमर पर है।



गान्धार शैली में राजकुमार के रूप में बोधिसत्व की मूर्ति

मथुरा कला की असंख्य मूर्तियाँ मथुरा से मिली हैं, जो मथुरा संग्रहालय में संरक्षित हैं। मथुरा शैली कुषाण शासन के दौरान ही फली-फुली थी, और बौद्ध मूर्तियाँ ही इसकी प्रधानता रही हैं। मथुरा कला की अनेक प्रतिमाएँ अलग-अलग केन्द्रों से प्राप्त हुई हैं, मथुरा कला की मूर्तियाँ अधिकतर खड़ी हुई मुद्रा में हैं। जिसमें उनके सिर के बाल काफी छोटे-छोटे मुड़े हुए दिखाई देते हैं। उनका दायाँ हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ दिखाई देता है, बायाँ हाथ कमर पर है तथा उनका माथा गान्धार कला के जैसा उठा हुआ नहीं है और प्रभामण्डल सादा दर्शाया गया है। यह मूर्ति खड़ी मुद्रा में है, जो मथुरा कला के अन्तर्गत चेहरे को गोलाकार बनाया गया है।



मथुराशैली में बोधिसत्व मैत्रेय की मूर्ति

सारनाथ में चतुर्मुख सिंहस्तम्भ, भगवान् बुद्ध का मन्दिर, धमेख स्तूप, चौखण्डी स्तूप, जैन मन्दिर, चीनी मन्दिर एवं मूलगन्ध कुटी में कला का अद्भूत रूप देखने को मिलता है। सारनाथ में ही भगवान् बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में बने चौखण्डी

स्तूप जो सारनाथ के अन्य बचे स्मारकों से अलग हैं। यह एक चौकोर कुर्सी पर ठोस ईंटों की क्रमशः घटती हुई तीन मंजिले बनाई गई हैं। इसके उत्खनन में चुनार पत्थर से बने लगभग 5 फीट 3 इंच ऊँची तथा 1 फीट 7.5 इंच चौड़ी धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति मिली थी। इसमें बुद्ध पद्मासन लगाये बैठे हैं, और हाथ धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में हैं। शरीर अत्यन्त सुन्दर है। मूर्ति के ऊपर दोनों तरफ दो गन्धर्व उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक के हाथ में फूलों की माला है तथा दूसरे के हाथ में चँवर है।



सारनाथ के चौखण्डी स्तूप से प्राप्त की धर्म-चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध प्रतिमा

उपर्युक्त कथनों से स्पष्ट होता है कि बौद्ध कला बहुत ही विकसित थी। भिन्न चैत्यों, स्तूपों, विहारों तथा मूर्तियों का उदाहरण अद्भुत है। निःसन्देह बुद्ध की विभिन्न प्रकार की मूर्तियों ने भारत के प्रतिमा विज्ञान को एक अलग

पहचान दिलाती हैं। गान्धार शैली एवं मथुरा शैली में बनी मूर्तियाँ अत्यन्त सुन्दर, अन्तर्भाव एवं आध्यात्मिक भाव को दर्शाती हैं। भारतीय कला के इतिहास में बौद्ध कला का अनोखा स्वरूप है।

सन्दर्भ

1. बुद्ध चरित – 13/11
2. सौन्दरनन्द – 8/44, 10/53
3. अँगने लाल – संस्कृत बौद्ध साहित्य में इतिहास और संस्कृति, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, 2006 (पृष्ठ सं०-258)
4. अँगने लाल – बौद्ध संस्कृति के विविध आयाम, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, 2008 (पृष्ठ सं०-165) 5 पाण्डेय, गोविन्द चन्द
5. बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास, उत्तर प्रदेश, हिन्दी संस्थान, लखनऊ, 2010 (पृष्ठ सं०-164)
6. अँगने लाल – संस्कृत बौद्ध साहित्य में इतिहास और संस्कृति, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान लखनऊ, 2006 (पृष्ठ सं०-260)
7. दिव्यावदान – पृष्ठ सं०-169/23-24
8. अँगने लाल – संस्कृत बौद्ध साहित्य में इतिहास और संस्कृति, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान लखनऊ, 2006 (पृष्ठ सं०-256)
9. भारती, मीनाक्षी कासलीवाल – भारतीय मूर्ति शिल्प एवं अस्थापत्य कला, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2016 (पृष्ठ सं०-76-77)
10. अँगने लाल – उत्तर प्रदेश के बौद्ध केन्द्र, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान लखनऊ, 2006 (पृष्ठ सं०-294-297)





प्रेमोपासना सर्वस्व प्रदाता

□ अधोक्षजानन्द ओझा*

अनादिकाल से प्रेम की उपासना किसी न किसी रूप में अवश्य की जाती रही है। प्रेम चर-अचर किसी से हो सकता है। निष्काम भगवत्प्रेम मुक्ति प्रदाता है, तो सकाम भगवत्प्रेम मुक्ति प्रदाता है। इस संसार के प्राणियों का प्रथमतः सर्वस्व मुक्ति प्राप्त करना है। अनन्तर मुक्ति की ओर बड़ी कठिनाई से उन्मुख होने का सफल व असफल दोनों प्रयास करता है। श्रुतियां कहती हैं—कि 'सबके लिए सब प्रिय नहीं होते, अपने-आत्मा के लिए सब प्रिय होते हैं'।

“न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वप्रियं

भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति।”¹

भगवान् शुकदेव जी ने भी कहा है कि श्री कृष्ण को ही समस्त प्राणियों की आत्मा समझना चाहिए। संसार के परम कल्याण के लिए शरीर धारी की भांति अपनी माया से प्रतीत हो रहे हैं, मायापति की निष्काम प्रेमोपासना मुक्ति प्रदाता है, मात्र यही प्रेमास्पद हैं—

कृष्णमेनमवेहहि त्वमात्मानयरिवलात्मनाम् ।

जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया ॥²

जब प्राणी संसार के प्रति चिंतन करते-करते किसी असफलता पर एक क्षण के लिए विरत होता है, तब प्रभु का स्मरण होता है परन्तु वह भी चिरस्थायी नहीं होता। ग्लानि उत्पन्न होने पर देवों

का भजन प्रारम्भ करता है, वस्तुतः वह भजन भी भगवान् को ही प्राप्त होता है, परन्तु सकाम होने के कारण मूलतत्त्व को नहीं प्राप्त कर पाता—
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।
तेऽवि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥³

प्रेम किया नहीं जाता अपितु चिन्तन करते-करते प्रेम हो जाता है। प्रेम की पहचान एक दूसरा ही अनुभव है। जिसमें प्रेम है, उसका क्षण-क्षण का नित्य-नित्य का अनुभव बन जाता है। प्राणी को सर्वदा यही सोचना चाहिए कि मुझसे तो प्रेम का लेश भी नहीं है, पर यह अहंकार युक्त न हो। कृष्ण का अनुग्रह पाने का मैं अधिकारी भी नहीं हूँ। नीरास होने के बाद भी भगवान् भक्त के ऊपर दया करते हैं और अपनी ओर खींचते हैं, परन्तु यह अभागा जीव संसार की ओर खिंचता है। सभी सच्चे मन से प्रेम करे तो इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह सकता।

प्रेम साधारण शब्द नहीं है, यह तो अनिर्वचनीय है। प्रेम का पिता है विश्वास और माता है निरपेक्षता। संसार में सब ओर से निरपेक्ष होकर जो भगवान् पर ही विश्वास करता है उसे भगवान् का प्रेम प्राप्त होता है और भगवान् का प्रेम भगवान् के मिलने से कहीं बहुत अधिक महान् है। इस महान् तत्त्व का बोध केवल गोपिकाओं को हुआ है। गोपियों को जो

* छात्र—एम.फिल., शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

प्रेम प्रसाद प्राप्त हुआ वह, ब्रह्म, शिव तथा सदा हृदय में रहने वाली लक्ष्मी को भी नहीं प्राप्त हुआ।

नाड्यं श्रियोडड.ग उ नितान्तरतेः प्रसादः
स्वर्योषितां नलिनगन्धरूचां कुतोडन्याः।
रासोत्सवेडस्य भुजदण्डगृहीतकष्ठ-
लब्धशिषां य उदगाद् व्रजवल्लवीनाम्।⁴

प्रेमोपासना के कारण ही भक्त सांसारिक विषयों के भोग को भी प्राप्त करता है और उनसे विरक्ति भी। उद्धव जैसा ज्ञानी प्रेम के वशीभूत हो जाता है और गोपियों के चरण में लगी धूलि से अपने को पावन करना चाहता है। गोपी प्रेम में राग का अमण्व नहीं है, परन्तु वह राग सब जगह से सिमटकर भुक्ति और मुक्ति के दुर्गम प्रलोभन-पर्वतों को लांघकर केवल श्रीकृष्ण में अपर्ण हो गया है। दूहलोक और परलोक में गोपियां श्रीकृष्ण के सिवा अन्य किसी को भी नहीं जानती। उनका जीवन केवल श्रीकृष्ण के लिए है। इसी तरह प्रत्येक प्राणी को केवल कृष्ण के लिए ही जीने का अधिकार है। जब भी कोई अनाधिकार चेष्टा करता है तभी दुःखी होता है। अस्तु सम्पूर्ण कामनाओं से रहित प्रेम ही सर्वस्व है।

जो वियोग, वेदना, अपमान-अत्याचार और भय-भर्त्सना सब को सहन करने पर भी सुखी रह सकता है, वही प्रेम के पाठ का अधिकारी है। यह अधिकार गोपियों के अनन्तर भीष्म पितामह को प्राप्त हुआ। युद्ध क्षेत्र में यह जानते हुए कि कृष्ण सम्पूर्ण सत्य हैं, जो चाहें कर सकते हैं, परन्तु भीष्म ने आमन्त्रण देते हुए कहा- हे देवेश्वर आइये! आपको नमस्कार है। हाथ में चक्र लिए हुए माधव! सबको शरण देने वाले लोकनाथ! आज युद्धभूमि में

बलपूर्वक इस उत्तम रथ से मुझे मार गिराइये-यह कैसा अनोखा भगवत्प्रेम है-

एहयेहि देवेश जगन्निवास
नमोडस्तु ते माधव चक्रपाणे॥
प्रसहय मां पातय लोकनाथ
रथोत्तमात् सर्वशरण्य संख्ये॥⁵

वस्तुतः सांसारिक जीव काम और प्रेम को एक ही समझते हैं। किसी के जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है। काम और प्रेम में बड़ा अन्तर है। काम जहर मिला हुआ मधु है, प्रेम दिव्य स्वर्गीय सुधा है। काम में इन्द्रियतृप्ति-इन्द्रियचरितार्थता है, प्रेम में तन्मयता, प्रियतम-सुख की नित्य वर्धनशील है। काम में विषय तृष्णा, प्रेम में विषय विस्मरण है। यर्थाथ प्रेम से ही काम का नाश हो जाता है।

अस्तु प्रेमोपासना सर्वस्व प्रदाता हैं। वह प्रेम नहीं है, जिसका आधार किसी इन्द्रिय का विषय है। नियमों के समस्त बन्धनों का अनायास टूट जाना ही प्रेम का एकमात्र नियम है। क्योंकि प्रेम में नियम तोड़ने नहीं पड़ते, परन्तु उनका बन्धन अपने आप टूट जाता है। प्रेम का आकार असीम हैं, जहां संकोच या सीमा है, वहां प्रेम को स्थान नहीं। इस तरह की उपासना करके संसार की सभी भोग्य वस्तुओं के साथ सार्वभौम सत्य ईश्वर की प्राप्ति सम्भव है। अतः प्रेम ही सर्वस्व है।

संदर्भ

1. वृहदारण्यक-2/4/5
2. भागवत-10/14/55
3. गीता-9/23
4. भागवत-10/47/60
5. महाभारत-भीष्मपर्व-59/96-97





भर्तृहरि के शतकों में सांस्कृतिक एवं मानवीय चेतना

□ बाला प्रसाद विश्वकर्मा*

□ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी**

शोध सारांश

संस्कृति के अन्तर्गत दो प्रकार की विचारधाराएँ प्रचलित हैं—प्रथम तो वे हैं परम्परागत रूप से प्राप्त हुई अर्थात् प्राचीन विचारधारा जिसे हमे वैदिककाल से प्राप्त संस्कृति कहते हैं और दूसरी वह है जो वर्तमान में नवीन विचारधारा के अन्तर्गत आती है। इन दोनों विचारधाराओं या संस्कृतियों के बीच एक लक्ष्मण—रेखा सी लकीर बन चुकी है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्राचीनतम विचारधाराएँ नवीनतम विचारधाराओं से तालमेल नहीं रख पा रही है। फिर भी यदि उक्त दोनों विचारधाराओं के सिद्धान्तों का मन्थन किया जाय और सारतत्त्व सिद्धान्त निकाला जाय तो अवश्य ही सुसभ्य संस्कृति के द्वारा मानव चरित्र की रक्षा के साथ—साथ राष्ट्रोत्थान में सहायक होगा। परम्परा या रूढ़ियाँ रुचि भेद के कारण भिन्न—भिन्न होती रही हैं और होती रहेंगी। इन्हीं कारणों से संस्कृति में विभिन्न रूप देखे जाते हैं। संस्कृति का चाहे प्राचीन रूप हो या नवीन दोनों ही माव्यवित्तत्व के विकास में सहायक हैं। इस प्रकार भर्तृहरि ने अपने नीतिशतक में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को दर्शाया है तथा उसके अनुसरण से मानव परिशुद्ध होकर आत्मकल्याण कर सकता है।

प्रस्तावना

भर्तृहरि के तीन शतक हैं—1. नीतिशतक, 2. श्रृंगारशतक, 3. वैराग्य शतक। भर्तृहरि ने संसार का खूब ही अनुभव किया था और उस अनुभव के मार्मिक पक्ष के ग्रहण करने में वे सर्वथा कृतकार्य थे। जो कवि संसार के बीच रहता हुआ अपने अनुभव के बल पर उसके हृदय को समझने तथा

कविता में सुचारु रूप देने में समर्थ होता है वही सच्चा लोकप्रिय कवि है। इस दृष्टि से भर्तृहरि सचमुच जनता के कवि हैं, इनकी सूक्ष्म दृष्टि संसार की छोटी से छोटी वस्तु को निरखकर उसमें उदात्त शिक्षा ग्रहण करने में समर्थ होती है। नीतिशतक में वे उन उदात्त गुणों के ग्रहण करने के लिए आग्रह दिखलाते हैं जिनका अनुशीलन

* शोधार्थी, शास. टी.आर.एस. महाविद्यालय, रीवा

** प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष—संस्कृत विभाग, शास. टी.आर.एस. महाविद्यालय, रीवा

समग्र मानव—समाज का परम मंगल साधक है। वे मनुष्य—जीवन को सद्गुणों का उपार्जन नहीं करता वह उस व्यक्ति के समान उपहासास्पद है कि जो वैदूर्यमणि के बने हुए पात्र में चन्दन की लकड़ी से लहसुन पकाता है अथवा जो सोने के हल से अर्क (आक) की जड़ पाने के लिए जमीन जोतता है। भर्तृहरि की दृष्टि में वही वास्तव में सज्जन है जो दूसरों के परमाणु के समान छोटे गुण को पर्वत के समान बनाकर अपने चित्त में परम संतोष का अनुभव करता है—

मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णा—
स्त्रिभुवनमुपकारश्रेणिभिः प्रीणयन्तः।
परगुण—परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यम्।
निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः।।¹

वैराग्य शतक में आत्मा के उत्थान एवं दार्शनिक विचारधारा को भर्तृहरि ने प्रस्तुत किया है। अतः प्रथमता दर्शन आदि के सम्बन्ध में लिखना आवश्यक है अर्थात् दर्शन क्या है ? और उसका लाभ क्या है? तो दर्शन का अर्थ प्रायः 'जीव जगत् और परमात्मा संबंधी विचार' से लिया जाता है। 'दर्शन' स्वयं उस चिन्तन को कहते हैं, जो चारों ओर से दृश्य अदृश्य व्यापार के संबंध में, या उसकी प्रतिक्रिया के रूप में, किसी विचारक के मन में होता रहता है। दर्शन दृश्य जगत् और अदृश्य जगत् दोनों के संबंध में विचार करता है। इसीलिए 'दर्शन' को 'सर्वात्रिक' कहते हैं।² मन एक 'कल्पवृक्ष' है। 'कल्प' चिन्तन का ध्यान का तत्समवाची शब्द है। ध्यान के द्वारा ही भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। ध्यान दो प्रकार का होता है—³ (1) संकल्प (2) विकल्प।

सम्यक् 'संकल्प' को दर्शन और संस्कृति में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। जब तक मानव के मन में

दृढ़ इच्छा शक्ति का जन्म न हो, तब तक दर्शन के बीजांकुरण का होना ही संभव नहीं। संस्कृति के कोख से उत्पन्न दर्शन हमें ध्यान या विचार के लिए विवश करता है जिसे हम 'दर्शन' की संज्ञा देते हैं। दर्शन अथ से इति तक के तत्त्व को साक्षात् करने का एक बलवान प्रयत्न है। दर्शन का प्रारंभ संस्कृति के आदिकाल से ही हुआ है। मानव का जन्म धारण करना और बुद्धि विवेक के द्वारा सत्य की खोज करना ही दर्शन की परम्परा है। विचार और तर्क द्वारा निर्धारित परिपक्व परिणामों को तथा विचार करने की प्रणाली को 'दर्शन' कहते हैं। यदि मानव—जाति उन्नति करना चाहता है तो उसमें दार्शनिक शक्ति का होना अनिवार्य है। गहन चिन्तन ही दर्शन का दूसरा रूप है। सृष्टि के प्रारंभ में समाज द्वारा निर्धारित सभ्यता एवं संस्कृति के साथ—साथ लोगों में भारतीय दर्शन का ज्ञान—पुंज प्रकाशित होने लगा था। सभी लोगों ने देवी—देवताओं की कल्पना की थी। उनका यह मानना था कि एक ही सर्व शक्तिमान सत्ता है जिसके द्वारा यह सम्पूर्ण जगत् की सृष्टि होती है, विनाश भी उसी के द्वारा होता है। जन—जन में यह धारणा बन चुकी थी कि आत्मा रूपी एक तत्त्व है जो इस पंचतत्वी शरीर में विद्यमान रहता है। शरीर के कृश या असमर्थ हो जाने पर वह इसे छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है।

अतः आत्मा अमर है वह किसी भी देशकाल—स्थिति में नहीं मरती।⁴ ऐसा विश्वास था कि अपने पाप और पुण्य कर्मों का फल पाने के लिए मृत्यु के पश्चात् मनुष्य नरक और स्वर्ग जाता है, अर्थात् जो पुण्यात्मा होगा वह स्वर्ग जायेगा और जो पापात्मा होगा वह नरकगामी होगा। इसी सत्य की खोज के लिए मानव में दार्शनिक प्रवृत्तियाँ

जागृत होने लगी। अपने-अपने ढंग से लोगों के चिन्तन की एक शैली बनती गयी, जो पृथक्-पृथक् दर्शन के नाम से कहे जाने लगे, जिसकी बहुत-सी शाखाएँ प्रचलित हैं। सर्वप्रथम 'एको ब्रह्म द्वितीयोनास्ति' की स्थिति रही। सभी दार्शनिक मानते थे, कि सर्वशक्तिमान् एक ही ब्रह्म है दूसरा नहीं, सब कुछ उसी में समाहित है वही संचालन करता है, और विनाश, तथा पालन भी उसी शक्ति के द्वारा किया जाता है।

उपनिषद्-काल में आते-आते ब्रह्म की सत्ता-विषयक विवेचन सूक्ष्म रूप में होने लगा और इसी निष्कर्ष में पहुँचे कि 'अहं ब्रह्मास्मि' (मैं ब्रह्म हूँ) 'तत्त्वमसि' (तुम भी वही हो) अर्थात् ब्रह्म हम सब में विद्यमान है अन्दर झाँककर देखने से दर्शन हो जायेंगे। संस्कृति के विकास के साथ सर्वभाववाद-चार्वाक-दर्शन का उद्भव हुआ जो प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते थे, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल इन्हीं के सम्मिश्रण से सम्पूर्ण जगत् की रचना की गई। शरीर में इन्हीं चारों शक्तियों से कार्य होते हैं। अनेक दर्शन तक प्रचलित हुये यथा-जैनदर्शन, बौद्धदर्शन, न्याय-वैशेषिक-दर्शन, सांख्य और योग-दर्शन तथा शब्द-ब्रह्म-दर्शन आदि का उद्भव एवं विकास हुआ। इसी दर्शन परम्परा में शब्द को ब्रह्म मानने वाले आचार्य भर्तृहरि हुए जिन्होंने सम्पूर्ण सृष्टि को शब्द-ब्रह्म से उत्पन्न माना है।

भर्तृहरि को ही व्याकरण-दर्शन, शुद्धाद्वैत, का प्रमुख प्रतिपादक माना गया है। डॉ. सत्यकाय वर्मा ने अपने ग्रन्थ 'व्याकरण की दार्शनिक भूमिका' में भर्तृहरि का दार्शनिक दृष्टिकोण करते हुए लिखा है कि 'शब्दकोष' केवल 'रूपसाम्य' को देखकर ही किसी शब्द के विविध रूपों, या विविध अर्थभावना

वाले समान शब्द रूपों को एक ही मान लेता है। परिणामस्वरूप वहां किसी भी शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। किन्तु व्याकरण केवल रूप-साम्य मात्र से ही उनकी मूल-गत एकता को स्वीकार नहीं कर लेता। वह इस शब्द के तथाकथित अर्थों के अनुसार उसके अलग-अलग शब्द मानकर उनकी अलग-अलग व्याख्या करने का यत्न करता है यथा- 'श्वेतः' का अर्थ वहां केवल 'सफेद' ही नहीं रह जाता बल्कि व्याकरण की दृष्टि में 'शवा इतः' (कुत्ता गया) भी हो जाता है।⁵

अतः व्याकरण-दर्शन विभिन्न प्रसंगों और विभिन्न स्थितियों की संभावना को स्वीकार करके बढ़ता है, जबकि 'शब्दकोष' एकता का आधार रूप मात्र को ही स्वीकार करके चलता है।⁶ व्याकरण भर्तृहरिस्मृति तथा आगम को स्वीकार करते हैं।⁷ उनका मानना है कि जब हमारी इन्द्रियों का बाह्य जगत् से सन्निकर्ष होता है तब सामान्यतः हमें ज्ञान उन वस्तुओं का ही होगा जिनके साथ हमारी इन्द्रियों का सन्निकर्ष होगा। परन्तु दैनन्दिन जीवन में हमें उन वस्तुओं का भी ज्ञान होता है जिसके साथ हमारी इन्द्रियों का सन्निकर्ष नहीं होता। जिस प्रकार हम अग्नि का प्रत्यक्ष नहीं करते, फिर भी धुआँ को देखकर हम इसका अनुमान कर ही लेते हैं।

भर्तृहरि का अन्य दर्शनों के प्रति दृष्टिकोण अनेक तत्वों से प्रभावित है। भर्तृहरि का दृष्टिकोण समझने में 'महाभाष्य' सहायक ग्रन्थ है। महाभाष्य में आये उन दोनों विचारों को भर्तृहरि उपयोग करते हैं। व्याकरण किसी एक वेद से सम्बद्ध नहीं, अपितु वह सभी वेदों से अपना संबंध बनाये हुये है। व्याकरण वस्तुस्थिति की अपेक्षा जो शब्द कहता है उसी को प्रमाण मानते हैं। हेलाराज और पुण्यराज

जैसे टीकाकार वाक्यपदीय की व्याख्या में इन विचारों का उपयोग किया है।

भर्तृहरि की यह मान्यता है कि संसार में सभी जीव/प्राणी, (चेतन या अचेतन) एक परमतत्त्व के ही आभास हैं। इसी परम तत्व (ब्रह्म) से सृष्टि का सृजन होता है। परन्तु सामान्यतः इस परम तत्व के साक्षात् रूप को सामान्य जीवन के लोग जानने में असमर्थ होते हैं। ब्रह्मन् परमतत्त्व है और वह ही सभी शब्दों का वाच्यार्थ है या अभिधेयार्थ है।⁸ जिस प्रकार कि सुवर्ण (सोना) एक है फिर भी आभूषणों के जिन रूपों में वह परिवर्तित होता है उनके द्वारा उसे भिन्न माना जाता है और भिन्न-भिन्न आकृतियों में परिलक्षित होता है।⁹ जिसके द्वारा उसके अपने पृथक् नाम हैं जैसे—झुमकी, वेंदी, नथुनी, हार, कंगन आदि। भर्तृहरि के अनुसार सामान्य जीवन में परम तत्व को न तो सीधे जाना जा सकता है और न शब्दों में ही व्यक्त किया जा सकता है। हम विभिन्न उपाधियों के द्वारा ही जानने में समर्थ होते हैं। जो दृश्य जगत् का निर्मायकर्ता है इस निर्माण में सहयोगात्मक उपाधियाँ मिथ्या अर्थात् असत्य हैं। मिथ्या नामकरण से तात्पर्य यह है कि ये उपाधियाँ क्षणभंगुर या अनित्य हैं जो परमतत्त्व नित्य की तुलना में अस्थिर मानी जाती हैं। थोड़ी समय के लिए बाह्य जगत् में दिखाई अवश्य देगी, परन्तु समयावधि की समाप्ति के बाद ये सभी उपाधियाँ उसी परमतत्त्व में विलीन हो जायेगी। लौकिक जगत् का यही नियम रहा है कि सृष्टि का नियंत्रणकर्ता जब चाहे जब अपनी शक्तियाँ समेट कर अपने में मिला ले, और जब चाहे तब सांसारिक जगत् में प्रकाशित करता रहे।¹⁰

भर्तृहरि यह भी मानते हैं कि शब्द का संस्कार परमात्मा की प्राप्ति का साधन है जो शब्द की प्रवृत्ति को जानता है जो अमृत समान है जिसे

प्राप्त कर ब्रह्म को पा लेते हैं।¹¹ व्याकरण-दर्शन ही वह शास्त्र है जो ब्रह्म के अत्यन्त समीप है, नैतिक अनुशासन के समग्र प्रकारों में यह श्रेष्ठ माना गया है¹² तथा मुमुक्षुओं के लिए यह सरल राजमार्ग है। भर्तृहरि ने स्पष्ट कहा है कि— “एक होने पर भी जिसका विभिन्न शास्त्रों के अनुसार अनेक विभाग किए जाते हैं उस अतुलनीय परम तत्व (ब्रह्म) की प्राप्ति का एक मात्र साधन व्याकरण-दर्शन के ज्ञान से होता है। शब्दों के ज्ञान द्वारा व्यवहार में प्रयोग करते हुए मानव साधक बनकर अपने आप में आध्यात्मिक गुणों का विकास करता है जो इन्द्रियों तथा मन से परे चिन्तन करता है। प्राणवृत्ति से अतिक्रान्त वाक्-तत्त्व में व्यवस्थित होकर समग्र क्रम का संस्कार कर अपनी आत्मा में विश्रान्त होकर वाक् का संस्कार तथा उसे बुद्धि में निर्दिष्ट कर एवं उसके बन्धनों को तोड़कर अन्तर ज्योति को पाकर वह परम ज्योति के साथ एकत्व को प्राप्त कर लेता है।¹³

भर्तृहरि ने दार्शनिक चिन्तन से ओत-प्रोत वातावरण में अपना काम किया था। भारतीय दर्शन के विभिन्न सम्प्रदायों में वे श्रेष्ठ चिन्तक या पूर्ववर्ती ज्येष्ठ समकालीन थे। भर्तृहरि का दर्शन प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः तमाम दार्शनिकों से प्रभावित है। यह जगत् ईश्वर का अपना ही अभिव्यक्त रूप है। यह सब दृश्यमान भिन्न-भिन्न आकृतियाँ उसने अपनी प्रसन्नता से निर्माण की है—

“वाचारम्भणं विकारा नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्”

अर्थात् सब पदार्थ एक ही सत्ता के परिवर्तित रूप हैं यद्यपि नामभेद से भिन्न-भिन्न है। नाम और आकृति के विकास का तात्पर्य एक मात्र ब्रह्म को व्यक्तित्व प्रदान करना है। व्यक्तित्व सृष्टि-रचना का सिद्धान्त-तत्त्व है और यह विश्व-रचना की

प्रक्रिया का मुख्य स्वरूप है। वस्तुएं और मानव अंतिमरूप से परमात्मा के अस्तित्व के केवल प्रकार मात्र हैं। वे अपने-आप में यथार्थ नहीं हैं। इस प्रकार केवल ब्रह्म ही यथार्थ है— “जिसने उच्चतम ज्ञान प्राप्त कर लिया है, विश्वात्मा के साथ संयुक्त हो जाता है और नामरूप से रहित होकर नदियों के समान, जिस प्रकार के वे विश्राम चिरशान्ति के लिए सागर में समा जाती है वह भी विश्वात्मा में विलीन हो जाता है।¹⁴ वही परम शान्ति को प्राप्त करता है।

संदर्भ

1. भर्तृहरि नीतिशतक –79
2. द्रष्टव्य : डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल : कला और संस्कृति, अध्याय-18, पृष्ठ-191
3. द्रष्टव्य : कठोपनिषद्-2/18-19 और श्रीमद्भगवत्गीता द्वितीय अध्याय, श्लोक-19-20
4. द्रष्टव्य : डॉ. सत्यकाम वर्मा : व्याकरण की दार्शनिक भूमिका, पृष्ठ-34
5. द्रष्टव्य : डॉ. सत्यकाम वर्मा : व्याकरण की दार्शनिक भूमिका, पृष्ठ-35
6. द्रष्टव्य : भर्तृहरि – वाक्यपदीय (ब्रह्मकाण्ड) कारिका-151 में-स्मृति-शास्त्रेण और कारिका-130 में द्रष्टव्य : “न चागमादृते धर्म-स्तर्केण व्यवतिष्ठते। ऋषीणामपि यजज्ञानं तदप्यागमन-पूर्वकम्।।
7. द्रष्टव्य : भर्तृहरि : वाक्यपदीय-तृतीय काण्ड, ‘सत्यवस्तु तदाकरैरससत्यैरव-धार्यते’।
8. द्रष्टव्य : भर्तृहरि : वाक्यपदीय तृतीय काण्ड-सुवर्णादि यथा भिन्नं स्वैरा-कारैरुपायिभिः रुचकाद्यभिधानानां शुद्धमेवैतिवाच्यताम् 2/4
9. द्रष्टव्य : श्री मद् भगवत्गीता-अध्याय-11, श्लोक-32
10. भर्तृहरि : वाक्यपदीय (ब्रह्मकाण्ड) कारिका-132
11. द्रष्टव्य : भर्तृहरि : वही कारिका-22
12. द्रष्टव्य : भर्तृहरि : वही तृतीय काण्ड-‘प्राणवृत्तिमतिक्रान्ते वाचस्तत्त्वे व्यवस्थितः’
13. द्रष्टव्य : श्रीमद्भगवत्गीता, अध्याय-2, श्लोक-47
14. द्रष्टव्य : भर्तृहरि : वैराग्य श्लोक-20





“श्री अमरचन्द्र सूरि कृत बालभारतम् का समीक्षात्मक अध्ययन”

□ पूजा वर्मा*

□ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी**

शोध सारांश

संस्कृत साहित्याकाश में जैनधर्मावलम्बी महाकवि अमर चन्द्र सूरि कृत “बालभारतम्” प्रकाशमान नक्षत्र है। प्रायः संस्कृत काव्यकारों का उपजीव्य महर्षि वेदव्यास रचित ‘महाभारत’ है। 13वीं शती के गुर्जर राज्याधिपति बीसलदेव के लब्ध प्रतिष्ठ राजकवि पण्डित अमरचन्द्र सूरि की अनुपम रचना ‘बालभारतम्’ का मूल उद्भव भी महाभारत ही है। कवि ने अपनी विलक्षण प्रतिभा से विशालकाय महाभारत को मात्र 1950 श्लोकों में समाविष्ट करके ‘बालभारतम्’ को आश्चर्यजनक सार्थकता प्रदान की है। यह महाकाव्य महाभारत के अनुरूप 18 पर्वों में व्यवस्थित है। पूर्व कवि प्रशस्ति के रूप में लिखा गया 19वां अतिरिक्त सर्ग महाकवि अमरचन्द्र सूरि की विनयशीलता का द्योतक है।

“बालभारतम्” में रसपरिपाक, भावाभिव्यंजना, अलंकार संघटना, छन्दोयोजना, सूक्ति संचयन तथा प्राकृत सुषमा आदि की अपूर्व छटा दर्शनीय है। इस मनीषी महाकवि ने कौरव-पाण्डव, द्रोणाचार्य, भीष्म, कुन्ती, द्रौपदी एवं सुभद्रा आदि का मर्यादित एवं ऐतिहासिक रूप प्रदर्शित कर इनके जीवन की प्रेरक झलकियां प्रस्तुत की हैं। साहित्य शास्त्र के मर्मज्ञ कवि ने अपनी कृति में विषयानुरूप वीर रस की प्रधानता दी है। अन्य रसों का भी यथोचित प्रयोग कर रसज्ञ सुधी समाज को ब्रह्मानन्द सहोदर सागर में स्नान कराया है। कवि ने इस महाकाव्य की इति श्री शान्त रस के साथ सम्पन्न कर अपने साधु स्वभाव का परिचय प्रस्तुत किया है।

प्रस्तावना

संस्कृत साहित्य की श्रीवृद्धि में जैनाचार्यों और जैन कवियों द्वारा किये गये योगदान से समस्त सुधी समाज अवगत है। शास्त्र के विभिन्न

पहलुओं के विवेचन के साथ-साथ काव्य की गद्य पद्य तथा चम्पू आदि प्रत्येक विद्या में अपार साहित्य का सृजन करके जैन कवियों ने अपनी अद्भुत कवित्व शक्ति का परिचय दिया है। जैन कवियों

* शोधार्थी, शास. टी.आर.एस. महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

** प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष-संस्कृत विभाग, शास. टी.आर.एस. महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

के काव्य में संवेदनाओं और अन्त-वृत्तियों का पूर्ण विस्तार हुआ है, वे मूल्योद्भव भावना में अधिक सजग रहे हैं। यह उद्भावन पक्ष जीवन रुचि का परिष्कारक और सत्प्रेरणाओं का स्रोत है। वैयक्तिक और वर्गीय परिस्थितियों से ऊपर उठकर व्यापक क्षितिज से आलोक में मानवता की सामान्य भाव भूमियों की प्रतिष्ठापना, इनका अपना वैशिष्ट्य है। इनके काव्य में कान्तासम्मितोपदेश की सार्थकता का आभास है।

जैन कवियों में महाकवि अमरचन्द्र सूरि का नाम विशेषतः उल्लेखनीय है। इनके नाम से 13 रचनाएं प्रसिद्ध हैं—(1) काव्यकल्पता (2) छन्दों—रत्नावली (3) सूक्तावली (4) कलाकलाप (5) बालभारतम् (महाकाव्य) (6) पद्मावत (महाकाव्य) (7) चतुर्विंशति जितेन्द्र संक्षिप्त चारितानि (8) सुकृत संकीर्तन (9) स्यादि शब्द समुच्चय (10) काव्यकल्पलतापरिमल (11) काव्यकल्पलता मंजरी (12) अलंकार प्रबोध (13) द्रौपदी स्वयंवर।

इन काव्यों के माध्यम से महाकवि सूरि की प्रतिभा और विद्वता प्रस्फुटित हुई है। इनके अगाध पाण्डित्य से प्रभावित होकर विद्याप्रेमी गुर्जरेश्वर बीसलदेव ने इन्हें अपनी राजधानी में निमन्त्रित किया। राजसभा में इनकी काव्य प्रतिभा का परिचय विविध प्रकार की समस्यापूर्ति द्वारा किया गया। कहा जाता है कि इन्होंने 108 समस्याओं की पूर्ति करके सम्पूर्ण सभा को चमत्कृत कर दिया था।

इस महाकवि के आशुकवित्त्व का एक सन्दर्भ उपदेश तरंगिरणी में उपलब्ध होता है। एक बार वस्तुपाल प्रवचन सुनने के उद्देश्य से वहां उपस्थित हुआ जहां महाकवि सूरि प्रवचन कर रहे थे। सभागार में प्रवेश करते ही उसने आचार्य के मुख से सुना—

‘अस्मिन् सारे संसारे सार सारंग लोचना’

इस पद्यांश को सुनकर वस्तुपाल आश्चर्यचकित हो गया तथा सूरि जी को स्त्रीकथा में आसक्त समझकर वह वन्दना किये बिना ही लौटने लगा तो कविपठित पद्य का द्वितीय चरण उसके कानों में पड़ा—

यत्कृक्षि प्रभवा एते वस्तुपाल भवादृशाः

पद्य के इस उत्तरार्ध को सुनते ही वस्तुपाल स्तब्ध रह गया और सम्मान-पूर्वक मुनिराज की वन्दना में तत्पर हुआ।

जिस प्रकार महाकवि कालिदास ‘दीपशिखा’ तथा महाकवि माघ ‘घण्टा-माघ’ के रूप में प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार महाकवि अमरचन्द्र सूरि ‘वैणिकृपाणः’ के रूप में विख्यात है। आज ऐसे प्रतिभा-सम्पन्न कवि की यदि समस्त काव्य-कृतियां उपलब्ध होती तो निश्चित ही वे संस्कृत साहित्यजगत् की श्रीवृद्धि करने में अपूर्व योगदान करतीं।

कुछ भी हो,! इस जैन कवि की विबूता और प्रतिभा से प्रभावित व श्रद्धायुक्त होकर ही यहां उनकी अन्यतम कृति बालभारतम् महाकाव्य की प्रशंसा संस्कृत साहित्य जगत् में विख्यात है। आलोचनात्मक अध्ययन ग्रन्थ रूप में प्रस्तुत है।

बालभारतकार ने कथा, पात्रचित्रण और सिद्धान्तों की दृष्टि से महाभारत का प्रभाव ग्रहण करते हुए भी उससे मतभेद प्रस्तुत किया है अथवा उसमें नवीनता का आधान किया है। ग्रन्थ की समीक्षा के स्वरूप को कवि के समसामयिक सामाजिक परिवेश तथा सैद्धांतिक मूल्यों के अनुरूप रखने का प्रयास किया भी किया है।

बालभारतम् काव्य-रचना महाकवि अमरचन्द्र सूरि की उत्कृष्ट प्रतिभा का परिचायक है। यह व्यासमुनि कृत ‘महाभारत’ की कथा का सार रूप

है। महाभारत के समान ही इसमें भी 18 पर्व हैं तथा प्रत्येक पर्व को एक या अनेक सर्गों में विभाजित किया गया है। सम्पूर्ण काव्य में 44 सर्ग हैं।

काव्य की कथा का मूल स्रोत स्पष्टतः महाभारत ही है, परन्तु कवि ने अपने काव्य-नियोजन में महाभारत की कथा पर ही अधिक बल दिया है, नीति तथा धर्मशास्त्र की बातों को विशेष नहीं अपनाया है। जैन मतावलम्बी होते हुए भी अमरचन्द्र सूरि ने अपने इस काव्य में कहीं भी जैनधर्म-दर्शन के तत्त्वों का प्रतिपादन नहीं किया है।

‘बालभारतम्’ में महाकाव्य के लक्षण पूर्णतः घटित होते हैं। इस काव्य की भाषा परिष्कृत प्रांजल तथा प्रवाहमयी है। काव्य में पात्रों के चरित्र को कवि ने मर्यादानुकूल तथा ऐतिहासिकता को ध्यान में रखते हुए चित्रित किया है इसमें मुख्यतः पांच पाण्डवों का ही चरित्र उभर कर आया है, परन्तु पक्षतः भीष्म, कर्ण, दुर्योधन, द्रोण आदि पुरुष पात्रों और कुन्ती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि स्त्री पात्रों के चरित्र को भी यथावसर अंकित किया गया है।

काव्य में रस-परिपाक भी हृदय संवेद्य है। विषय के अनुसार वीर रस का बाहुल्य होते हुए भी अन्ततः शान्त-रस में काव्य की परिणति हुई है।

इस काव्य के परिवेश में कवि ने अपने समय में प्रचलित सामाजिक रीति रिवाजों, अन्धविश्वासों, विवाह-विधि आदि द्वारा तत्कालीन समाज का परिचय दिया है। कवि को अपनी अन्यतम कृति ‘बालभारतम्’ में जैनधर्म के सिद्धान्तों, नियमों के निरूपण का अवसर नहीं मिला है, पर इस काव्य में उनके निरूपण को प्रमुख स्थान दिया गया है। धार्मिक चर्चा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और तेरहवें सर्ग में देखी जा सकती है। कवि ने आसक्ति को जीवन-विनाश का प्रमुख कारण माना है। महाबल

और ललितांगदेव नारी-आसक्ति के कारण ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। विषयासक्ति महापुरुष को भी पथभ्रष्ट कर देती है। दर्शन, आचार और जीवन के विविध पक्षों का उद्घाटन इस काव्य में निहित है।

महाकवि अमरचन्द्र सूरि की उपयुक्त सभी रचनाओं में ‘बालभारतम्’ महाकाव्य का अपना विशेष महत्त्व है। कवि ने ‘काव्यकल्पलता’ इन्दौर ‘रत्नावली’, ‘सूक्तावली’, ‘कलाकलाप’, ‘काव्यकल्पलतापरिमल’, ‘काव्यकल्पलतामंजरी’, अलंकारप्रबोध आदि ग्रन्थ तो मात्र काव्य ही लिखे हैं, ‘पद्मानन्द’ महाकाव्य तथा ‘चतुर्विंशतिजिनेन्द्र संक्षिप्तचरितानि’ ग्रन्थ जैनधर्म को आधार बनाकर रचे हैं। ‘स्यादिशब्द समुच्चय’ व्याकरणशास्त्र ग्रन्थ है। सुकृत संकीर्तन में अत्यल्प अंश ही कवि प्रणीत है। द्रौपदी-स्वयंवर में मात्र महाभारत की कथा को लिया गया है। इस सबकी अपेक्षा ‘बालभारतम्’ इतना विशाल है कि वह इन सब ग्रंथों पर वैसे ही छा गया है। यह अकेला ग्रंथ ही कवि की बहुज्ञता का परिज्ञापक है। कवि की कवित्वशक्ति शब्द योजना, भावाभिव्यक्ति, भाषाधिकार एवं छन्दविधान आदि का समन्वित रूप ‘बालभारतम्’ में देखने को मिलता है। संक्षिप्तीकरण की एक नई दिशा पर चलकर कवि ने ‘बालभारतम्’ एक अद्भुत महाकाव्य है।

महाकवि अमरचन्द्र सूरि ने महाभारत का अनुसरण करते हुए अपने महाकाव्य ‘बालभारतम्’ में शान्त रस को प्रधानता दी है। युद्ध विषयक पर्वों को छोड़कर स्त्रीपर्व, शान्तिपर्व, अनुशासनपर्व, अश्वमेध पर्व, स्वर्गारोहण पर्व तथा आस्तीक पर्व को युद्ध से विरत शान्ति और उपदेशों की ओर मोड़ गया है, इन सभी में शान्त रस का प्राचुर्य है। इतना ही

नहीं, युद्ध का उपशम तथा संघर्षशील युधिष्ठिर की स्वर्गयात्रा भी वैचारिक द्वन्द्व के शमित हो जाने में उपलक्षित होती है। अतः अन्ततः नायक के स्वर्गगमन के कारण काव्य शांति रस पर्यवसायी बन गया है। अन्य वीर, श्रृंगार, करुण, रौद्र आदि रसों का यथावसर आस्वादन किया जा सकता है।

‘बालभारतम्’ की कथा की समाप्ति कौरवों के विनाश के साथ पाण्डवों की राज्य-प्राप्ति पर होती है, परन्तु कवि ने काव्य के अन्त में पाण्डवों का स्वर्ग प्राप्ति वर्णन भी किया है इस रूप में पाण्डवों का क्षत्रियधर्म शत्रुविनाश पूर्वक राज्य को प्राप्त करना तथा अन्ततः स्वर्गप्राप्ति करना ही काव्य का उद्देश्य है।

अतएव निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि महाकवि अमरचन्द्र सूरि ने जहां एक ओर महाभारत की मूल इतिवृत्तात्मक कथा को संक्षिप्त रूप में

प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की है वहीं काव्यशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत महाकाव्य के लक्षणों से भी अपने काव्य की समन्वित करके उसे श्रेष्ठ महाकाव्य की कोटि में लाकर रख दिया है। प्रत्येक सर्ग की पुष्पिका में स्वयं भी कवि ने अपने काव्य को महाकाव्य की संज्ञा दी है।

संदर्भ

1. राजबली पाण्डेय : (1949) भारतीय इतिहास की भूमिका, दिल्ली
2. वेदव्यास : श्रीमदभागवद्गीता : गोरखपुर
3. डॉ. श्रीनिवास शास्त्री : (1973 : दशरूपक (धनंजय): मेरठ,
4. सुखमय भट्टाचार्य,(1966) :महाभारतकालीन समाज, इलाहाबाद
5. बलदेव उपाध्याय, (1957) संस्कृत आलोचना, लखनऊ





“ऋग्वेद में राजनीति विज्ञान : एक समीक्षात्मक अध्ययन”

- प्राची गौतम*
□ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी**

शोध सारांश

ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में राजा के लिए 'धृतव्रत' शब्द का प्रयोग मिलता है। धृतव्रत का अर्थ है— जिसने कुछ नियमों या प्रतिज्ञाओं के पालन व्रत लिया है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में वर्णन है कि धृतव्रत राजा वरुण साम्राज्य के लिए गद्दी पर बैठता है। तौत्तिरीय संहिता में भी यह मन्त्र आया है। ऋग्वेद में मित्र और वरुण को क्षत्रीय महाराज बताते हुए उन्हें साम्राज्य करने के लिए गद्दी पर बैठाया गया है और उन्हें 'धृतव्रत' उपाधि दी गई है। अथर्ववेद में भी राजा वरुण को 'धृतव्रत राजा' कहा गया है। इसका अभिप्राय यह है कि राजा कुछ प्रतिज्ञाओं के पालन का संकल्प लेकर ही गद्दी पर बैठता है। कौटिल्य ने राजा व राज्य की उत्पत्ति के विषय में कहा है कि—पहले प्रजा मात्स्यन्याय से दुःखित थी अर्थात् जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार बलवान लोगों ने निर्बलों का रहना दूभर कर दिया था। अतः प्रजा ने इस कष्ट से उद्धार के लिए विवस्वान् के पुत्र मनु को अपना राजा बनाया। उसे खेती की उपज का छठा भाग और व्यापार की आय का दसवाँ भाग कर के रूप में देना स्वीकार किया। इस शर्त के आधार पर राजा ने प्रजा के योगक्षेत्र का सारा उत्तरायित्व अपने ऊपर लिया। यहाँ राजा को भृत अर्थात् भृत्य (सेवक) कहा गया है। कर से प्राप्त आय उसका वेतन है और प्रजा की रक्षा उसका उत्तरदायित्व है।

प्रस्तावना

वेदों और परकालीन साहित्य में राज्य की उत्पत्ति के विषय में कई सिद्धांतों की कल्पना की गई है। इनमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न होने पर उसके नियन्त्रण हेतु एक प्रशासक की आवश्यकता

अनुभव की गई। उसको राजा नाम दिया गया। उसके मार्गदर्शन हेतु नीतिशास्त्र या राजनीतिशास्त्र का निर्माण हुआ। राज्य संस्था का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, इस विषय पर अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, उनके स्वरूप और गुण-दोषों पर यहाँ विचार प्रस्तुत किया गया है।

* शोधार्थी, शास. टी.आर.एस. महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

** प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष—संस्कृत विभाग, शास. टी.आर.एस. महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

राज्य-संस्था के विकास के संबन्ध में सबसे प्राचीन सन्दर्भ अथर्ववेद के एक सूक्त में प्राप्त होता है। इस सूक्त में राज्य की विराट् स्थिति से लेकर सभा, समिति संस्था के विकास तक का वर्णन है। इस सूक्त में राज्य संस्था या समाज के क्रमिक विकास की संक्षिप्त रूपरेखा दी गई है। अथर्ववेद का कथन है कि सबसे प्रथम विराट् (वि+राट् अर्थात् राजा-रहित या अराजक) दशा थी। यह भयावह दशा थी, अतः सभी को यह भय हुआ कि क्या यही अवस्था सदा बनी रहेगी¹ इसमें उत्क्रमण (विकास) हुआ और गार्हपत्य संस्था का संगठन हुआ। गार्हपत्य संस्था का अभिप्राय है- परिवार या कुटुम्ब संस्था। परिवार रूपी एक इकाई का (विकास) हुआ और इसके संरक्षण, भरण-पोषण आदि का उत्तरदायित्व गृहपति पर हुआ। इतः इसे गार्हपत्य कहते हैं।² इसमें फिर उत्क्रमण विकास हुआ। यह पारिवारिक संस्था से उठकर 'आवहनीय दशा हुई। यह संभवतः ग्राम-संस्था है। इसमें गृहपतियों का आवाहन किया जाता था। गृहपतियों के परामर्श आदि से ग्राम-संस्था का संचालन होता था। ग्रामसंस्था के नेता या प्रमुख को 'ग्रामणी' कहा गया है।

इस आवहनीय दशा में फिर उत्क्रमण विद्वज्जनों (विकास) हुआ। इस दशा को दक्षिणाग्नि कहा गया है। दक्षिणाग्नि का अभिप्राय संभवतः विद्वज्जनों का संगठन है। दक्षिण चतुर अर्थ में है और अग्नि अग्रणी अर्थ में। दक्षिणाग्नि यह ग्रामसंस्था की अपेक्षा बड़ा संगठन है। यह जनपदीय संगठान ज्ञात होता है। इसमें फिर उत्क्रमण (विकास) हुआ। इससे 'सभा' नामक संस्था का विकास हुआ। यह राष्ट्रीय सभा (National Judicature) राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में विकसित हुई। इस सभा में भी उत्क्रमणीय (विकास) हुआ। इससे 'समिति' नामक संस्था का विकास हुआ। यह समिति संस्था राष्ट्रीय संसद् (National Assembly)

के रूप में प्रकट हुई। इस समिति का कार्य था कि-राजा का चयन करना, उसे अभिषिक्त करना और राज्य के लिए अयोग्य सिद्ध होने पर उसे गद्दी से उतारना आदि। समिति में राजा की उपस्थिति अनिवार्य समझी जाती थी। इससे ज्ञात होता है कि ग्राम-संस्था का ही क्रमिक विकास होते हुए सभा और समिति संस्थाएँ राज्य-संचालक के रूप में विकसित हुई।

डॉ० अलतेकर ने ऋग्वेद के एक मंत्र के आधार पर यह विचार रखा है कि सर्वप्रथम इकाई पर परिवार या कुटुम्ब थी। इसका ही विकास होते हुए ग्राम, विश् और जन नामक संस्थाएँ प्रकट हुई। मंत्र में जन, विश्, जन्मन् और पुत्र शब्दों का प्रयोग है। इसमें पुत्र शब्द परिवार या कुटुम्ब के लिए है। जन्मन् शब्द एक ही वंश में उत्पन्न हुए और पारिवारिक जनों के समुह या ग्राम के लिए है। कई ग्रामों के समुह को विश् कहते थे और इसके प्रमुख को विश्पति। विश् एक बड़ा दृढ संगठन था। कई विशों को मिलाकर एक जन-संस्था बनती थी। इसके प्रमुख को जनपति या राजा कहते थे। डॉ० अलतेकर ने इस व्यवस्था की तुलना रोम की समाज-व्यवस्था से की है। जेम्स = जन्मन या कुलसमूह, क्यूरिया विश् (ग्राम समूह), ट्राइब जन (विशो का समूह)।

वेदों में प्राचीनतम वेद ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद में देवगणों की चर्चा के प्रसंग में कुछ राजनीतिक विषयक सामग्री मिलती है। ऋग्वेद में राजनीतिशास्त्र की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण सूक्त ये हैं-1.25 (राजन) 1.32 (इन्द्र-वृत्र-युद्ध), 1.80 (स्वराज्य), 1.114 (लोककल्याण), 1.130 (राजा, विदथ), 1.74 (राजधर्म), 4.4 (शत्रुनाशन), 4.42 (राजकर्म), 4.57 (कृषि), 5.37 (राजधर्म), 7.18 और 7.33 (दशराज युद्ध), 7.74 (राजा-प्रजा), (दानस्तुति), 8.93 (स्वराज्य), 8.96 (युद्ध), 10.84 (विवाह), 10.86 (नारी गौरव), 10.103 (सेना, युद्ध),

10.166 (शत्रुनाशन), 10.173 (राजा, राज्य), 10.191 (संगठन)।

वेदों में आर्य और अनार्य जातियों के संघर्ष का अनेक स्थानों पर वर्णन है। अनार्यों के लिये असुर, राक्षस, पिशाच, दास, पणि, दस्यु, वत्र आदि शब्दों का उल्लेख है। अनेक मन्त्रों में उल्लेख है कि इन्द्र ने राक्षसों का वध किया। ऋग्वेद में आर्य और दस्यु दोनों का उल्लेख है। आस्तिक, यज्ञप्रेमी और धार्मिक के लिए आर्य शब्द आया है और नास्तिक, यज्ञ-विरोधी और अनाचारी के लिए अनार्य, दस्यु या दास शब्द है। आर्यो और अनार्यों का सदा यु चलता रहता था। युद्ध के संचालन के लिए, शत्रुओं से रक्षा के लिए और अपराधों पर नियन्त्रण के लिये राजा और राज्य की आवश्यकता पड़ी। अतः देवों ने अपना राजा इन्द्र को चुना और उसने दासों, असुरों एवं अनार्यों पर विजय प्राप्त की। ऋग्वेद का कथन है कि इन्द्र और अग्नि ने दस्युओं और वृत्रों को मारा। अथर्ववेद में वर्णन है कि इन्द्र ने दासों (दस्युओं) को नष्ट किया। उसने दस्युओं को नष्ट करके आर्यों की रक्षा की। यजुर्वेद में वर्णन किया गया है कि जो हमें दास बनाना चाहता है, उसे हे इन्द्र ! तुम घोर अंधकार में डाल दो या नरक में फेंक दो। इससे ज्ञात होता है कि शत्रु राजा जीतकर लोगों को दास बनाते थे, अतः इन्द्र से प्रार्थना है कि तुम उन्हें हराओ और यातना देकर नरक में डालो। इसी प्रकार पणि जाति धनाढ्य, किन्तु कृपण जाति थी। यह आर्यों को सताती थी, उनका शोषण करती थी, अतः ऋग्वेद में कहा गया है कि तुम पणि (कृपण, शोषक) न हो। दूसरे स्थान पर कहा गया है कि राजा इन्द्र कृपण पणियों से कभी मित्रता नहीं करता।

ऋग्वेद के साथ-साथ अपेक्षा अथर्ववेद में राजनीतिशास्त्र की दृष्टि से सामग्री आधिक है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूक्त दिए गए हैं। कांड और सूक्त संख्या का निर्देश है। अथर्व. 1.9

(निर्वासित राजा को पुनः गद्दी पर बैठाना), 1.29 (राष्ट्र संवर्धन), 2.12 (शत्रुनाशन), 2.16 (सुरक्षा), 3.3 (पदच्युत राजा की पुनःस्थापना), 3.4 (प्रजा द्वारा राजा का वरण), 3.5 (राजा ओर राजकृत), 3.8 (बृहद् राष्ट्र), 3.19 शत्रुधर्म, 4.8 (राज्याभिषेक), 4.22 (एकछत्र राजा), 4.30 (राष्ट्री देवी, वागदेवी), 4.31 (सेना-निरीक्षण), 4.32 (सेना-प्रोत्साहन) 6.40 (अभय), 6.42 और 6.74 (सांमनस्य), 6.87 (राजा का वरण), 6.88 ओर 6.128 (राजा की स्थापना) 6.97 और 19.13 (विजयी राज्य), 6.99 (विजय), 7.12 (राष्ट्रसभा), 6.19 (प्रजापालन), 7.50 (विजय), 7.109 (राष्ट्रभृतः, राष्ट्ररक्षक), 11.9 (सेना, युद्ध), 19.14 से 16 (अभय), 19.17 और 18 (सुरक्षा), 19.24 और 19.41 (राष्ट्र), 19.55 (सभा, सभासद)।

यजुर्वेद में राज्याभिषेक से संबद्ध कई मन्त्रों में यह स्पष्ट किया गया है कि राजा किन-किन कर्तव्यों के पालन के लिए नियुक्त किया राजा है। इन कर्तव्यों में कुछ उल्लेखनीय कर्तव्य ये हैं—कृषि के विकास के लिए, जन-कल्याण के लिए, राष्ट्र की श्री वृद्धि के लिए और जनता के पालन-पोषण के लिए, तेजस्विता के लिए, शिक्षा के प्रसार के लिए, बल, श्री-समृद्धि और यश की वृद्धि के लिए, ज्ञान के प्रसार के लिए, ऐश्वर्य-संपन्नता के लिए और प्रजा के संरक्षण के लिए, इन्द्र के तुल्य पराक्रम के लिए, शत्रुओं को रूलाने के लिए, अभिमानी पापियों को नष्ट करने के लिए तथा जनता के योगक्षेम के लिए अनेक वर्णन हमें सूक्तों में प्राप्त होते हैं।

ऋग्वेद के अन्तर्गत ही ऐतरेय ब्राह्मण में यह स्पष्ट किया गया है कि राजा का राज्याभिषेक करने से पूर्व उससे शपथ ली जाती थी कि वह अपनी प्रतिज्ञाओं और शर्तों का पालन करेगा। जनता के प्रतिनिधि के रूप में पुरोहित राजा को शपथ दिलाता है और उसके उत्तर में राजा शपथ

लेता है कि यदि मैं इन प्रतिज्ञाओं (शर्तों) को तोड़ूंगा तो मेरे जीवन भर के सारे पुण्य नष्ट हो जाएं।

ऋग्वेद के कुछ मंत्रों में आदर्श राष्ट्र के लिए कुछ उपयोगी बातें दी गई हैं। सोम देवता से प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि—हे सोमदेव मुझे ऐसे भू-भाग (लोक) में निवास स्थान दो, जहाँ आनन्द, आमोद—प्रमोद आदि हो। जहाँ स्वर्ग तुल्य स्थान हो तथा सभी कामनाओं की तृप्ति हो सके। जहाँ स्वेच्छानुसार गमन की सुविधा हो, पूर्ण व्यवस्था हो और निरन्तर बहती हुई नारियाँ हो, ऐसे स्थान में मुझे निवास दो।

वेदों में ब्रह्म और क्षत्र—शक्ति के अतिरिक्त दो अन्य तत्वों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। ये हैं—राष्ट्र और विश्व। राष्ट्र का अभिप्राय देश या भू-भाग है। विश्व का अभिप्राय है—उस भू-भाग में निवास करने वाली प्रजा। अनेक मंत्रों में राष्ट्र और विश्व का एक साथ उल्लेख मिलता है। वैदिक इन ग्रन्थों से समाज को एक नई दिशा प्राप्त होगी। वैदिक कालीन समाज का अच्छा दिग्दर्शन उपलब्ध होगा, जिससे उपदेश प्राप्त करके जनता कृतकृत्य हो जायेगी। इसके गर्भ में छिपी जानकारीयों को प्रकाश में लाने का प्रयास अभिनव प्रयास है तथा ऋग्वेद काल से ही ऋग्वेद में यत्र—तत्र राजनैतिक शब्दावली के द्वारा जो भी राजनीति के लिए संदेश प्राप्त होते हैं उनको एकत्र कर समाज एवं साहित्य के समय रखने का अल्पप्रयास है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद के मंत्रों का निरन्तर शोधानुसंधान जो किया जा रहा है उससे भविष्य में इनके परिणाम मानव जाति

के उत्थान एवं ऋग्वेद में वर्णित राजनीति विज्ञान की प्राचीनतम जानकारी से अनेकों प्रकार की समस्याओं को निराकृत करने का एक अभिनव प्रयास समुपलब्ध होगा।

संदर्भ

1. एफ. मैक्समूल : ऋग्वेद संहिता, चौखम्भा संस्कृत भवन 1-2, संवत् 2005
2. विमलानन्द जी : ऋग्वेदीयम्, नाग पब्लिशर्स 11 ए (यू.ए.) जवाहर नगर दिल्ली
3. डॉ. कुमकुम पाठक : ऋग्वेद में युगल देवता (एक अध्ययन), नाग पब्लिशर्स 11 ए (यू.ए.) जवाहर नगर दिल्ली
4. डॉ. ओंकारनाथ तिवारी : ऋग्वेददस्य दार्शनिकधरातलम्, नाग पब्लिशर्स 11 ए (यू.ए.) जवाहर नगर दिल्ली
5. डॉ. एस., वाधवा : भारतीय राजनीति और प्रशासन, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।
6. डॉ. आर.एस. त्रिवेदी एवं डॉ. एम.पी. : भारतीय सरकार एवं राजनीति, कालेज बुक डिपो जयपुर
7. डॉ. लोकेश अग्रवाल : राजनीतिक सिद्धांत, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल
8. डॉ. इकबाल नारायण : राजनीति विज्ञान, शिवलाल, अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा 1997
9. मूल लेखक श्री अनिर्वाण हिन्दी अनुवादक—छविनाथ मिश्र : वेद मीमांसा, नाग पब्लिशर्स 11 ए (यू.ए.) जवाहर नगर दिल्ली
10. वैदिक साहित्य में संवाद—सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक विश्लेषण : डॉ. उषा किरण, नाग पब्लिशर्स 11 ए (यू.ए.) जवाहर नगर दिल्ली
11. डॉ. कपिलदेव द्विवेदी (2009) वेदों में राजनीतिशास्त्र, विश्वभारती अनुसन्धान परिषद् ज्ञानपुर (भदोही)





मध्यप्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन एवं औषधीय गुण

□ डॉ. एस.पी. पाण्डेय*

शोध सारांश

मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में सोयाबीन की खेती का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मध्यप्रदेश में सोयाबीन की फसल से कृषक सर्वाधिक लाभ अर्जित करते हैं। सोयाबीन की फसल के उत्पादन से प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ सस्ती दरों पर प्रत्येक व्यक्ति तक आसानी से मिल रहा है। इसमें खाद्य तेलों की आपूर्ति आसानी से हो जाती है। यह अत्यन्त पौष्टिक खाद्य पदार्थ के रूप में उपलब्ध हो रहा है। सोयाबीन की खेती मुख्य रूप से उत्पादन ब्राजील, अर्जेंटाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन एवं भारत में होता है। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में सोयाबीन की खेती की जाती है जैसे—उज्जैन, शाजापुर, देवास, होशंगाबाद, रतलाम, सीहोर, सागर, इंदौर, सतना एवं रीवा जिलों में भी फसल का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। सोयाबीन का पूरे विश्व में 91 प्रतिशत उत्पादन होता है। भारत से उत्पादित सोयाबीन को विदेशों में निर्यात किया जाता है। मध्यप्रदेश के सकल घरेलू उत्पादन में भी सोयाबीन का महत्वपूर्ण योगदान है। सोयाबीन पर आधारित कई उद्योग मध्यप्रदेश में संचालित हैं। उक्त तथ्यों के आधार पर सोयाबीन की खेती कृषकों के लिए फायदे की है।

शब्दबीज :- सोयाबीन, उद्योग, उत्पादन, फायदे, तिलहन

सोयाबीन की पैदावार एवं मूल्य की दृष्टि से खाद्यान्नों के बाद तिलहनी फसलों का भारत की कृषि अर्थव्यवस्था तथा उद्योग जगत में बड़ा महत्व है। देश में खाद्य तेलों के कम उत्पादन को देखते हुए सरकार सोयाबीन उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर दे रही है जिससे खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों पर काबू पाया जा सके। सोयाबीन का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके और

प्रोटीन की कमी से होने वाले कुपोषण को भी रोका जा सके।

सोयाबीन का बीज मध्य प्रदेश के विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों पर तैयार किये जाते हैं उपचारित बीज को ही कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे खेती की तैयारी के बाद उन्हीं बीजों को बोया जाता है, जो अधिक उत्पादन दे सके। जैसे—

* प्राध्यापक (भूगोल), शास. टी.आर.एस. महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक	प्रजाति का नाम	समयावधि	सोयाबीन में होने वाले बीमारियों एवं उपाय
1.	जे. एस. 335	95-100 दिन 25-30 क्विंटल/हेक्टेयर	व्यापक क्षेत्र के लिए अनुकूल, श्रेष्ठ अंकुरण क्षमता, फली चटकन के लिए प्रतिरोधी बीमारियों के प्रति प्रतिरोधता/सहनशीलता
2.	जे. एस. 95-60	82-87 दिन 18-20 क्विंटल/हेक्टेयर	अतिशीघ्र पकने वाली, चार दाने वाली, क्षेत्रों के लिये अनुकूल, अच्छी अंकुरण क्षमता सूखा एवं अधिक तापमान सहनशील कीटों तथा नीला भुंग व बीमारियों में जड़ सड़न, तथा
	जे. एस. 97-52	98-102 दिन क्विंटल/हेक्टेयर	व्यापक क्षेत्र के लिए अनुकूल, सर्वश्रेष्ठ अंकुर बहुरोधी क्षमता फली चटकन के लिए प्रतिरोधी। मोजेक, जड़ सड़न एवं कीटी में तना छेदक एवं पत्ती भक्षक एवं अधिक नमी के लिए रोधी/सहनशील फूल का रंग सफेद।
4.	एन. आर. सी. 37	100-105 दिन 25-30 क्विंटल/हेक्टेयर 25	अधिक उत्पादन क्षमता, अच्छी अंकुरण क्षमता प्रतिरोधिता, प्रमुख कीट एवं बीमारियों की प्रतिरोध
5.	एन. आर. सी. 7 (अहिल्या-2)	90-99 दिन 25-30 क्विंटल/हेक्टेयर	बैक्टीरिया पाश्चुरीकरण, हरा विषाणु रोग, बैक्टीरिया रोग के प्रति प्रतिरोधिता, तनामक्खी, गर्डल के लिए सहनशीलता।
6.	एन. आर. सी. 12 (अहिल्या-3)	96-99 दिन 25-30 क्विंटल/हेक्टेयर	बैक्टीरियल पश्च्यूल, माइरोथीसियम पर्ण राइजोक्टोनिया पर्ण झुलसन के प्रतिरोध मक्खी, चक्रभुंग कीट के प्रति सहनशीलता
7.	एन. आर. सी. 2 (अहिल्या-1)	103-106 दिन 25-30 क्विंटल/हेक्टेयर	राइजोक्टोनिया पर्ण झुलसन, हरा विषाणु रोगी सरकोस्पोरा तथा एन्थ्रेक्नोज बीमारी के लिए
8.	जे. एस. 20-34	80-85 दिन 25-30 क्विंटल/हेक्टेयर	अतिशीघ्र पकने वाली, जड़ सड़न रोधी, व्यापक अंकुरण।
9.	जे. एस. 20-29	90-95 दिन 25-30 क्विंटल/हेक्टेयर	शीघ्र पकने वाली, जड़ सड़न एवं पीला मोजेक अनुकूल, श्रेष्ठ अंकुरण क्षमता।
10	जे. एस. 20-69	95 दिन 25-30 क्विंटल/ हेक्टेयर	यह बहुप्रतिरोधी प्रजाति है, जो जैविक व्याधि सड़न, झुलसन, जीवाणु धब्बा, पर्णाय धब्बे, पत्रिभक्षकों के लिए रोधी एवं सहनशील है। उत्तम है। फूल का रंग सफेद

सोयाबीन में पौष्टिक गुण :

सोयाबीन में अधिक मात्रा में प्रोटीन होने के कारण इसका पोषक मान बहुत अधिक होता है। प्रोटीन के साथ-साथ इसमें विटामिन और खनिज तथा विटामिन 'बी' कॉम्प्लेक्स और विटामिन 'ई' काफी अधिक मात्रा में होता है, जो शरीर निर्माण के लिए आवश्यक एमिनो एसिड प्रदान करते हैं। यह प्रोटीन का उच्च स्रोत तो होता ही है साथ ही फाइबर और कैल्शियम भी इसमें पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं। सोया खाने में भी स्वादिष्ट होता है और विशेषकर बच्चों को यह काफी पसंद आता है।

सोया प्रोटीन और आइसोफलेवॉस से भरपूर आहार का सेवन रजोनिवृत्त महिलाओं में हड्डियों को कमजोर होने और हड्डियों के क्षरण से संबंधित बीमारी ओस्टियोपोरोसिस के खतरे से बचा जा सकता है, एक अध्ययन में यह दावा किया गया है। इंग्लैंड के हुल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन के मुताबिक, सोयाबीन खाद्य उत्पादों में आइसोफलेवॉस नामक रसायन होता है जो कि संरचना में इस्ट्रोजन हार्मोन जैसा होता है और महिलाओं को ओस्टियोपोरोसिस के खतरे से बचा जा सकता है। उबले हुए सोयाबीन और टोफू कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं, लेकिन सोया मिल्क से प्राप्त होने वाली कैल्शियम की मात्रा उस ब्रांड पर निर्भर करती है जो आप खरीदती हैं। जैसा कि आप जानती ही हैं कि सोया एक सर्वोत्तम उपयोगी आहार है, लेकिन हम सभी इसके इस्तेमाल के बेहतर तरीकों से भी पर्याप्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

सोयाबीन द्वारा विभिन्न रोगों में उपचार दिल के रोग में :

इस में 20 से 22 प्रतिशत वसा पाई जाती है। सोयाबीन की वसा में लगभग 85 प्रतिशत असन्तृप्त

वसीय अम्ल होते हैं, जो दिल के रोगियों के लिए फायदेमंद है। इसमें 'लेसीथिन' नामक पदार्थ होता है। जो दिल की नलियों के लिए आवश्यक है। यह कोलेस्ट्रॉल को दिल की नलियों में जमने से रोकता है यह खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए यह दिल के रोगियों के लिये फायदेमंद है। ज्यादातर दिल के रोगों में खून में कुछ प्रकार की वसा बढ़ जाती है। जैसे-ट्रायग्लिसरोइड्स, कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल, जबकि फायदेमंद वसा यानी एचडीएल कम हो जाती है। सोयाबीन में वसा की बनावट ऐसी है कि उसमें 15 प्रतिशत सन्तृप्त वसा, 25 प्रतिशत मोनो सन्तृप्त सोयाबीन में वसा और 60 प्रतिशत पॉली असन्तृप्त वसा है। खासकर 2 वसा अम्ल, जो सोयाबीन में पाये जाते हैं। यह दिल के लिए काफी उपयोगी होते हैं। सोयाबीन का प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल एवं एलडीएल कम रखने में सहायक है। साथ ही साथ शरीर में लाभप्रद कोलेस्ट्रॉल एचडीएल भी बढ़ाता है।

मानसिक रोगों में :

सोयाबीन में फॉस्फोरस इतनी होती है कि यह मस्तिष्क (दिमाग) तथा ज्ञान-तन्तुओं की बीमारी, जैसे-मिर्गी, हिस्टीरिया, याददाश्त की कमजोरी, सूख रोग (रिकेट्स) और फेफड़ों से सम्बन्धी बीमारियों में उत्तम पथ का काम करता है। सोयाबीन के आटे में लिथेसीथिन नामक एक पदार्थ तपेदिक और ज्ञान-तन्तुओं की बीमारी में बहुत लाभ पहुंचता है। भारत में जो लोग गरीब हैं। या जो लोग मछली आदि नहीं खा सकते हैं, उनके लिए यह मुख्य फास्फोरस प्रदाता खाद्य पदार्थ हैं। इसको खाना गरीबों के लिए सन्तुलित भोजन होता है।

उच्च रक्तचाप :

रोज कम नमक में भुने आधा कप इस का 8 हफ्तों तक सेवन करने से ब्लडप्रेसर काबू में रहता है। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कालीमिर्च भी डाल सकते हैं। सिर्फ आधा कप रोस्टेड सोयाबीन खाने से महिलाओं का बढ़ा हुआ ब्लेडप्रेसर कम होने लगता है। लगातार 8 हफते तक सोयाबीन खाने से महिलाओं का 10 प्रतिशत सिस्टोलिक प्रेशर, 7 प्रतिशत डायस्टोलिक और सामान्य महिलाओं का 3 प्रतिशत ब्लेडप्रेसर कम हो जाता है। तो आप भी सोयाबीन को 8 से 12 घण्टे पानी में भिगोकर रख दें और सुबह ही गर्म कर के खायें।

पेट में कीड़े : इस की छाछ पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं।

मधुमेह (डायबिटीज) :

सोयाबीन मोटे भारी-भरकम शरीर वालों के तथा मधुमेह (डायबिटीज) वाले लोगों के लिए उत्तम पथ हैं। सोया आटे की रोटी उत्तम आहार है।

आमवात या गठिया : सोया आटे की रोटी खाने तथा दूध पीने से गठिया (जोड़ों का दर्द) रोग दूर होता है। आम तौर पर देखा गया है कि वृद्धों में जो 60 वर्ष से अधिक की उम्र पूर्ण कर चुके हैं उन व्यक्तियों (वृद्धों) में गठिया की शिकायत देखने को मिलती है उन्हें समझाइस दी जाती है कि वे अपने भोजन के रूप में सोया आटे का प्रयोग करे ताकि उन्हें गठिया या आमवात की ला-इलाज बीमारी से छुटकारा मिल सके।

दूध को बढ़ाने के लिए : दूध पिलाने वाली स्त्री यदि सोया दूध (सोयाबीन का दूध) पीये तो बच्चे को पिलाने के लिए उसके स्तनों में दूध की मात्रा बढ़ जाती है। अनेको अध्येताओं द्वारा अनेकों खोजों के अवलोकन के दौरान पाया।

मूत्ररोग :

इस का रोजाना सेवन करने से मधुमेह (डायबिटीज) के रोगी का मूत्ररोग (बार-बार पेशाब के आने का रोग) ठीक हो जाता है।

प्रोस्टेट कैंसर रोकने में सहायक सोयाबीन अथवा सोयाबीन से बने खाद्य पदार्थों में आइसोफ्लेवोन नामक फाइटोरसायन उपस्थित होते हैं। इन रसायनों के विभिन्न महत्व पाए गए हैं। वे शरीर में कैंसर के प्रतिरोधक का कार्य भी करते हैं, खासतौर पर स्तन व प्रोस्टेट कैंसर में। महिलाओं में 45 से 50 वर्ष की आयु के पश्चात् रजोनिवृत्ति (मोनीपॉज) की समस्या प्रारंभ हो जाती है। जिसके लक्षण हैं एक दम से रात में पसीना आना,

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सोयाबीन के अधिक उत्पादन से एक ओर खाद्य तेलों की आपूर्ति में सुधार होगा, साथ ही सोया से बने भोज्य पदार्थों के उपयोग से शरीर में होने वाली अनेकों बीमारियों को दूर करने के लिए यह सोया उत्पाद रामबाण की तरह फायदेमंद है और कृषकों को दूसरी तरफ सोयाबीन के उत्पादन से उन्हें अच्छा बाजार भाव से उनके उत्पादित सोयाबीन फसल से लाभ भी मिल सकेगा।

संदर्भ

1. Modern Techniques of Raising Field Crops by Dr Chhidda Singh
2. कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास को समर्पित, नवम्बर 2016, वर्ष-63, अंक 1, पृष्ठ 24-29,
3. कृषि विज्ञान केन्द्र, रीवा 2016 के समकों के विश्लेषण पर आधारित।
4. म.प्र. का आर्थिक सवेक्षण 2014-15 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय (म.प्र.)
5. संजय गांधी मेमोरियल, रीवा वर्ष 2016-17 से प्राप्त समकों तथा स्वतः साक्षात्कार के आधार पर
6. www.google.com





पाठकों द्वारा पुस्तकालय के उपयोग न किये जाने का विश्लेषणात्मक अध्ययन

(मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संदर्भ में)

□ कृष्ण कुमार सिंह*

शोध सारांश

पुस्तकालय वह स्थान है जहां विविध प्रकार के ज्ञान, सूचनाओं, स्रोतों, सेवाओं आदि का संग्रह रहता है। पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतर है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द 'लाइवर' से हुई है, जिसका अर्थ है पुस्तक। पुस्तकालय का इतिहास लेखन प्रणाली पुस्तकों और दस्तावेज के स्वरूप को संरक्षित रखने की पद्धतियाँ और प्रणालियों से जुड़ा है।

पुस्तकालय यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है—पुस्तक+आलय। पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहां पर अध्ययन सामग्री (पुस्तकें, फिल्म, पत्रपत्रिकाएँ, मानचित्र, हस्तलिखित ग्रंथ, ग्रामोफोन रेकार्ड एवं अन्य पठनीय सामग्री) संग्रहीत रहती हैं। और सामग्री की सुरक्षा की जाती है। पुस्तकों से भरी अलमारी अथवा पुस्तक विक्रेता के पास पुस्तकों का संग्रह पुस्तकालय नहीं कहलाता क्योंकि वहाँ पर पुस्तकें व्यावसायिक दृष्टि से रखी जाती हैं। चीन के राष्ट्रीय पुस्तकालय में लगभग पांच करोड़ पुस्तकें हैं और यहाँ के विश्वविद्यालय में भी विशाल पुस्तकालय हैं। इंपीरियल कैबिनो लाइब्रेरी के राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1881 ई. में हुई थी। इसके अतिरिक्त जापान में अनेक विशाल पुस्तकालय हैं।

1713 ई. में अमरीका के फिलाडेलफिया नगर में सबसे पहले चंदे से चलने वाले एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना हुई। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अमरीका का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इसकी स्थापना वाशिंगटन में सन् 1800 में हुई थी। इसमें ग्रंथों की संख्या साढ़े तीन करोड़ है। पुस्तकालय में लगभग 2400 कर्मचारी काम करते हैं। समय-समय पर अनेक पुस्तकों का प्रकाशन भी यह पुस्तकालय करता है और एक साप्ताहिक पत्र भी यहाँ से निकलता है।

* शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

अमरीकन पुस्तकालय संघ की स्थापना 1876 में हुई थी और इसकी स्थापना के पश्चात् पुस्तकालयों, मुख्यतः सार्वजनिक पुस्तकालयों, का विकास अमरीका में तीव्र गति से होने लगा। सार्वजनिक पुस्तकालय कानून सन् 1849 में पास हुआ था और शायद न्यू हैम्पशायर अमरीका का पहला राज्य था जिसने इस कानून को सबसे पहले कार्यान्वित किया। अमरीका के प्रत्येक राज्य में एक राजकीय पुस्तकालय है।

सन् 1885 में न्यूयार्क नगर में एक बाल-पुस्तकालय स्थापित हुआ। धीरे-धीरे प्रत्येक सार्वजनिक पुस्तकालय में बाल विभागों का गठन किया गया। स्कूल पुस्तकालयों का विकास भी अमरीका में 20वीं शताब्दी में ही प्रारंभ हुआ। पुस्तकों के अतिरिक्त ज्ञानवर्धक फिल्में, ग्रामोफोन रेकार्ड एवं नवीनतम आधुनिक सामग्री यहां विद्यार्थियों के उपयोग के लिए रहती हैं।

आस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध शहर कैनबरा में राष्ट्रसंघ पुस्तकालय की स्थापना 1972 में हुई। वास्तव में पुस्तकालय आंदोलन की दिशा में यह क्रांतिकारी अध्याय था। मेलबोर्न में विक्टोरिया पुस्तकालय की स्थापना 1853 में हुई थी।

प्रदेश एवं देश में पुस्तकालयों की स्थापना

हमारे देश में पुस्तकालय की स्थापना श्रे जे. एच. स्टाकलर के प्रयत्न से 1836 में कलकत्ता में हुई। इसे अनेक उदार व्यक्तियों से एवं तत्कालीन फोर्ट बिलियम कालेज से अनेक ग्रंथ उपलब्ध हुए। प्रारंभ में पुस्तकालय एक निजी मकान में था। परंतु 1841 ई. में फोर्ट बिलियम कालेज में इसे रखा गया। सन् 1844 ई. में इसका स्थानांतरण मेंटकाफ भवन में कर दिया गया। सन् 1890 ई. में कलकत्ता नगरपालिका ने इस पुस्तकालय का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया। बाद में तत्कालीन बंगाल सरकार ने इसे वित्तीय सहायता दी। 1891 में इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की गई और लार्ड कर्जन के प्रयत्न से कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी तथा इंपीरियल लाइब्रेरी को 1902 ई. में एक में मिला दिया गया। उदार व्यक्तियों ने इसे बहुमूल्य ग्रंथों का निजी संग्रह भेंट स्वरूप दिया।

सन् 1926 ई. में रिचे सीमित ने इस पुस्तकालय के विकास के संबंध में भारत सरकार को अपना

प्रतिवेदन दिया। सितम्बर, 1948 में यह पुस्तकालय नए भवन में लाया गया और इसकी रजत जयंती 1 फरवरी 1953 ई. को मनाई गई। स्वतंत्रता के पश्चात इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय पुस्तकालय कर दिया गया। इसमें ग्रंथों की संख्या लगभग 12 लाख है। डिलीवरी ऑव बुक्स ऐक्ट 1954 के अनुसार प्रत्येक प्रकाशन की एक प्रति इस पुस्तकालय को प्राप्त होती है। वर्ष 1964-65 में इस योजना के अन्तर्गत 18642 पुस्तकें इसे प्राप्त हुई एवं भेंट स्वरूप 7000 से अधिक ग्रंथ मिले।

किसी भी समाज अथवा राष्ट्र के उत्थान में पुस्तकालयों का अपना विशेष महत्व है। इनके माध्यम से निर्धन छात्र भी महंगी पुस्तकों में निहित ज्ञानार्जन कर सकते हैं। पुस्तकालय में एक ही विषय पर अनेक लेखकों की व प्रकाशकों की पुस्तकें उपलब्ध होती हैं जो संदर्भ पुस्तकों के रूप में सभी के लिए उपयोगी होती हैं। कुछ प्रमुख पुस्तकालयों में विज्ञान व तकनीक अथवा अन्य विषयों की अनेक ऐसी दुर्लभ पुस्तकें उपलब्ध होती

हैं जिन्हें सहजता से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अतः हम पाते हैं कि पुस्तकालय ज्ञानार्जन का एक प्रमुख स्रोत है जहां श्रेष्ठ लेखकों के महान व्याख्यानों व कथानकों से परिपूर्ण पुस्तकें प्राप्त की जा सकती हैं।

इसके अतिरिक्त समाज के सभी वर्गों—अध्यापक, विद्यार्थी, वकील, चिकित्सक आदि के लिए एक ही स्थान पर पुस्तकें उपलब्ध होती हैं जो संपर्क बढ़ाने जैसी हमारी सामाजिक भावना की तृप्ति में भी सहायक बनती हैं। पुस्तकालयों में मनोरंजन संबंधी पुस्तकें भी उपलब्ध होती हैं। पुस्तकालयों का महत्व इस दृष्टि से और भी बढ़ जाता है कि पुस्तकें मनोरंजन के साथ ही साथ ज्ञानवर्धन में भी सहायक सिद्ध होती हैं। पुस्तकालयों में प्रसाद, तुलसी, शेक्सपियर, प्रेमचंद जैसे महान साहित्यकारों, कवियों एवं अरस्तु, सुकरात जैसे महान दार्शनिकों और चाणक्य, मार्क्स जैसे महान राजनीतिज्ञों की लेखनी उपलब्ध होती हैं। इन लेखनियों में निहित ज्ञान एवं अनुभवों को आत्मसात कर विद्यार्थी सफलताओं के नए आयाम स्थापित कर सकता है। अतः पुस्तकालय हमारे राष्ट्र के विकास की अनुपम धरोहर हैं। इनके विकास व विस्तार के लिए सरकार के साथ-साथ हम सभी नागरिकों का भी नैतिक कर्तव्य बनता है जिसके लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है।

पुस्तकालय भवन एवं फर्नीचर की साज-सज्जा का प्रबन्धन के लिए बड़े आकार के हाल की आवश्यकता होती है। निर्माण के लिए योजनाबद्ध तरीके से भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाता है। जिसके विस्तार स्वरूप छात्र/छात्राओं के बैठने के लिए कुर्सी, मेज, पुस्तकों को रखने के लिए लोहे की आलमारियों की आवश्यकता होती है

जो अच्छी तरीके से निर्मित भवन में रखा जाता है।

उद्देश्य

अध्ययन कक्ष—पुस्तकालय में अध्ययन का अपना विशेष महत्व होता है। अध्ययन कक्ष अलग से ऐसा कक्ष होता है जिसमें पाठकों के लिए ग्रन्थालय में ही बैठकर पढ़ने की व्यवस्था की जाती है, जिसके उद्देश्य निम्न हैं —

1. अध्ययन कक्ष काफी बड़े आकार का होना चाहिए जिसमें ग्रन्थालय के पंजीकृत पाठकों की संख्या के कम से कम एक-चौथाई पाठकों के बैठकर पढ़ने की व्यवस्था हो।
2. अध्ययन कक्ष में चूंकि स्वतंत्र प्रवेश प्रणाली होती है। अतः पुस्तकों के चोरी होने अथवा क्षति होने की अधिक सम्भावना होती है। अतः उसका एक ही द्वार होना चाहिए।
3. अध्ययन कक्ष में समय देखने के लिए एक घड़ी भी लगी होनी चाहिए।
4. पाठकों को बैठने के लिए फर्नीचर एवं मेज आराम दायक होनी चाहिए।
5. अध्ययन कक्ष में प्रकाश की व्यवस्था दुरुस्त हो जिससे पाठकों को कोई असुविधा न हों।
6. पाठकों के हितार्थ कुछ आवश्यक निर्देश, नियम एवं गाइड एक बोर्ड पर अध्ययन कक्ष में आवश्यक लिखे होने चाहिए।

ग्रन्थालय का पाठकों की उपयोगिता की दृष्टि से दूसरा महत्वपूर्ण विभाग पत्र-पत्रिकाओं से होता है जिसे सामयिकी प्रकाशन विभाग भी कहते हैं इस विभाग में पत्र एवं पत्रिकाएं अर्जित की जाती है।

शोध समीक्षा

प्रस्तुत शोध समीक्षा शीर्षक के अन्तर्गत पुस्तकालय भवन एवं फर्नीचर की साज-सज्जा

का प्रबन्धन के सम्बन्ध में विभिन्न शोधकर्ताओं के द्वारा पुस्तकालय विषय में शोध-पत्र एवं पुस्तकें लिखी गई हैं जो निम्नवत हैं :-

1. पाठक, विजय एण्ड रमाईह, एल.एस. (1986) बिब्लियोग्राफी ऑफ रिसर्च इन लाइब्रेरी एण्ड इनफरमेशन साइंस इन इंडिया, गुडगांव इण्डियन डाक्यूमेंटेशन सर्विस में पुस्तक विज्ञान की समीक्षा के अन्तर्गत विभिन्न तकनीकी ज्ञान को समाहित किया गया है का कथन दृष्टिगोचर हो रहा है।

2. शर्मा, हरिकृष्ण (1997) आर्गनाइजेशन एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कालेज लाइब्रेरिज नई दिल्ली-में उल्लेख किया गया है कि महाविद्यालय के पुस्तक विज्ञान एक महत्वपूर्ण विभाग है जो छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में पुस्तकें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इससे महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता है।

3. ब्लूमफील्ड, बी.आई, ईयर (1993) कलेक्शन डेवलपमेन्ट इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी अनुवादित ईसब ड्यूरेथी ए.एन. राजू और एल एस. राय मद्रास टी. आर पब्लिकेशन के अन्तर्गत इसके अन्तर्गत पुस्तकों की मांग और उसके विकसित करने के सिद्धान्त तथा अधिक से अधिक पुस्तकालय में पुस्तकों के संग्रहण की व्यवस्था को संचालित करने के लिए प्रयास होना चाहिए जिससे पुस्तकों को सुव्यवस्थित ढंग से रखा जा सके।

4. रे प्रिथ्रेट (1989) हैरोड लाइब्रेरी ग्लोसरी-में पुस्तकालय भवन को सुसज्जित ढंग से व्यवस्थित रूप से महाविद्यालय को उपलब्ध कराने की बात कही है जिससे महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पुस्तकें पुस्तकालय भवन में बैठकर पढ़ने के

लिए आसानी से उपलब्ध हो सकें और वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के ज्ञान को अर्जित कर सकें।

5. रंगनाथम, एस.आर. (1961) रिफ्ररेन्स सर्विस सेकेण्ड एडिट बाम्बे, एसिया पब्लिकेशन हाउस – में लेख किया गया है कि व्यक्तिगत रूप से पुस्तकालय की सेवाएं पाठकों को उपलब्ध कराने के लिए उनकी रुचि के अनुसार ही पुस्तकें उपलब्ध कराने की व्यवस्था के संदर्भ में कहा गया है।

6. एसोसिएशन आफ इण्डिया यूनिवर्सिटीज, रिपोर्ट ऑफ नेशनल पालिसी ऑन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, के अन्तर्गत पुस्तकालय विज्ञान में विभिन्न विश्वविद्यालय में 146 डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी से सम्बन्धित भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्वीकृत की गई, स्वीकृति के पश्चात् उपाधि दी गई है जिन्होंने जयादातर कर्मचारियों की कमी बताई गई है। यहां से प्राप्त उपाधियों से शोधार्थियों को प्लेसमेन्ट कम ही देखने को मिला है, इसी तरह कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्यों का उल्लेख के साथ पर्यावरणीय व प्रोफेशनलों की आवश्यक होती है। इसी प्रकार से अनेकों महाविद्यालयों में पुस्तकालय भवन की आवश्यकता बनी रहती है, का उल्लेख किया है।

7. नाथ, महेन्द्र (2001) हैण्डबुक आफ लाइब्रेरी सर्विसेज जयपुर पाइनिअर पब्लिकेशन-इसके अन्तर्गत महाविद्यालय के पुस्तकालय भवन के लिए आवश्यक स्पेस (जगह) की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसके लिए मानक गाइड लाईन के आधार पर ही पुस्तकालय विज्ञान के भवन के निर्माण एवं सज-सज्जा को ध्यान में रख का किया जाना चाहिए जिसका विवरण निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:-

(1) महाविद्यालय के बच्चों के लिए एक बड़े हाल की आवश्यकता होती है और समय-समय पर विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार साज-सज्जा में सुधार होना चाहिए।

(2) पुस्तकालय भवन में ज्यादातर प्राकृतिक प्रकाश की आवश्यकता होती है जहां पर पुस्तकालय भवन कालेज के भवन के उत्तर दिशा में होना चाहिए।

(3) पुस्तकालय भवन के लिए सुलभ व्यवस्था के साथ-साथ सुलभ शौचालय की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

(4) पुस्तकालय भवन में स्पेस के साथ समुचित उपकरणों की भी आवश्यकता होती है।

(5) पुस्तकालय भवन के कर्मचारियों के लिए अलग से कमरों की आवश्यकता होती है जिससे लाइब्रेरी में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध रहे।

(6) पुस्तकालय भवन के अंदर विद्यार्थियों के लिए सुलभ भवन की उपलब्धता होनी चाहिए जिसका वे आसानी से उपयोग कर सकें।

(7) पुस्तक भवन के साथ-साथ कुर्सी, मेज और किताबे अच्छी तरह से साज-सज्जा के साथ सुसज्जित होनी चाहिए।

8. फ्रीमैन (2010) के अनुसार कथन है कि पुस्तकालय के स्पेस को अच्छी तरह से उपयोग करना तथा लायब्रेरी की कोरीडोर या गैलरी का भरपूर उपयोग करना चाहिए। गैलरी से जुड़े कमरों में भी बैठकर अध्ययन की व्यवस्था होनी चाहिए जहां भीड़-भाड़ न हो। और पुस्तकालय के मुख्य द्वार पर बुलेटिन मैसेज बोर्ड पर लगा होना

चाहिए जिसका प्रत्येक पाठकगण पुस्तकालय नियमों का पालन करना चाहिए ताकि पुस्तकालय में अव्यवस्था न उत्पन्न हो। साथ-ही साथ समूह में बैठकर पुस्तकालय में पढ़ाई की जा सकती है।

9. सिल्वर (2007) के अनुसार पुस्तकालय में पठन-पाठन के लिए अच्छे भवन एवं फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए। भवन में ऐसी व्यवस्था हो कि आवश्यकतानुसार उसे परिवर्तित कर अन्य कार्यों में पुस्तकालय भवन का उपयोग किया जा सके। और इस भवन में शिक्षा से सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किये जा सकें। इस तरह की व्यवस्था विश्वविद्यालय की सेन्ट्रल लायब्रेरी में ज्यादातर होती है, जिससे संस्था के अनेकों प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त होती है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय के विश्लेषणात्मक अध्ययन :-

इसी संदर्भ में वर्तमान परिस्थितियों एवं वातावरण में आये दिन हुए बदलाव के कारण पाठकों में पुस्तकों के प्रति अरुचि पैदा हुई है, बल्कि ई-लायब्रेरी का अधिकांश पाठक उपयोग करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ रहे हैं साथ ही छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश में स्थापित पुस्तकालयों के प्रति पाठकों में अरुचि हुई है उसका सीधा सा कारण है कि आजकल लोगों की दिनचर्या में बेतहासा भाग-दौड़ होने की वजह से पाठकों को पुस्तकालय की पुस्तकों को उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश के केन्द्रीय पुस्तकालयों उपस्थित छात्र/छात्राओं से साक्षात्कार करने पर उपलब्ध प्राथमिक आंकड़ों के अनुसार—

तालिका क्रमांक 01
मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के
पुस्तकालयों के उपयोग न किये जाने के सम्बन्ध

क्रमांक	केन्द्रीय विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों का वास्तविक उपयोग	पाठकों की संख्या	प्रतिशत
1.	प्राध्यापक	30	60
2.	छात्र/छात्राओं	20	40
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों की पुस्तकों का उपयोग न किये जाने की संख्या 30 (60 प्रतिशत) तथा छात्र/छात्राओं की संख्या 20 (40 प्रतिशत) देखने को मिलता है।

तालिका क्रमांक 02
केन्द्रीय विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों के उपयोग न किये जाने के सम्बन्ध

क्रमांक	पुस्तकालय के उपयोग न किये जाने सम्बन्धी	पाठकों की संख्या	प्रतिशत
1.	स्नातक स्तर पर छात्र/छात्राएं	40	80
2.	स्नातकोत्तर स्तर पर छात्र/छात्राएं	10	20
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों के उपयोग न किये जाने के सम्बन्ध में स्नातक स्तर पर छात्र/छात्राओं की संख्या 40 (80 प्रतिशत) तथा स्नातकोत्तर स्तर पर छात्र/छात्राओं की संख्या 10 (20 प्रतिशत) पुस्तकालय में रखी पुस्तकों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। उक्त आंड़ों से ज्ञात होता है कि बौद्धिक स्तर में गिरावट आ रही है।

तालिका क्रमांक 03

केन्द्रीय विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में प्राध्यापकों द्वारा पठन-पाठन में अरुचि के कारण पुस्तकों का उपयोग न किये जाने के सम्बन्ध

क्रमांक	प्राध्यापकों द्वारा पठन-पाठन में अरुचि के कारण	प्राध्यापकों की संख्या	प्रतिशत
1.	स्नातक स्तर पर	35	70
2.	स्नातकोत्तर स्तर पर	15	30
	योग	50	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में प्राध्यापकों द्वारा पठन-पाठन में अरुचि के कारण पुस्तकों का उपयोग न किये जाने के सम्बन्ध में स्नातक स्तर पर छात्र/छात्राओं की संख्या 35 (70 प्रतिशत) तथा स्नातकोत्तर स्तर पर छात्र/छात्राओं की संख्या 15 (30 प्रतिशत) पुस्तकालय में रखी पुस्तकों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। उक्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि प्राध्यापकों के बौद्धिक स्तर में गिरावट आ रही है। जिससे प्राध्यापकों की कमी तथा विश्वविद्यालय में शिक्षकीय कार्य प्रभावित होते हैं। इससे छात्र/छात्राओं के बौद्धिक स्तर में कमी देखने को मिल रही है इसके बदले उन्हें मोबाइल द्वारा ई-पुस्तकालय में ज्यादा रुचि देखने को मिल रही है।

निष्कर्ष :

पुस्तकालय भवन एवं फर्नीचर एवं साज-सज्जा से सम्बन्धित तथ्यों को उपरोक्त रिव्यू-लिटरेचर से स्पष्ट होता है कि शैक्षणिक ग्रन्थालय भवन की आवश्यकता के अनुसार पुस्तकों का समावेश होना चाहिए। ग्रन्थालय की कार्यक्षमता बहुत कुछ उसके भवन के ढाँचे उसकी साज-सज्जा, सामग्री तथा

उचित स्थान निर्धारण कर निर्भर करती है। इसलिए आज ग्रन्थालय भवन की निर्माण योजना जटिल से जटिल प्रक्रिया होती जा रही है। पुस्तकालय में पाठकों हेतु संरक्षित पुस्तकों का उपयोग नहीं किये जाने के कारण प्राध्यापक/छात्र/छात्राओं एवं सार्वजनिक रूप पाठकों में पुस्तकों के प्रति अरुचि देखने को मिल रही है। इस कार्य को अब केवल अभियन्ता सम्पन्न करने में असमर्थ रहता है। पुस्तकालय भवन के निर्माण के प्रश्न एक तकनीकी प्रश्न बन गया है और यदि किसी शिक्षा संस्था के लिए पुस्तकालय का निर्माण करना है तो भवन निर्माण में अत्यधिक परिवर्तन आ गया है। आज की आवश्यकता को देखते हुए नई तकनीक का उपयोग करते हुए बेहतर पुस्तकालयीन भवनों का निर्माण होना चाहिए एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित होना चाहिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पाठकों द्वारा पुस्तकालय का कम से कम उपयोग किया जा रहा है इससे यह ज्ञात होता है कि पाठकों में पुस्तकों के पठन-पाठन में कमी आई है इसके साथ-साथ छात्र/छात्राओं में भी बौद्धिक क्षमता में कमी आई है।

संदर्भ

Association of India Universities. Report of National Policy on University library.

Association of Indian University. Bibliography of Doctoral dissertation in social science in 13 vols. 1980-81 to 1993. New Delhi : AIU; 1997

Bloomfield. B.I. Collection development in University library. Ed. By Isaac Deorothy. AAN Raju and L.S. Ramaiah. Madras. T.R. Publication, 1993.

Brown, F. (1979) Interior design for libraries : Drawing Intention and Appeal. Chicago: ALA.

Dewe, M. (2006) Planning Public Library Buildings : Concepts and issues for the librarian, Hampshire. Ashgate.

Jopp, R.K. (1985) Regulations and guidelines and adaptation of existing buildings to library use." Paper presented at the Adaptation of Buildings to library Use, Budapest.

Karen, L. (2007) Users and public space : what to consider when planning library space In

IFLaA library building Guidelines : Development & reflections Munchken, : K.G. Saur

Lewis, D. (2007) The innovator's dilemma : disruptive change and academic libraries Library Administration and Management, 18(2), 68-74

Nath, Mahendra: Hand book of Librery services. Jaipur, Pointer Publicshers. 2001. P 80-84.

Pathak, Vijay and Ramaiah, L.S.(1986) Bibliography of research in library and information science in India, Gurgon: India Documentation Service. p 1-123

Ranganathan, S.R. (1961) Reference service. 2nd ed. Mobmbay: Asia pu,kication house.

Sens, T. (2011) 12 Major Trends in Library Design. Retrieved 2-8-2013, from http://www.libraryworks.com/LW_Best%20Practices/WW_12_Trends_Libra_ry_Design.aspx.

Sharma, Harikrishna(1997) Organisation and Administration of College libraries. New Delhi. S. Chand.





किरातार्जुनीयम् में काव्यशास्त्रीय तत्त्व

□ डॉ. महेन्द्र कुमार मिश्र*

शोध सारांश

काव्य, महाकाव्य या नाटक में वर्णित आख्यान कथानक को कथावस्तु कहा जाता है। काव्यादि में कथावस्तु आरम्भ से अन्त तक प्रतिपादित होती है। काव्य की कथावस्तु का ऐतिहासिक अथवा किसी प्रख्यात देवता का चरित्र ही माध्यम होता है। जब कथा इतिहास प्रसिद्ध महापुरुष के चरित्र पर आधारित होती है तब वेद, पुराण या महाभारतादि इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथों पर आधारित होती है। उसे प्रख्यात कहते हैं जो कथावस्तु इतिहास प्रसिद्ध न होकर कवि कल्पित होती है, उसे उत्पाद्य कथावस्तु कहते हैं। उक्त प्रकार से द्वितीय अध्याय के किरातार्जुनीय में काव्यशास्त्रीय तत्त्व नामक उपशीर्षक के अन्तर्गत उल्लिखित विन्दुओं के विषय को यथामति के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।

वस्तु

औचित्य के तिरस्कार से बढ़कर रसभंग का कोई दूसरा कारण नहीं है, और प्रसिद्ध औचित्य के उपन्यास से बढ़कर रस का प्रकाशक कोई भी दूसरा सर्वोत्तम उपाय नहीं है। क्योंकि रसभंग में अनौचित्य ही प्रधान कारण हैं अतः उससे असत्यता का आभास होने लगता है। किन्तु औचित्य उसी प्रकार से रस को उद्भासित करने लगता है जिस प्रकार उपनिषद् ब्रह्म को प्रतिपादित करती है, इसलिये अनौचित्य का सर्वथा परित्याग कर औचित्य का ही अनुसरण करना काव्य जगत् के लिये परम लाभकारी माना जाता है अतः यह अवश्य अनुकरीय है।

इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध एवं कवि कल्पित कथानक के मिश्रण से निर्मित कथावस्तु को “मिश्र” कथावस्तु कहते हैं। इस प्रकार कथावस्तु काव्य या नाटक का मुख्य तत्त्व है क्योंकि विवेचना की दृष्टि से काव्य के दो प्रकार होते हैं पहला श्रव्य काव्य, दूसरा दृश्य काव्य।

कथावस्तु के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं— (1) आधिकारिक एवं (2) प्रासंगिक। मुख्य कथा वस्तु को आधिकारिक तथा अंग रूप कथावस्तु को प्रासंगिक कहते हैं। उक्त प्रकार दशरूपक में कहा गया है— “तत्राधिकारिकं मुख्यमंग प्रासंगिकं विदुः।¹ प्रधान कथावस्तु प्रबंध में सर्वव्यापी होने के कारण इष्ट

* साहित्याचार्य, मिर्जापुर (उ.प्र.)

फल से युक्त होने से आधिकारिक कहलाती है। फल स्वामित्व को अधिकार कहा जाता है अतः फल में जिसका स्वामित्व हो उसे अधिकारी कहा जाता है। जब तक अधिकारी को इष्ट फल की प्राप्ति न हो, तब तक जो कथा सम्पूर्ण प्रबन्ध में आगे अभिव्याप्त रहे उसे आधिकारिक कथावस्तु कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ में आधिकारिक कथावस्तु का लक्षण इस प्रकार व्यक्त किये हैं—

अधिकारः फले स्वाम्यमधिकारी च तत्प्रभुः।
तस्येतिवृत्तं कविभिराधिकारिकमुच्यते ॥

आधिकारिक कथावस्तु प्रबंध के नायक के फल-स्वामित्व, या फल प्राप्ति करने की योग्यता से है। वह नायक के जीवन की उस महासरिता से सम्बद्ध है, जो निश्चित फल की, निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ती है। प्रासंगिक वस्तु इसी महासरिता में गिरकर उसके प्रवाह में अपनापन खो देने वाले, किन्तु आधिकारिक वस्तु को गति देने वाले होते हैं। जो मुख्य वृत्त के लिये किये गये प्रयत्न से प्रासंगिक वृत्त की स्वयं सिद्धि हो जाती है। काव्य या प्रबन्ध का प्रयत्न मुख्य वृत्त के लिये ही होता है। प्रासंगिक वृत्त प्रबन्ध में थोड़ी दूर तक चलता है और प्रयोजन सिद्धि के पश्चात् वह समाप्त हो जाता है।² इस घटना का सूत्रधार वनेचर है जैसे शिशुपाल वध में नारदजी सूत्रधार का कार्य करते हैं जो शिशुपाल द्वारा अनेक किये गये अत्याचारों का वर्णन भगवान् श्रीकृष्ण से द्वारकापुरी पहुँचकर करते हैं। वैसे ही वनेचर दुर्योधन के शासन शैली का वर्णन धर्मराज युधिष्ठिर के पास आकर करता है।

रस

काव्य या नाटक के श्रवण एवं दर्शन से सामाजिक सहृदय, श्रोता, पाठक या दर्शक को जिस अलौकिक आनन्द की अनुभूति होती है वह आनन्द 'रस' कहा जाता है। अर्थात् किसी कमनीय काव्य के पढ़ने से तथा रमणीय नाट्य के देखने से चित्त में जो अलौकिक आनन्द हुआ करता है। वही रस है। रस के सम्बन्ध में सबसे प्रमाणित सिद्धान्त आचार्य भरतमुनि का रस सूत्र है। जो इस प्रकार है—

“विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः”

अर्थात् विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है देखने में यह सूत्र छोटा सा प्रतीत होता है। किन्तु परम सारगर्भित है। अभिनवगुप्त ने रस्यते-आस्वाद्यते इति रसः कहा है वहीं अग्निपुराणकार के मत में “वाग्वैदग्ध्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्” कहा गया है। इस प्रकार रस की निष्पत्ति आस्वाद रूपता को सिद्ध करती है। इसकी आनन्द बहुलता काव्य या नाटकों में अधिक पायी जाती है। संस्कृत साहित्य में रस का विवेचन विस्तार से किया गया है। आचार्य विश्वनाथ ने ‘रसात्मकं वाक्यं काव्याम्’ कहा है। अर्थात् रस को काव्य की आत्मा कहा गया है।

महाकवि भारवि ने वीर रस का वर्णन बड़ी कुशलता के साथ किया है। इसका सच्चा उदाहरण द्वितीय सर्ग में भी भोक्ति और तेरहवें सर्ग में अर्जुन की वीरता तथा सोलहवें सर्ग से अठारहवें सर्ग तक दोनों वीरों के परस्पर युद्ध कौशल का अनुपम वर्णन से यह महाकाव्य अनुस्यूत है। वहीं श्रृंगार रस इस महाकाव्य में यत्र तत्र बड़ी मनोहरता के साथ प्रतिबिम्बित है। जो उक्त महाकाव्य के आठवें, नवें तथा दशवें सर्ग में रमणीयता के साथ चित्रित है।

अलंकार

काव्य में गुणों के महत्त्व तथा उपयोगिता के बारे में प्रतिपादन किया गया, अब इसके बाद अलंकारों का परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है—काव्य में गुणों के बाद अलंकारों का ही स्थान है। अलंकार वह तत्त्व है जो शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने में विशिष्ट स्थान रखता है; इसीलिये कहा गया है—

तदतिशयहेतव स्त्वलंकाराः।³

जिस प्रकार कटककण्डलादि आभूषणों से ललनाओं का सौन्दर्य खिल उठता है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्त्व अनुप्रासोपमादि हुआ करते हैं। अतः ये शब्द एवं अर्थ को विभूषित करते हुए काव्यात्मा के शोभाजनक हुआ करते हैं। अशंढवर्धनाचार्य के अनुसार काव्य के वाच्य—वाचक रूप अलंकार अंगभूत तत्त्व माने जाते हैं—

“आश्रितास्त्वेकारा मन्तव्याः कटकादिवत्।⁴

काव्यमीमांसाकार ने उस विचार—पुंज को अलंकार शास्त्र कहा है— जो राशेखर के कथनानुसार—“सकलविचारस्थानैकायतनं पंचदशं काव्यं विद्यास्थानम्” यह काव्य पदार्थ का शासन करता है अर्थात् काव्य रूप लक्ष्य के लक्षण जिस शास्त्र में किये गये हों, उसका नाम अलंकार शास्त्र है अथवा अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिये यह कहा जा सकता है कि उन विविध आलोचनाओं का नाम अनंकार शास्त्र है, जिनके द्वारा काव्य की सूक्ष्मता, गुण और दोष ज्ञात हो सके। इनके मत में अलंकार शास्त्र को वेदांग का सप्तम अंग माना गया है—

उपकारकत्वाद्कारः सप्तममिति यायावरीयः।⁵

अलंकार के विषय में विचार करने वाला सबसे प्राचीन ग्रन्थ अग्नि पुराण है, जिसमें शब्दालंकार, अर्थालंकार, विभाव और रीति आदि का विवेचन प्राप्त होता है, अतः अलंकार शास्त्र का मूल अग्नि पुराण ही माना जाता है, इसे शास्त्र कहने का गौरव दण्डी, भामह आदि विद्वानों ने प्रदान किया, क्योंकि अग्नि पुराण के बाद अलंकार विषय में अपना यत्न प्रस्तुत करके हुए इसका नामकरण अनंकार शास्त्र किया।

यहां कवि भारवि ने किरातार्जुनीयम् महाकाव्य में अलंकारों का प्रयोग प्रचुरता से किया है। उक्त महाकाव्य अलंकार कोटि का उत्तम महाकाव्य है जो अन्य काव्यों से कई गुना में आगे है इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। इस महाकाव्य में जहाँ शब्दालंकारों की छटा विशेष रूप से चमत्कारी है तो वहीं अर्थालंकारों की चारुता सुहृद्विचक्षणों मन को मन्त्र मुग्ध कर देती है। महाकवि ने अपने महाकाव्य में शब्दालंकारों का माक्ष्य उतना नहीं लिया जितना सर्वाधिक आश्रय अर्थालंकारों का लिया है। क्योंकि उक्त वार्ता की पुष्टि ‘किरातार्जुनीयम्’ महाकाव्य में प्रसिद्ध अर्थालंकारों का प्रयोग बड़ी कुशलता से किया गया है जो महाकवि की प्रतिमा का चमत्कार है। शब्दालंकारों में अनुप्रास यमक, श्लेष, चित्रादि का प्रयोग महाकवि अपने महाकाव्य में बड़े ही रोचक ढंग से किया है इतना ही नहीं इनकी विदग्धपूर्ण रचना बड़े-बड़े विद्वानों के लिये अनुकरणीय बन गई। जिस भी झलक माघ के काव्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

अलंकारों में अनुप्रास, यमक, श्लेष, सर्वतीभद्र, अर्धभ्रमक तथा अनुप्रास के अन्तर्गत वृत्यनुप्रास और लाटानुप्रास थे शब्दालंकार के अन्तर्गत सब आते हैं। इनके अतिरिक्त शेष अर्थालंकार के अन्तर्गत समाहित है। उक्तशब्दालंकारों के विषय में महाकाव्यानुसार परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है।

महाकवि भारवि एक प्रकार से अलंकार प्रेमी कहे जाते हैं। उन्होंने समूचे महाकाव्य में अनेक अलंकारों का प्रयोग किया है किन्तु पन्द्रहवें सर्ग को सर्वतोभद्र, यमक, विलोम आदि अनेक चित्रालंकारों से जी भर सजाया है, इसीलिये यह सर्ग सबसे क्लिष्ट माना जाता है। पांचवे सर्ग में भी यमकालंकार की श्रृंखला गूथने में वे उलझे हुए हैं। विशेषतः पन्द्रहवें सर्ग में तो वे—अलंकारों के दिवाने हो गये हैं। पूर्वोक्त एकाक्षर और द्वयक्षर की छटा यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय है—

ननो ननुन्नो नुन्नेनो नाना नानानना ननु।
नुन्नो नुन्नो ननुन्नेनो नानेना नुन्न नुन्ननुत।।⁶

इसी प्रकार निम्न पद्य में भी एकाक्षर पाद का चारुचित्रण द्रष्टव्य है—

स सासिः सासुसूः सासो येयायेयाययाययः।
ललौ लीलां ललो लोलः शशीशशिशुशीः शशन्।।⁷
निमेदमन्तः पदवीनिरोधं ध्वंसनं चाविदित प्रयोगः।
नेतारिलोकेषु करोति यद्यत्तत्तच्चकारास्य शरेषु शम्भुः।।⁸

इस प्रकार महाकवि ने अनेक स्थानों पर श्लेषालंकार का प्रयोग किया है। और चित्रालंकारों का प्रयोग विशेष रूप से पन्द्रहवें सर्ग में किया जो शब्दालंकार के अन्तर्गत मान्य है। जिसे महाकवि ने सर्वतोभद्र और अर्धभ्रमक नामक चित्रालंकार का बड़े ही मनोरम ढंग से प्रतिपादन किया गया।

उपमाः— इस अलंकार में में उपमान, उपमेय, साधारण धर्म या सादृश्य तथा उपमा वाचक शब्द इन चारों का उपयोग होता है। वो सदृश पदार्थों में प्रायः अधिक गुण वाला पदार्थ 'उपमान' और न्यून गुण वाला उपमेय पदार्थ होता है। इन उपमान तथा उपमेय के समान धर्म के सम्बन्ध का वर्णन ही अपमा अलंकार कहा जाता है। काव्य प्रकाश में उपमा के दो भेद पूर्णोपमा और लुप्तोपमा तथा पूर्णोमा के छः भेद और लुप्तोपमा के उन्नीस(19) भेद बवाये गये हैं, जो विशेष प्रतिपत्ति के लिये यथा स्थल द्रष्टव्य हैं।

स्वभावोक्तिः— जहाँ बालक आदि की स्वाभाविक क्रिया, रूप, वर्ण या अवयव संस्थान का वर्णन हो वहाँ स्वभावोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण भारवि काव्य में इस प्रकार रेखा जाता है—

अदीपितं वैद्युतजातवेदसा सिताम्बुदच्छेदतिरोहितातपम्।
ततान्तरं सान्तरवारिशीकरैः शिवं नभोवर्त्य सरोजवायुभिः।।⁹

प्रकृत श्लोक में प्रकृति के स्वाभाविक क्रिया का वर्णन प्राप्त होता है अतः यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार है।

संकरः—जहाँ अनेक अलंकारों की एक वाक्य में स्थिति होती है वहाँ संसृष्टि तथा संकर दो अलंकार होते हैं। जहाँ अनेक अलंकार परस्पर निरपेक्षरूप में स्थित होते हैं वहाँ संसृष्टि और जहाँ इसके विपरीत अर्थात् अनेक अलंकारों की सापेक्ष स्थिति होती है वहाँ संकर नामक अलंकार माना जाता है। इसका उदाहरण निम्नानुसार है—

सुकुमारमेकमणु मर्मभिदामतिदूरगं युतममोघतया।
अविपक्षमस्त्रमपरं कतमद्विजयाय यूयमिव चित्तभुवः।।¹⁰

उक्त प्रसंग में विशिष्ट विशेषण के कारण उपमा तथा साभिप्राय विशेषण होने से परिकर नामक उक्त दोनों अलंकारों की एक वाक्य में स्थिति होने के कारण अंशा-अंगि भाव संकर अलंकार है। इसी प्रकार अन्य स्थलों में भी सकी सत्ता पायी जाती है।

संसृष्टि : इसका लक्षण उक्त अलंकार के सन्दर्भ में प्रस्तुत कर दिया गया है। इसका उदाहरण निम्नानुसार द्रष्टव्य है—

सत्रीउमन्दैखि निष्क्रियत्वान्नात्यर्थमस्त्रैरवभासमानः ।

यशः क्षयक्षीण जलार्णवाभस्त्वमन्यमाकारमिवाभिपन्नः ॥¹¹

उपर्युक्त पद्य में उत्प्रेक्षा और उपमा दोनों की एक वाक्य में सिद्धि होने के कारण संसृष्टि नामक अलंकार है।

सन्देह : उपमेय और उपमान का जहाँ भेद कथन हो वहाँ सन्देह नामक अलंकार होता है। सन्देह और संशय समानार्थक पद हैं दोनों में इतना अन्तर है कि सन्देह लक्ष्य का वाचक है तो वही संशय पद लक्षण परक है। किरातार्जुनीय महाकाव्य में इसका उदाहरण अनेक पद्यों में प्राप्त होता है। इससे सम्बन्धित निम्न पद्य द्रष्टव्य है—

अग्रसानुषु नितान्तपिशैर्भूरुहान्मृदुरैश्वलम्ब्य ।

अस्तशैल गहनं नु विवस्वाना विवेश जलधिंनु महीनु ॥¹²

प्रस्तुत पद्य में भगवान् सूर्य अस्ताचल में या समुद्र में, था जंगलों में या पृथ्वी में प्रविष्ट हो गये इसका निश्चय नहीं हो सका, अतः इसमें सन्देह अलंकार है। इसी प्रकार और एक निम्न पद्य में बहुत ही अच्छा सन्देह का प्रसंग प्राप्त होता है।

विरोधाभास : जहाँ विरोध होने पर भी विरोध की प्रतीति होती है वहाँ विरोधाभास नामक अलंकार होता है। जो जाति, क्रिया गुण और यदृच्छा के भेद से चार प्रकार का माना जाता है।

रागकान्तनयनेषु नितान्तं विद्रमारुणकपोलतलेषु ।

सर्वगाऽपि ददृशे वनितानां दर्पणेष्विव मुखेषु मदश्रीः ॥¹³

प्रस्तुत पद्य में सर्वाव्यापी मदश्रीः केवल मुख में ही दिखाई देती है, जो कि सर्वाव्यापी होने के कारण सर्वत्र दिखनी चाहिए अतएव विरोधवत आभास होने के कारण विरोधाभास नामक अलंकार है। इसी तरह अन्य पद्यों में देखा जाता है।

दृष्टान्त : जहाँ उपमान, उपमेय, उनके विशेषण और साधारण धर्म आदि का बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव होने पर दृष्टान्त अलंकार वहाँ माना जाता है। महाकाव्यगत इसका उदाहरण निम्नानुसार है—

अणुरप्युपहन्ति विग्रहः प्रभुमन्तः प्रकृति प्रकोपजः ।

अखिलं हि हिनस्ति भूधरं तरुशाखान्तनिघर्षजोऽनलः ॥¹⁴

प्रस्तुत पद्य में वृक्ष की शाखा के अग्रभाग के घर्षण से उत्पन्न हुआ अग्नि सारे पर्वत को नष्ट कर देता है यह दृष्टान्त है। उक्त पद्य की प्रथम पंक्ति के काव्य का उपमानो पयेय तथा समान धर्म का अधस्तन पंक्ति में बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव का निर्देशन होने से दृष्टान्त अलंकार है। इसी प्रकार अन्यत्र भी यह अलंकार देखा जाता है।

रूपक : जहाँ उपमान और उपमेय का अत्यन्त सादृश्य का अभेद वर्णन ही वहाँ रूपक नामक अलंकार होता है, जो उक्त महाकाव्य में इस प्रकार देखा जाता है—

मुनीषुदहनातप्तालज्जया निविवृत्स्यतः ।

शिवः प्रहलादयामास तान्निषेधहिमाम्बुना ॥¹⁵

उक्त पद्य में अर्जुन के वाणाग्नि से तप्त उन गणों को भगवान् शिव ने निषेध रूप ठण्डे जल से उन्हें प्रसन्न करते हुए भागने से लौटा लिया। अतएव यहाँ रूपक अलंकार है। अन्य पद्यों में भी उक्तालंकार की व्यापकता पायी जाती है।

विभावना : जहाँ कारण के न रहने पर भी कार्योत्पत्ति का कथन हो वहाँ विभावना नामक अलंकार होता है। इसका उदाहरण काव्यानुसार निम्नवत् है—

न प्रसादमुचितं गमिता द्यौर्नोद्धृतं तिमिरमद्रिवनेभ्यः।

दिङ्मुखेषु न च धाम विकीर्णं भूषितैवरजनी हिमभासा।।¹⁶

उपर्युक्त पद्य में चन्द्रमा के किरणों का समुचित प्रसार नहीं हो पाया जिससे आकाश प्रसन्न नहीं हो पाया और जंगलों का अन्धकार भी नहीं रह सका एवं दिशायेँ भी प्रकाशित नहीं हो पायीं तथापि रजनी विभूषित हो गयी, अतः यहाँ विना कारण के ही कार्योत्पत्ति का कथन है।

लक्षणा—

जब अभिधा शक्ति अपने मुख्यार्थ को बोध कराती है और उस समय यदि कहीं मुख्यार्थ का वाक्य के अन्य पदों के अर्थों के साथ अन्वय होने में बाधा होती है अथवा उससे तत्पर्य की उपपत्ति नहीं होती वहाँ रुढ़ि अथवा प्रसिद्धि के कारण अथवा किसी विशेष प्रयोजन के प्रतिपादन के लिये मुख्यार्थ से सम्बद्ध किसी अन्य अर्थ की प्रतीति हो सकती है। उस अन्य अर्थ को 'लक्ष्यार्थ' और उसकी बोधिका शक्ति को 'लक्षणा शक्ति' से किसी अन्य अर्थ की प्रतीति हो सकती है। उस अन्य अर्थ को 'लक्ष्यार्थ' और उसकी बोधिका शक्ति को "लक्षणा शक्ति" कहा जाता है। लक्षणा शक्ति भले ही मुख्यार्थ की बोधिका शक्ति नहीं, किन्तु वह शब्द की ही शक्ति है। जब किसी शब्द का अर्थ लोक व्यवहार की दृष्टि में बाधित हो और बाधित शब्द से जब रुढ़ि अथवा प्रयोजन बस मुख्यार्थ से सम्बद्ध किसी अन्य अर्थ की प्रतीति होती है तो उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं।

इसलिये उसे आरोपित शक्ति कहते हैं। इसे साहित्य दर्पण में इस प्रकार कहा गया है—

मुख्यार्थ बाधे त द्योगे रुदितोऽपि प्रयोजनात्।

अन्योद्गर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया।।¹⁷

लक्षणा के सर्वप्रथम दो भेद किया जाता है—(1) उपादान लक्षणा, (2) लक्षण लक्षणा। जहाँ शब्द अपने अन्वय की सिद्धि के लिये अन्यार्थ का आक्षेप कर लेता है और स्वयं भी बना रहना है उसको उपादान लक्षण कहा जाता है। उसमें मुख्यार्थ का भी उपादान या ग्रहण करना है इसलिये उसकी उपादान लक्षणा यह अन्वर्थ संज्ञा है। अतः यह प्रयोजन वही उपादान लक्षणा का उदाहरण है।

3. व्यंजना : लक्षणा में जो प्रयोजन रहा करता है वह शब्द के उस व्यापार द्वारा गम्य हुआ करता है, जिसे व्यंजना कहा जाता है। यथा—“तत्र व्यापारो व्यंजनात्मकः”¹⁸ जब किसी लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वह किसी प्रयोजन से किया जाता है। उसमें किसी न किसी गूढ़ प्रयोजन की दृष्टि रहा करती है। यह प्रयोजन और किसी प्रमाण से वही अपितु एकमात्र उप शब्द प्रयोग से ही विवक्षित रहता है।

संदर्भ

1. दशरूपक प्रथम प्रकाश का0।

2. साहित्य दर्पण 6/43
3. काव्यालंकार सूत्र 3/1/2
4. ध्वन्यालोक 2/6
5. काव्यमीमांसा
6. किरातार्जुनीयम्– 15/14
7. किरातार्जुनीयम् 15/5
8. किरातार्जुनीयम् 17/27
9. किरातार्जुनीयम् 4/29
10. किरातार्जुनीयम् 6/40
11. किरातार्जुनीयम् /48
12. किरातार्जुनीयम् 9/7
13. किरातार्जुनीयम् 9/42
14. किरातार्जुनीयम् 9/63
15. किरातार्जुनीयम् 15/30
16. किरातार्जुनीयम् 9/25
17. साहित्यदर्पण 2/12/1
18. काव्यप्रकाश 2/22



पुस्तक समीक्षा


‘बुद्ध ज्ञान रसायन’ : एक विहंगम दृष्टि

● डॉ. साहबदीन मौर्य

पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर, इलाहाबाद डिग्री कालेज, इलाहाबाद

संपूर्ण वसुधा में विशिष्ट व वैज्ञानिक तथा मानवतावादी धर्म यदि कोई है तो वह बौद्ध धर्म है। इस धर्म के प्रवर्तक भगवान गौतम बुद्ध हैं जिनका जन्म 563 ई.पू. कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में पत्नी यशोधरा व पुत्र राहुल को छोड़कर गृह त्याग किया। लगभग 7 वर्षों तक कठिन साधना के बाद बोध गया में एक बट वृक्ष के नीचे उन्हें सत्य ज्ञान का बोध हुआ और वे तथागत व सम्यक् संबुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध तात्कालिक, आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों जो मिथ्या कर्मकाण्डों व अंधविश्वासों पर आधारित थे, से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने एक नवीन वैज्ञानिक धर्म का उद्घोष किया जो मानवीयता व समतावादी विचारों से आप्लावित व घनीभूत रही। यही कारण था कि बौद्ध धर्म न केवल भारत में अपितु विश्व के अन्यान्य देशों में भी फला फूला।

वर्तमान समय में विश्व भर में 40 करोड़ से अधिक बौद्ध अनुयायी हैं जिनमें से लगभग 99 प्रतिशत बौद्ध केवल एशिया महाद्वीप में पाये जाते हैं। एशिया में बौद्ध धर्म के अनुयायी भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैण्ड, कम्बोडिया, कोरिया और जापान के विस्तृत भू-भाग में फैले हुए हैं। इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता के पीछे इसकी वैज्ञानिक, मानवतावादी व समतावादी दृष्टिकोण ही है। इस



धर्म का उद्भव व विकास भारत में अवश्य हुआ किंतु इतिहास के एक लम्बे कालखण्ड तक अपने उसी प्रभाविकता के साथ टिक नहीं सका। एक बार पुनः कल्पित देवों पर आधारित मिथ्या कर्मकाण्ड व अमानवीय विषमतावादी विचार पुनः प्रभावी हो गया और समाज अज्ञान अंधकार में आकण्ठ डूब गया। सामाजिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक विचारधारा अधोन्मुखी व प्रतिगामी हो गयी। परिणामतः समाज में पापाचार, अत्याचार व शोषण प्रभावी हो गया।

यही कारण है कि भारत व विश्व के अन्यान्य देशों में बौद्ध धर्म अधिक प्रासंगिक हो गया है।

इसे विस्तृत आयाम देने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही इस पुस्तक की रचना की गयी है। ‘बुद्ध ज्ञान रसायन’ पुस्तक के रचयिता शीतला प्रसाद मौर्य ‘बौद्ध’ एवं डॉ. रंजीता मौर्य हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म के दार्शनिक, आध्यात्मिक, धार्मिक व अन्यान्य सामाजिक समस्याओं पर मनोहारी काव्यात्मक रसात्मकता को काव्य सरिता के रूप में निर्वाण प्रदायिनी ज्ञान गंगा प्रवाहित किया है। जिसमें डुबकी लगाने वाले जन-जन को दुःखों व कष्टों से निवृत्ति मिल सकेगी ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है।

‘बुद्ध ज्ञान रसायन’ से उद्धृत कतिपय दृष्टांत बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता को सिद्ध करते हैं—

बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य हैं—(1) सभी प्राणी दुःखी हैं। जन्म, व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, प्रिय वस्तु का खोना, प्रिय वियोग आदि सभी दुःख हेतु हैं, (2) दुःख का कारण है। इच्छाएँ, तृष्णाएँ, वासनाएँ, कामनाएँ आदि मानसिक वृत्तियों के कारण दुःख होता है, (3) दुःख का निदान संभव है। जिन मानसिक वासनाओं, तृष्णाओं के कारण दुःख संसार में है उनका त्याग करने से उससे निवृत्ति हो सकती है, (4) दुःख से निवृत्ति हेतु उन्होंने अष्टांगिक मार्ग भी बताया। (अध्याय-5)

सांसारिक दुःखों से मुक्ति के लिए भगवान बुद्ध द्वारा प्रदत्त अष्टांगिक मार्ग को इस रचना में गेय छन्दों में लिपिबद्ध किया गया है। ये मार्ग हैं : (1) सम्यक् दृष्टि, (2) सम्यक् संकल्प, (3) सम्यक् वाणी, (4) सम्यक् कर्मात्, (5) सम्यक् आजीव, (6) सम्यक् व्यायाम, (7) सम्यक् स्मृति, (8) सम्यक् समाधि। (अध्याय-7)

किसी धर्म ग्रंथ में उल्लिखित तथ्य को इसलिए सत्य न मान लेना कि वह शास्त्र वचन है। किसी महान व्यक्ति या ऋषि वचन होने के कारण भी सत्य न मान लेना क्योंकि इससे विकासात्मक सोच अवरुद्ध हो जाती है। हे मतिमंत! किसी भी तथ्य विशेष का चिंतन-मनन करो, यदि मन के तराजू पर खरा उतरता है और आपके अनुभूति में आता है और लोक कल्याणकारी हो तो उसे अवश्य स्वीकार कर लेना। (अध्याय-4)

विपश्यना (ध्यान) बौद्ध धर्म के केन्द्र में है। बिना विपश्यना के बौद्ध धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसके महत्व को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि रचनाकार द्वारा विपश्यना का एक अध्याय ही दिया गया है। उदाहरणार्थ—

ध्यान हीना प्रज्ञा हीना।
 प्रज्ञा हीना ध्यान विहीना॥
 प्रज्ञा ध्यानहिं जामे जागे।
 सुख निर्वाण ताको आगे॥
 बिना प्रमाद ध्यान लगाना।
 ध्यान ध्यान सघन ध्याना॥
 ध्यान साधन भीतर जाना।
 लक्ष्य जीवनहिं ध्यानहिं पाना॥

(अध्याय-11)

बुद्ध के अनुसार जो पंचशीलों को आचरण में लाता है, उसका मन सदा प्रफुल्लित रहता है। अहिंसा प्रथम शील है, चोरी न करना दूसरा शील है और यौनाचार से बचना तीसरा शील है। चौथा शील है सत्य बोलना और पाँचवाँ शील है मदिरापान तथा प्रमाद न करना। संसार में शील के समान कुछ भी नहीं है। शील का आचरण सद्धर्म (सद्धम्म) की शुरुआत है। बिना शील के ज्ञान विनाशकारी है और शील ही व्यक्ति के प्रज्ञा का प्रकाशक होता है (अध्याय-6)।

भगवान बुद्ध जी ने बतलाया है कि संसार का दुःख शाश्वत नहीं है क्योंकि यह कार्य-कारण सम्बन्धों की उपज है। उन्होंने एलान किया कि यदि दुःख के कारणों को समाप्त कर दिया जाए तो दुःख उत्पन्न ही नहीं होगा। दुःख के पीछे व्यक्ति की मानसिक वृत्तियाँ ही होती हैं। उन्हें मंगलकारी दृष्टि देने मात्र से दुःख का अंत किया जा सकता है (अध्याय-7)।

संसार में कोई भी घटना अकारण नहीं होती है। तेल नाश के बिना दीपक नहीं जलता है और बिना बीज नाश के पौधा नहीं बनता है। एक के विनाश से ही दूसरे पदार्थों की उत्पत्ति होती है। यही नैसर्गिक अटल और अभेद्य नियम है। इस प्रकार सृष्टि का प्रक्रम चलता रहता है। यह किसी की कृपा दृष्टि से नहीं चलता है। अणु और परमाणु में अपार शक्ति होती है। यही ब्रह्माण्ड का हेतु एवं सृजन करने वाला है (अध्याय-10)।

सभी दुःखों का मूल अविद्या (अज्ञान) है। बुद्ध शरण में प्रज्ञा चक्षु मिलती है। प्रज्ञा सभी सुखों का मूल है। प्रज्ञा से सभी कामवासना का नाश होता है और समस्त कामनाओं के परित्याग से जन्म-मरण से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रज्ञावान का पुनर्जन्म नहीं होता है। अविद्या के कारण बार-बार जन्म लेना पड़ता है (अध्याय-10)।

अल्पज्ञ आत्मा को ईश्वर का अंश मानता है और ईश्वर को सर्वज्ञ बताता है। यह अंश और अंशी में भेदभाव तर्कपूर्ण नहीं है। ईश्वर की कल्पना से समाज में अंधविश्वास का प्रसार होता है जिसे सम्यक दृष्टि के प्रति घातक माना जाता है। कर्मकांड ईश्वर की कल्पना से सम्बन्धित है जो समाज

के विकास में बाधक है। इससे समाज में मिथ्या (झूठी) दृष्टि पनपती है जो उसे अंधकार की ओर ले जाती है। आत्मा एक कोरी कल्पना मात्र है, सभी कार्य चेतन चित्त द्वारा किया जाता है। जहाँ शरीर होता है, चित्त स्वतः विकसित हो जाता है। शरीर के विघटन के साथ ही चित्त स्वतः समाप्त हो जाता है। 'अनात्मवाद' बुद्धदर्शन की रीढ़ है (अध्याय-13)।

भगवान बुद्ध के अनुसार, यज्ञ जिसमें तमाम पशुओं की बलि दी जाती थी, वह धर्म नहीं बल्कि पापयुक्त अधर्म है। ऐसा कर्मकांड जो अपने निजी लाभवश किया या कराया जाता है, उससे जनसंताप दूर नहीं किया जा सकता है। कल्पित देवों के नाम का मंत्र जपना और उनको प्रसन्न करने हेतु पशुओं की बलि देना धर्म संगत नहीं है (अध्याय-14)।

मानव जीवन में काम, क्रोध, भय, मोह, दरिद्रता, पक्षपात, स्वार्थ और द्रोह इन आठ कारणों से ही पाप की उत्पत्ति होती है। सुधी जनों को चाहिए कि वे इन दुष्प्रवृत्तियों को चित्त से सदा-सदा के लिए निकाल दें। एक साथ कई लक्ष्यों पर काम नहीं करना चाहिए क्योंकि कार्य की सिद्धि एक-एक करके ही मिलती है (अध्याय-16)।

स्त्रियों के प्रति अज्ञानता के कारण हो रहे भेदभाव को भगवान बुद्ध ने चिन्तनीय बताया और कहा कि तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक बंधनों का परित्याग कर शिक्षा ग्रहण करने से ही उनके ज्ञान में वृद्धि हो सकेगी। इस प्रकार उन्होंने समाज में स्त्री शिक्षा की नवज्योति प्रज्वलित करने का आह्वान किया था (अध्याय-17)।

बुद्ध दर्शन के अनुसार जटा रखने, नग्न रहकर तपस्या करने, शरीर में भस्म लेपन करने, हठ करने, अनशन करने, भूमि पर शयन करने तथा वल्कल वस्त्र पहनने से कभी भी मन शुद्ध नहीं होता है। जिसकी समस्त कामनाएँ विलुप्त होती हैं, उसी का मन शुद्ध होता है (अध्याय-19)।

चिन्ता हमारे चित्त का वैसे ही विनाश करती है जैसे लोहे का जंग ही लोहे का विनाश करता है। क्रोध से व्यक्तियों में मूर्छा आ जाती है और मूर्च्छा से स्मृति का नाश हो जाता है। स्मृति नाश से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि नाश से व्यक्ति का सर्वस्व नष्ट हो जाता है। इस प्रकार चिन्ता और क्रोध दोनों अतिशय दुःखदायी होते हैं (अध्याय-19)।

भगवान बुद्ध ने समाज में व्याप्त जातिवाद को अत्यन्त दुःखदायी बताया है। यह उसी प्रकार विनाशकारी है जैसे कि वर्ण-व्यवस्था। अतः जातिवादी दृष्टि नहीं बल्कि मानवतावादी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जातिवाद मानव समाज का एक कलंक है जिसको समाप्त किये बिना नवीन मानववादी समाज की संरचना संभव नहीं हो सकती (अध्याय-19)।

मेरे विचार से जन जागृत करने वाला समाजोपयोगी लेखन एक उत्कृष्ट समाज सेवा तथा अत्यन्त पवित्र कार्य है। अतः मेरी शुभकामना है कि कवि द्वै दीर्घजीवी, स्वस्थ एवं सानन्द रहें और भविष्य में भी अपने महत्वपूर्ण लेखन द्वारा समाज सेवा में तत्पर हो सकें क्योंकि आप दोनों में समाजोन्नयन हेतु उत्कृष्ट लेखन की अद्भुत क्षमता विद्यमान है। लेखन सामाजिक अन्तःक्रिया की वह विधा है जिसके माध्यम से लेखक उन लोगों के मन-मस्तिष्क तक पहुँच जाता है जहाँ वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुँच सकता। इस दृष्टि से दोनों एक गंभीर चिंतक व विचारक हैं, जो निर्विवाद रूप से सत्य हैं।

आशा है यह पुस्तक पाठकों में काफी लोकप्रिय होगी और उन्हें सद्मार्ग तथा सद्कर्मों की ओर प्रेरित करने और जन कल्याणकारी मानवता की सही राह दिखाने में सफल होगी। बुद्धोपदेश तथा बुद्ध ज्ञान रूपी अमृत प्रवाहित करती हुई यह पुस्तक सामान्य जन को अविद्या, अंधकार, आडम्बर तथा जीवन सम्बन्धी तमाम भ्रांतियों से दूर रहने, सद्मार्ग का अनुकरण करने और सांसारिक दुःखों से मुक्ति दिलाने में निश्चय ही सहायक सिद्ध होगी।




पुस्तक समीक्षा

मिल बाँचे बघेली हिन्दी : एक सार्थक प्रयास

● डॉ. चन्द्रिका प्रसाद 'चन्द्र'

अध्यक्ष, मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन, रीवा (म.प्र.)

'मिल बाँचे मध्यप्रदेश' प्रदेश सरकार की एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें बोली-बानी में अन्तरभेद को मिल-जुलकर एक-दूसरे को जानने और समझने का विनम्र आग्रह है। इस भावना से प्रेरित होकर प्रो. अम्बिका प्रसाद तिवारी ने भाषाई एकात्म का प्रयास 'मिल बाँचे : बघेली हिन्दी' संग्रह में किया है। शब्द-कोश सा आभास देने वाला यह संग्रह किसी भी अनुशासन में नहीं बंधा है। एकबारगी यह समझ में नहीं आता कि इसे शब्दानुशासन की किस परम्परा में रखें। प्रो. तिवारी ने आमुख में इसके लिखने का आशय स्पष्ट करने का प्रयास किया है। प्रो. तिवारी ज्ञान सम्पन्न कृषि प्रोफेसर रहे हैं। लोक जीवन और परम्पराओं से उनका नाता रहा है। उनके फलक में कृषि, स्वास्थ्य, समाज, शिक्षा, नीति, रूढ़ि, परम्परा सभी कुछ अर्थात् समाज के प्रत्येक वर्ण और वर्ग के प्रति की गयी लोक सूक्तियाँ संग्रह में निहित हैं। जातीय या वर्गीय टिप्पणियाँ आज भले ही असंसदीय हों लेकिन लोक में वे मान्य किंबहुना स्थापित भी हैं। खतरे आमंत्रित करना लेखक का स्वभाव नहीं है परन्तु समाज के यथार्थ को दिखाने का दायित्व बोध तो उसी को होगा। जिन शब्दों, वाक्यों, सूक्तियों का प्रयोग उन्होंने किया है वे समाज के दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होते रहते हैं। बेहतर होता कि मध्यप्रदेश में बोली जाने वाली निमाड़ी, मालवी, बुन्देली के शब्दों के समानार्थी बघेली में प्रयोग होने वाले शब्द होते? प्रो. तिवारी कहीं-कहीं तो शब्दार्थ बताते हैं, कहीं चुप रहकर यह काम पाठक पर छोड़ देते हैं। प्रो. तिवारी ने किहिनी, कहावतें, बुझौवल, दोहा, चौपाई, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, मराठी, कृषि, स्वास्थ्य, कूट का ऐसा



रसायन तैयार किया है कि वह प्रदेश के भाषाई स्वास्थ्य को कालांतर में भले स्वस्थ करे, वर्तमान के लिए चुनौती भरा है। बावजूद इसके कि बहुत से शब्द छूट गये हैं, पुस्तक पढ़ने के लिए आमंत्रित करती है ताकि हम यह जान सकें कि लोक अपने पूरे मनोलोक (व्यवहार) में कितना सम्पन्न हैं। इतना विविधवर्णी प्रयोग शायद पहला हो जिसमें ढेर सारे आयाम एक जगह देखने को मिलें। प्रो. तिवारी का दावा है कि मैंने बघेली को अन्तर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी के समक्ष रखने का प्रयास किया है।

बोल-चाल में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत और अंग्रेजी के शब्दों और वाक्यों का भरपूर और सार्थक प्रयोग प्रो. तिवारी ने इस पुस्तक में किया है।

'कोश' इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोश होते हुए भी यह कोश नहीं है, और लेखक ने भी इसे कोश नहीं कहा है। किहिनी, सूक्तियों में भाषाई ढंग कहने का भले ही अलग हो, भाव-साम्य एक-सा होता है। कृषि और स्वास्थ्य सम्बन्धी सूक्तियाँ प्रो. तिवारी के विस्तृत अध्ययन और अनुभव का संकेत देती हैं। कुछ श्लोकों का अर्थ उन्होंने जान-बूझकर नहीं दिया क्योंकि वे मानते हैं कि जन-सामान्य भी इनका अर्थ जानता है। 'मिल बाँचे' का निहितार्थ चाहे जो भी हो, तिवारी जी का निहितार्थ बघेली की शब्द-सम्पदा को जीवंत बनाने के लिए संस्कृत और अंग्रेजी का मिश्रण करने का प्रयास प्रशंसनीय भर नहीं श्लाघनीय है। अगले संस्करण में तमाम सवालों के समाधान भी होंगे ऐसी अपेक्षा है। 'मिल बाँचे' के महती उद्देश्य की कल्पना का यह बघेली प्रयास स्तुत्य है। प्रो. तिवारी के इस महत् और श्रमसाध्य कार्य के लिए हम उनका नमन करते हैं।





The Role of Women in Agriculture

- Shiv Prasad Vishwakarma*
- Dr. Sheetla Prasad Verma**

Corresponding Authors : drspverma_kadc@rediffmail.com

ABSTRACT

Women in agriculture performs numerous labour intensive jobs (about 60%) like seed treatment and sowing, weeding, hoeing, harvesting, threshing, winnowing and storage of agricultural products. Despite their contribution to food security women tend to be invisible actors in development. According to census 1991 female cultivators increased at much faster rate of 45.23 % for 14.8 millions in 1981 to 21.50 millions in 1991. The number of male labours increased by 31.48% while female labourers by 36.45%, respectively. However, decision making in agricultural activities are almost negligible but decision making involvement in household related activities are 4.1% from purchase of assets to a maximum 83.5% regarding savings and investment.

Key Words: *Farm women, biodiversity, agricultural labourer, empowerment.*

Women are the backbone of the development of rural and national economies. Because they play significant and crucial role in agricultural development and allied sectors including crop production, livestock production horticulture, fisheries and post-harvest operations. Women comprise the largest percentage of agricultural workforce. They played important role in the basic life supporting system, conservation of land, water, biodiversity and other resources.

Women are the guarantee livelihoods in rural areas. Despite the important role play in agricultural economies, they suffer from highest illiteracy rate and facing poverty. The differences wages between men and women is also an important issue.

According to the census of India, 1991 there is an increased participation of rural women in economic activities beside doing household duties, through participation of women in agricultural contribute a lot for the economic

* Kulbhaskar Ashram PG College, Allahabad-211 001

** Kulbhaskar Ashram PG College, Allahabad-211 001

growth and progress of the country, their problems are shown least concern. Woman's role has biologically and socially combined to create for distinct functions that of a mother, wife, homemaker and worker. The women performing agricultural operations can be grouped into four categories.

- The landless agricultural labourers;
- Women cultivating their own piece of land and also working as labourers;
- Women working in their own land due to shortage of labourers;
- Women supervising the agricultural operations performed by the labourers.

According to census, the male cultivators have increased in the country by 11.67 percent from 76.7 in 1981 to 85.6 million in 1991. The female cultivators, however, have increased at much faster rate of 45.23 percent from 14.8 million in 1981 to 21.5 million in 1991. The number of male agricultural labourers increased by 31.48 percent, but that of female by 36.45 per cent. Seventy-four percent of the entire female working force is engaged in agricultural operations like sowing seeds transportation of sapling, winnowing, storage of grain etc. are handled exclusively by women, while in other jobs they share the work with women. Apart from participation in actual cultivation, women participate in various forms of processing and marketing of agricultural produce. In India during 10 years between year 1981 to 1990 the percentage of women in agriculture has increased by 45.8 % as cultivator and 35.50 % as agricultural labourers (table-1).

Table 1 -Women Workers in Agriculture (million)

Women Workers in Agriculture (million)			% Increased
Agriculture	1981 Census	1991 Census	
Cultivator	14.8	21.5	45.8
Agricultural Labourer	20.8	28.2	35.58

Multi – Dimensional Role and Tasks of Women

The multi-dimensional role played by women in and outside of the house are :

(a) Agriculture: Sowing, transplanting, weeding, irrigation, fertilizer application, plant protection, harvesting, winnowing, storing etc.

(b) Domestic : Cooking, child-rearing, water collection, fuel wood gathering, household maintenance etc.

(c) Allied Activities : Live-stock management, fodder collection, milking etc. Mainly rural women are engaged in agricultural activities in three different ways depending on the social economic status of their family and regional factors. They do work as following:

- i. Paid Labourers
- ii. Cultivator doing labour on their own land
- iii. Managers of certain aspects of agricultural production by way of labour supervision and the participation in post-harvest operations.

Share of Women in Agricultural Activities:

It is clear from Table -2 that the average time spends by farmwomen in household and agricultural activities. In the peak season an active farmwomen spends five to nine hours per day on the farm.

Table-2
Share of Farm Women in Agricultural Operation

Activity	Involvement (Percentage %)
Land Preparation	32
Seed And Sowing	80
Inter-cultivating Activities	86
Harvesting, Winnowing, Drying, Cleaning & Storage	84

Women Role in family food security

Women play significant contribution to agricultural production and house hold food security. They play multiple roles in process of production, handling and preparation of food. Women are the principal food producers and prepare food for rest of the family. Generally works are not considered in statistics. As a result, their contribution is underestimated and poorly understood. Moreover, a great deal of rural women labour goes unpaid and is therefore, rarely taken into account.

Women role in decision making in agriculture

Role of women in agricultural operations, and other economically productive activities is very significant. They contribute about 60-70 percent of the labour required for these activities thus, playing a pivotal role sustaining economy. In rural areas both husband and wife are jointly responsible for making decision on family matter. However, women's suggestions are not given due consideration in the decisions pertaining to agricultural sector and important family matters. It is because the majority of women is illiterate, has little time to know about the latest techniques of farming and restricted mobility due to several cultural taboos.

Bala (2003) made a survey on female respondents and observed that male members only sought their consent whereas; their suggestions/objections were not taken into account. Thus, it was consent that women had to play second fiddle to men in decision-making. Another study introduced in Haryana, revealed that farm women did not decide independently about any farm operation but participated in almost all the decisions and dominated only decisions more consent to home sphere i.e. storage of farm produce, purchase/sale of animal credit. Almost similar results were noticed by Sethi (1991) in Himachal Pradesh.

Table-3 Decision Making Pattern of Rural Families

Activity	Decision Making Pattern (Percentage %)		
	Male Share	Female Share	Joint by Male and Female
Adoption of HYVs	83	-	17
Use of fertilizers/plant Protection measures	80	-	20
Purchase Of Farm Machinery	72	-	28
Purchase and sale of animals	21	-	64
Sale of milk and milk products	11	-	78
Procurement of credit	50	-	50
Marketing Farm Produce	32	6	62
Investment of added profit	26	7	67

Empowerment of farm Women

When women are empowered and can claim their rights and access to land, leadership, opportunities and choices and food securities for current and future generations. To empower of women in agriculture society has to recognize their significant contribution by following ways:

- Women must be aware regarding their rights, access to judicial relief and redress removing discrimination through legal reforms.
- Importance of rural women in agriculture must be realize and due respect should be given.
- Our social custom dictate especially rural women should addition to agricultural activities be responsible as house working. This society has to change its mindset and have to given importance in participation in decision making.
- The rural women should have a penchant for self – empowerment through enhancing their knowledge and skills.
- Government policies should be frame to provide legal support and instill confidence in women.
- Access of technology, inputs and credits has to be ensured predominantly through women extension workers.
- Efforts must be there to create favorable conditions in agricultural areas, including maintenance of roads, networks for transportation of produce from production areas where rural women work.

- It is almost important to recognize the role that rural women play and the contribution that they make in network and co-operatives, giving them greater financial, political support and involving them in development of programmes that enhance women's role in agricultural production.

- Priority must be given to women in accessing credit on soft terms from banks and other financial institutions.

- Literacy rates of rural women must be enhanced a separate education policy for women may solve the purpose.

- Women must actively involved in decision making bodies to equalize gender inequality.

- Women labour wages should be equal to men wages in agricultural and allied sectors.

References

Bala, Brij (2003) Rural Women work only, They don't take decisions, Tribune, 20th, Sept, 2003 New Delhi.

Choudhary, Sharmishtha (2004) invisible activities of Rural women, Kurukshetra, 52(9), July, 2004.

Nandeha, K.L. (2011) Women in Agriculture Text Book of introductory agriculture pp 273-346.

Shiva, Vandana (1991) Most famous in India are Women, FAO, New Delhi, 1991.





Study of food Additives

□ Dr. Sheetla Prasad Verma*

Corresponding Authors : drspverma_kadc@rediffmail.com

ABSTRACT

Food additives are the substances non-nutrient intentionally added to food in small quantities. Its main aim of addition is for improving appearances, flavour, texture or storage properties. Feed additives are used to colour foods, others to bleach then, some add flavour, some additive make food firmer, some make softer some keep dry, other keep moist some make food acidic and others make alkaline etc. Ultimate objective of food additives is to maintain nutritional quality and to increase keeping quality of food. All food additives can be classified in to twelve groups. In present study, types, quality, purpose and safety food additives are included.

Key words:- Food additives, Preservatives, Antioxidants surface acting agent, Flavouring agent.

INTRODUCTION

Food additives may be defined as non nutritive substances added intentionally to food generally, in small quantities to improve its appearance, flavour, texture or storage properties. Need and wants of the consumer dictate the use of additives in industry. The legal meaning of the term food additive differs significantly from country to country. The USA Federal Food Drug and Cosmetic Act approved on 25 June 1936 and is currently amended. A food additive is a substance or a mixture of substances, other than basic food stuff, which is present in a food as a result of any aspect of production, processing, storage or packaging. The term does not include chance contamination.

Use of additives in food processing are to maintain of nutritional quality, enhancement of keeping quality by the use of antioxidants, antimicrobial agents, inert gases, meat cures etc. Food additives are used for the enhancement of attractiveness of foods by means of colouring and flavouring agents, emulsifiers, stabilizers, thickeners, clarifiers and bleaching agents.

BROAD CLASSES OF INTENTIONAL FOOD ADDITIVES

The intentional food additives may be classified under 12 broad groups:-

1, preservatives; 2, antioxidants; 3, sequestrates; 4, surface active agents; 5, stabilizers and thickeners; 6, bleaching and

* Department of A.H. & Dairy Science, Kulbhaskar Ashram P.G. College, Allahabad-211001

maturing agents, starch modifiers; 7, buffers, acids and alkalies; 8, food colours; 9, non-nutritive and special dietary sweeteners; 10, nutrient supplements; 11, flavouring agents; and miscellaneous (Bender, 1988).

Preservatives-

These include chemical preservatives against bacteria, yeasts, and moulds. Sodium benzoate is used in soft drinks and acidic foods; sodium and calcium propionates in breads and cakes as a mould inhibitor; sorbic acid on cheese; and compounds of chlorine as a germicidal wash

for fruits and vegetables. The preservatives also include fumigants such as ethylene oxide and ethyl formate, used to control micro-organisms on spices, nuts, and dried fruits. Preservatives which control browning of fruits and vegetables caused by enzymes such as sulphur dioxide (SO₂) are also included (Arya, 1987).

All preservatives are not permitted in all foods. Preservatives along with the food items in which their addition is permitted are given in Table 1 (Ennahrung, 1984).

Table-1 Preservatives permitted in food

Preservative	Concentration	Foods
Sulphur dioxide or salts of sulphurous acid	49—3,000 ppm	Sausages, fruit pulp, fruit juice concentrate, squashes, crushes, jams, syrups, cordial, sugar, glucose, khandsari, corn flour and syrup, beer, cider, pickles, dehydrated vegetables, wines, ready-to-serve beverages, hard boiled confectionery
Propionic acid and its salts	5,000 ppm	Bread
Benzoic acid and its salts	50—6,000 ppm	Syrups, squashes, jams, jellies, ready-to-serve beverages, pickles, chutney, ginger beer, tinned caviare
Sorbic acid and its salts	1,000—1,500 ppm	Cheese, bread, flour confectionery, smoked fish wrappers
Nisin	1000 ppm	Cheese
Nitrites	200 ppm	Cooked pickled meat, ham and bacon
Nitrates	500 ppm	Cooked pickled meat, ham and bacon

Antioxidants-

These include the compounds used to prevent oxidation of fats in many processed foods such as potato chip, breakfast cereals, salted nuts, biscuits and crackers and many other fatty foods, which, could not be stored for any length of time on supermarket shelves without developing rancidity.

The important antioxidants are butylated hydroxy anisole (BHA), butylated hydroxy toluene (BHT), propyl gallate, nordihydro guaiaretic acid (NDGA), tocopherol and ascorbic acid.

Sequestrates-

These are chelating agents or sequestering compounds. They react with trace elements such as iron and copper present in foods and remove them from solution. The trace elements are active catalysts of oxidation and discolouration of food products. Sequestrates such as ethylene diamine tetra aceti acid (EDTA), poly phosphates and citric acid react with trace elements and inactivate them.

Surface-acting agents-

These include the emulsifiers used to stabilize oil in water and water in oil mixtures, gas in liquid mixtures and gas in solid mixtures. In addition to emulsifiers of natural origin such as lecithin, and emulsifiers that can be prepared synthetically such as mono and diglycerides and their derivatives, and other agents include certain fatty acids and their derivatives, and bile acids are important in digestion. Surface-active agents exert a variety of effects such as emulsifiers, wetting agents, solubilizers, suspending agents, complex agents.

Bleaching and maturing agents and starch modifiers-

Freshly milled flour has a yellowish tint and suboptimum functional baking qualities. Both the colour and baking properties improve slowly in normal storage. These improvements can be obtained more rapidly and with better control through the use of certain oxidizing agents. Benzyl peroxide is an oxidizing agent which bleaches the yellow colour. Oxides of nitrogen, chlorine dioxide and other chlorine compounds both bleach colour and mature the flour.

Oxidizing agents such as hydrogen peroxide also are used to whiten the colour of milk for

certain kinds of cheese manufacture and to bleach. Bromate and iodate—oxidizing agents are also used to condition bread doughs for optimum baking performance. Starch modifiers include compounds such sodium hypochlorite which oxidize starches to a higher degree of water solubility.

Flavouring agents and flavour enhancers-

The flavouring agents include both natural and synthetic flavours. Some of the natural flavouring substances include spices, herbs, essential oils and plant extractives. Typical of the synthetic flavour additives are benzaldehyde (cherry), ethyl butyrate (pineapple), methyl anthranilate (grape) and methyl salicylate (winter green).

Currently there are more than 1,200 different flavouring materials used in foods, due to the ever-increasing variety of different foods, including foods of international character. But the increasing use of added flavours also must be attributed to the need to replenish flavours partially or completely lost, by various modern processing methods involving heating, concentrating, drying and other food-handling practices.

Flavour enhancers or potentiators-

These compounds do not have flavour but intensify the flavour of other compounds present in foods. Monosodium glutamate and 5-nucleotides are commonly used.

Non nutritive dietary sweetners-

The well-known substance is saccharin. Saccharin is permitted as a sweetener in food preparations and soft drinks for diabetic subjects. In 1972 FDA, USA, recommended that the daily intake of saccharin by an adult should not exceed 1g, as the studies have shown that rats receiving saccharin developed bladder tumours.

Nutrient supplements-

Principal among these are the vitamins and minerals added as supplements and enrichment

mixtures to a number of products. Important examples are: vitamin D added to milk; B vitamins iron and calcium added to cereal products; iodine to salt; vitamin A to margarine; cheeses made from bleached milks; dietary infant formulas; and vitamin C to fruit juices and fruit-flavoured desserts.

Miscellaneous-

Solvents of various types are used in manufactured foods and drinks (TARE, 1988). Dichloromethane and trichloroethylene, which have been used for the decaffeination of coffee and tea fat. Substitutes were first introduced into food supplies in 1993. They are regulated not as additives but as food ingredients or as novel foods (World Cancer Research, 1997).

Food colours-

Colours are added to many food items, to improve their appearance and to give the public appetizing and attractive qualities they desire. Colours from natural materials such as annatto, caramel, carotene and saffron are the best examples. Colours of synthetic origin which include coal tar dyes have been examined for their safety. Synthetic colours generally excel in

colouring power, uniformity, stability and lower cost.

Carbonated beverages, candies, gelatin desserts and bakery goods are among items coloured with certified coal-tar dyes. Food colours also include inorganic materials such as iron oxide to give redness and titanium dioxide to intensify whiteness.

In India 12 natural pigments, their extracts of synthetic equivalents, viz, beta-carotene, beta-apo-8-carotenal, methyl ester of beta-apo-8-carotenoic acid, ethyl ester of beta-apo-8-carotenoic acid, canthaxanthin, chlorophylls, riboflavin, caramel, annatto, ratanjot, saffron and curcumin (turmeric) are permitted to be added in foods. Among the synthetic dyes, 11 permitted colours are given in Table-2.

Stabilizers and thickeners-

These include gums, gelatin, starches, dextrans, protein derivatives and other additives that stabilize and thicken foods by combining with water to add viscosity and to form gels. Gravies, pie fillings, cake toppings, chocolate milk drinks, jellies, puddings and salad dressings are among the many foods

Table-2 Permitted food colour

Natural or Synthetic equivalent	Artificial synthetic dyes
- carotene	Panceau 42
-apo-8-carotene	Carmosine
Esters of -apo-8- carotenic acid	Fast red E Amaranth
Canthaxanthin	Erythrosine
Chlorophyll	Tartazine
Annatto	Sunset yellow
Caramel	Indigo carmine
Ratanjot	Brilliant blue
Saffron	Green
Curcimin (turmeric)	Fast green

that contain such stabilizers and thickeners as gum arabic, carboxy methyl cellulose, carrageenan, pectin, amylose, hydrolysed vegetable proteins, gelatin and others.

SAFETY OF FOOD ADDITIVES

Safety in using an additive is an important consideration.

- It is impossible to establish absolute proof of the non-toxicity of a specified use of an additive for all human beings under all conditions; critically designed animal tests of the physiological, pharmacological and biochemical behaviour of a proposed additive can provide a reasonable basis for evaluating the safety use of a food additive at a specified level of intake.

- It is generally felt that the presence of harmful impurities in food additives can, be excluded most effectively by the establishment of specifications of purity.

- It is agreed that the amount of an authorized additive used in a food should be the minimum necessary to produce the desired effect. The limit should be established with due attention to the following factors:-

(a) The estimated level of consumption of the food or foods for which the additive is proposed.

(b) Minimal levels which in animal studies produced significant deviations from normal physiological behaviour.

(c) An adequate margin of safety to reduce to a minimum any hazard to health mall groups of consumers.

- For all people, legal control over the use of food additives is essential. This is best accomplished through the use of a permitted list,

which effectively prevents the addition of any new substances to food, until an adequate basis for judgement of their freedom from health hazard has been established.

- As a matter of principle, food-label declaration informing the consumers of the presence of additives in the product, has been found to be the most effective method of achieving this result.

- Regulations governing the control of food additives are useless, unless the laws can be enforced. Trained food inspectors, food-control laboratories and reliable analytical methods are of utmost importance.

REFERENCES

1. Achaya, K.T. 1981 Regulatory aspects of food additives. *Indian Food Packer* 35 (May-June): 11—14.
2. Arya, S.S. 1987. Role of food additives in convenience foods. *Indian Food Industry* 6 (Jan- March): 11—16.
3. Bender, A.E. 1988. Food additives. *Practitioner*; 232 1442 143—47.
4. Ennahrung. 1984. Effects of preserving foods using additives of plant origin. *Food Engineering* 82: 81—83.
5. Ferrando, R. 1981. Traditional arid Non-traditional Food. Food and Agriculture Organization of United Nations, Rome.
6. IARC. 1988. Monograph on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Human : Alcohol Drinking. International Agency for Research on Cancer.
World Cancer Research. 1997. Food Nutrition and the Prevention of Cancer: a Gtobal Perspective. American Institute for Cancer Research, Washington.



फार्म - IV

(घोषणा-पत्र)

1. प्रकाशन का स्थान 121, शहरारा बाग, इलाहाबाद-3.....
2. प्रकाशन की नियत अवधि मार्च, जून, सितम्बर एवं दिसम्बर.....
3. मुद्रक का नाम सुशील कुमार कुशवाहा.....
राष्ट्रीयता भारतीय.....
पता 121, शहरारा बाग, इलाहाबाद-3.....
4. प्रकाशक का नाम सुशील कुमार कुशवाहा.....
राष्ट्रीयता भारतीय.....
पता 121, शहरारा बाग, इलाहाबाद-3.....
5. प्रधान संपादक का नाम सुशील कुमार कुशवाहा.....
राष्ट्रीयता भारतीय.....
पता 121, शहरारा बाग, इलाहाबाद-3.....

मैंसुशील कुमार कुशवाहा....घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गयी विशिष्टियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

तारीख....30.03.2018...

(सुशील कुमार कुशवाहा)



कानपुर जनपद में स्थित भीतरगाँव मन्दिर की स्थापत्य-कला

□ डॉ. राजेश कुमार*

शोध सारांश

कानपुर जनपद के घाटमपुर तहसील के अर्न्तगत बसा भीतरगाँव गुप्तकालीन निर्मित ईंटों के मन्दिर को स्मृति के रूप में आज भी अपने आँचल में संजोये हुये हैं। भीतरगाँव, इस मन्दिर के कारण ही भारतीय इतिहास के पन्नों में अमर हो गया है। यह मन्दिर प्राचीन भारत की भवन एवं मन्दिर निर्माण शैली तथा उसके अलंकरण में प्रयुक्त मूर्तिकला शैली एवं अन्य परम्पराओं को प्रचुर रूप से अभिव्यक्ति करने में पूर्ण सक्षम है।¹

अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस मन्दिर की खोज 1877 ई० में की थी।²

ग्रामवासियों ने मन्दिर स्थल पर बताया कि 200 वर्ष पूर्व यह सम्पूर्ण क्षेत्र घनी झाड़ियों के जंगल से घिरा हुआ था। इससे पूर्व इस मन्दिर के विषय में न तो किसी को विशेष ज्ञान था और न ही आस-पास के क्षेत्र के निवासियों की कोई परम्परा ही इससे जुड़ी रही है।³

मन्दिर में प्रयुक्त स्थापत्य कला :-


भीतरगाँव का मन्दिर पंचवर्गाकार आधारशिला पर अथवा पंचायतन (PANCHAYATANA) भवन निर्माण कला योजना के सिद्धान्तों पर निर्मित किया गया है। जिसमें प्रत्येक कोने पर इस प्रकार रिसेस (RECESS) नियोजित किये गये हैं, जिससे शिखर का परिमाणिक सौन्दर्य पूर्ण रूप से निखर कर अपनी अदभुद छटा बिखेर सके।⁴

1909 के उल्लेखन में इस मन्दिर की नींव का जो प्रारूप सामने आया वह यह दर्शाता है कि इसकी नींव को वर्गाकार कोटों में बड़ी विस्तृत एवं सघन ईंटों की भराई करके बनाया गया है, ताकि उस पर निर्मित इमारत सामान्य रूप से सदा के लिए सुरक्षित रहे। जिसकी प्रत्येक भुजा की लम्बाई 18-25 मी० है।⁵

इस मन्दिर की निर्माण योजना का भली-भांति अध्ययन करने हेतु इसमें निर्मित डयोढ़ी, अर्द्धमण्डप, गलियारा एवं गर्भगृह में विभाजित कर लेखन करना उपयुक्त रहेगा। डयोढ़ी अर्द्धमण्डप के प्रवेश के रास्ते के रूप में है जिसमें छः सीड़ियाँ निर्मित हैं। वर्तमान में डयोढ़ी पर बने फर्श एवं उसके इसी ओर बनी दीवार तथा ऊपर बनी छत का अब कोई नामोनिशान शेष नहीं है। कनिंघम ने जब स्मारक की खोज की थी तब डयोढ़ी एवं अर्द्धमण्डप के अवशेष शेष थे जिसका संक्षिप्त रूप से वर्णन किया गया है।⁶

बुजुर्ग ग्राम-वासियों ने बताया कि डयोढ़ी के ऊपर एक मेहराबदार छत थी जिसका विस्तार अर्द्धमण्डप तक था। यह अर्द्ध वृत्ताकार डयोढ़ी 1877 के बाद गिरकर नष्ट हो गयी।⁷ 1877 में उत्तर पूर्व से खींचे गये चित्र का सन्दर्भ लें।

* प्राध्यापक एवं अध्यक्ष इतिहास विभाग, धर्म समाज महाविद्यालय, अलीगढ़



View from North-East in 1877

वर्तमान में 2–28 मी०×2–34 मी० बिना छत का जो स्थान, जिसकी सतह आस-पास के भूमि तल के समान है, वहीं वाह्य कक्ष या अर्द्धमण्डप निर्मित था किन्तु वर्तमान में अर्द्धमण्डप के होने का कोई अवशेष शेष नहीं है। अर्द्धमण्डप में मेहराबदार छत बनी हुयी थी जिसके ऊपर नुकीले शिखर बने थे। यह मेहराबें ईंटों को एक विशेष प्रकार से (Bricks placed edge to edge instead of face to face) लगाकर बनाई गयी थी।⁸

वर्तमान में अर्द्धमण्डप से गर्भगृह जाने वाले गलियारे की लम्बाई 2–36 मीटर है।⁹

गर्भगृह वर्गाकार आकर का बना हुआ है जिसकी प्रत्येक भुजा की लम्बाई 4.02 मीटर है। इसकी माप 15×15 फीट है।¹⁰

वर्तमान गर्भगृह का फर्श आधुनिक ईंटों का बना हुआ है। मन्दिर के चारों ओर वर्गाकार क्षेत्र में आधुनिक ईंटें लगाकर मन्दिर का प्लेटफार्म बना दिया गया है, जो भूमि तल के बराबर है। इस प्लेटफार्म से गर्भगृह का फर्श 1–49 मी० ऊँचा है। गर्भगृह के फर्श से शिखर की अन्दरुनी छत तक की ऊँचाई 7–59 मी० है।

गर्भगृह के ऊपर 3–76 मी० ऊँचाई का खाली भाग निर्मित है। जिसका आधार 3–41 मी० नाप की वर्गाकार आकृति लिये हुये है। इस खाली भाग के ऊपर भूमि तल से 14–36 मी० ऊँचाई पर एक कटोरे को उलट कर रख देने जैसा आकार निर्मित है जो उपरोक्त खाली भाग को ढके हुये है।

वर्तमान में मन्दिर के अन्दर की दीवारों पर किसी प्रकार का अलंकरण नहीं है जबकि वाह्य भाग परिष्कृत रूप से अलंकृत किया गया है।¹¹ गर्भगृह के अन्दर से इसकी छत अर्द्ध-वृत्ताकार नुकीली दिखाई देती है।¹² पर्सीब्राउन ने इसकी तुलना बन्दूक की नली से की है।¹³ जो सही नहीं प्रतीत होती है।


मन्दिर के वाह्य भाग से ऊपरी छत को आमलक (AMALAKA)¹⁴ पद्धति से अलंकृत किया गया है।¹⁵

अलंकृत स्तम्भ :-

मन्दिर में कुल 28 स्तम्भ है¹⁶ जो विशिष्ट रूप से अलंकृत हैं। पहली पंक्ति में बने मृणमूर्तियों से अलंकृत तौख और चौखटे दो स्तम्भों के मध्य में हैं। इन स्तम्भों में 10 स्तम्भ जीर्णोद्धार के दौरान बदल दिये गये हैं तथा शेष स्तम्भ आंशिक रूप से मरम्मत कर सुधारे गये हैं। मात्र 3 स्तम्भ अखण्डित स्वरूप में मौजूद है।¹⁷ स्तम्भों को किस प्रकार अलंकृत किया गया है वह संलग्न रेखा चित्रों से स्पष्ट हो जाता है।¹⁸

अलंकृत ईटें :-

मन्दिर के निर्माण में प्रयुक्त ईटें समान नाप की नहीं हैं। ईटों की मोटाई सामान्यतया 8 से० मी० है, परन्तु इनकी लम्बाई 44 से 46 से०मी० नाप की विभिन्नता लिये हुये है तथा इनकी चौड़ाई में भी 23 से०मी० से 27



19
F.19 Pilaster No. 8

20
F.20 Pilaster No. 9

21
F.21 Pilaster No. 10

22
F.22 Pilaster No. 11

23
F.23 Pilaster No. 12

से0मी0 की भिन्नता है।¹⁹ कनिंघम ने भी इन ईंटों की लम्बाई – चौड़ाई – मोटाई 35×22.5×7.5 से0मी0 बताई है।²⁰ वोगल ने इसकी नाप 33.75×26.25×7.5 से0मी0 बतलाई है।²¹ यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि यह अन्तर क्यों हैं। अलंकृत ईंटों को देखकर आश्चर्य होता है कि इनका निर्माण कैसे किया होगा। सम्भवतः सांचे में पड़ी कच्ची ईंटों पर गीली अवस्था में ही चाकू अथवा नक्काशी बनाने के अन्य औजारों द्वारा अलंकरण कर दिया गया और बाद में उन्हें उच्च तापमान पर पकाया गया। भारतीय संग्रहालयों में पाई जाने वाली इन ईंटों की संख्या बहुतायत में हैं।²²

भीतरगॉव की मन्दिर की ईंटों पर नक्काशी किया गया अलंकरण अपने में एकदम अनूठा एवं परिष्कृत शैली का है और प्राचीन तथा श्रेष्ठ है। भीतरगॉव के मन्दिर की स्थापत्य कला की तमाम विशेषताओं में से प्रमुख विशेषता उसका नक्शा एवं शिखर है। इसके नक्शे को वास्तुविदों ने रिसेस-प्लान (Recess-Plan) की संज्ञा दी है। यदि यह परिकल्पना न जोड़ी गई होती तो मन्दिर के शिखर की भव्यता में इतना निखार ला पाना सम्भव न हो पाता तथा मन्दिर स्थापत्य में इतनी मजबूती एवं इतना टिकारूपन भी न आ पाता।²³

उपरोक्त विशेषताओं के अतिरिक्त मन्दिर के बाह्य भाग पर सीधी पड़ी रेखा क्रम में निर्मित आठ लाइनों के अलंकृत तॉखों की जो क्रमिक व्यवस्था प्राप्त होती है वह भी स्थापत्य शैली की विशिष्ट परिकल्पना को सामने लाती है।

मन्दिर की बाह्य दीवाल पर निर्मित पहली पंक्ति में 25 तॉखों की एक क्रमिक श्रृंखला है जिसके अन्दर अलंकृत पटल लगाने की व्यवस्था सामने आती है किन्तु वर्तमान में 18 अलंकृत पटल शेष बचे हैं।²⁴

दीवाल की तॉखों पर लगे अलंकृत पटल लगभग 77 से0मी0 ऊँचे तथा 63 से 67 से0मी0 चौड़े हैं। रिसेस की तरफ तॉखों में बने अलंकृत पटल अपेक्षाकृत छोटे हैं। पहली रिसेस में अलंकृत पटलों की ऊँचाई और चौड़ाई 48 से 58 से0मी0 है। दूसरी रिसेस के अलंकृत पटल कुछ छोटे हैं तथा 64 से 70 से0मी0 ऊँचे हैं तथा 33 से 35 से0मी0 चौड़े हैं।²⁵

ऐसा प्रतीत होता कि वास्तुविद ने एकरूपता के स्थान पर सौन्दर्यीकरण के तत्त्व को प्रमुखता दी है। इसी परिकल्पना के तहत उसने दो मीटर चौड़े पटल की ऊँचाई मात्र 76 से0मी0 प्रदान की है। रिसेस की दूसरी पंक्ति की श्रृंखला में स्थानाभाव के कारण एक मीटर लम्बे अलंकृत पटल को मात्र 6 से 12 से0मी0 ही रखा है। 5 मीटर लम्बी दीवार में मात्र 3 अलंकृत पटल केवल 67 से0मी0 ऊँचाई के निर्मित किये गये हैं जबकि दीवाल की चौड़ाई सिकुड़ कर दो मीटर रह गई है और वहा पर एक अलंकृत पटल मात्र 48 से 58 से0मी0 चौड़ा लगाया गया है। दूसरी रिसेस में दीवाल की चौड़ाई एक मीटर रह गई है, जिससे अलंकृत पटल की ऊँचाई 2.60 मीटर हो गई है तथा पटल की चौड़ाई क्रमशः कम हो गई है। इस रिसेस में पटलों की ऊँचाई 64 से 70 से0मी0 तथा चौड़ाई 33 से 35 से0मी0 की है।²⁶

दूसरी पंक्ति में अलंकृत आयताकार तॉख ऐसे हैं, जिनकी अगल बगल की भुजायें असमान हैं और जो लम्बाई में अधिक और चौड़ाई में कम हैं। इस दूसरी श्रृंखला में कुल 128 अलंकृत तॉख पटल बने हुये हैं, जिनमें से वर्तमान में केवल 57 मौजूद हैं। इन चौखटों के नीचे का ढांचा स्तम्भों की कार्निंस की ऊभरी सतह की सहायता से निर्मित किये गये हैं। दूसरी पंक्ति की यह श्रृंखला मणिबन्द की तरह मन्दिर के चारों ओर निर्मित है। स्तम्भ के नीचे-ऊपर की दो कार्निंसों की सहायता से जो पटटा निर्मित है उसकी ऊँचाई 112 से0मी0 है जबकि अलंकृत पटल की ऊँचाई मात्र 24 से0मी0 है। पटलों की चौड़ाई पटल में अलंकृत विषय के अनुरूप निर्धारित की गई है। जिसमें सबसे छोटी आकृति 10 से0मी0 और सबसे लम्बी आकृति 50 से0मी0 की है।

जहाँ पर सकरी एवं लम्बी मृणमूर्ति की आकृति को स्थापित किया जाता है उसका परिमाण आधुनिक ईट के सामान है और जिसकी नाप 24×10 से0मी0 है। वर्तमान में केवल ऐसे 10 अवशेष ही रह गये हैं जिनमें से चार उत्तर की ओर तथा दो-दो पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम दिशाओं की ओर अवशिष्ट हैं।²⁷

इस दूसरी पंक्ति की श्रृंखला में 10 तॉख पटलों पर उत्कीर्ण आकृतियां भिन्न-भिन्न है किन्तु इन सभी में या तो पशुओं की आकृतियां उत्कीर्ण की गई है या काल्पनिक जन्तुओं की आकृतियां निखारी गई हैं, जिनमें मकर (मगर) की आकृति को विभिन्न रूपों में कई स्थानों पर प्रस्तुत किया गया है। इस पंक्ति की श्रृंखला के कुछ तॉख वर्तमान में खाली पड़े हुये हैं।

तीसरी पंक्ति मंदिर के अन्य भागों की अपेक्षाकृत अधिक क्षतिग्रस्त है। दूसरी पंक्ति की श्रृंखला के ऊपर की कार्निश के ऊपर 12 ईंटों का अलंकरण विहीन विस्तार है। इसके पश्चात इस तीसरी श्रृंखला का घोड़े की नाल के सदृश ताखें बनाकर उन्हें मृणमूर्तियों से सुसज्जित किया गया है। इन ताखों का ऊपरी सिरा नुकीला न होकर अर्द्धवृत्ताकार है। इस तीसरी पंक्ति की स्थापत्य व्यवस्था अपने में अनोखे किस्म की है। केन्द्र की दीवाल और दूसरी रिसेस में बने तॉखों की नाप समान हैं जो पहली रिसेस पर निर्मित तॉखों के अनुरूप है। केन्द्रीय दीवाल पर पाँच छोटे-छोटे तॉख बने हुये हैं। यह तॉख दो प्रकार के हैं। प्रथम घोड़े की नाल के सदृश एवं दूसरे अर्द्ध-वृत्ताकार हैं। ये तॉख दो ईंटों के विस्तार में ढाल कर बनाये गये हैं। बाहरी ईंट सादी है और अन्दर की अलंकृत है जिनपर कमल की पखुड़ियों उत्कीर्ण की हुई है घोड़े की नाल सदृश वाले तॉख ऊपर खुले हुये हैं और जो तॉख अर्द्ध वृत्ताकार हैं, वे बिना टूटी हुई श्रृंखला में निर्मित हैं। इन ताखों का आधार भूमितल से 5.68 मीटर ऊँचाई पर है। इस तीसरी श्रृंखला के बाद शिखर की संरचना प्रारम्भ होती है और ऊपरी निर्माण उत्तरोत्तर पतला होता गया है।²⁸

चौथी पंक्ति के तॉखों को गवाक्ष की आकृति के सदृश निर्मित किया गया है जो देखने में झरोखों से दिखते हैं। जो अभी तक दक्षिण दिशा की मध्य दीवाल पर विद्यमान है और इसके कुछ अवशेष पश्चिम दिशा की दीवाल पर भी दृष्टिगोचर होते हैं। दक्षिणी भाग के केन्द्र की दीवाल पर 6 गवाक्ष या झरोखे निर्मित हैं जिनमें से 3 झरोखों में मानव सिर निर्मित मृणमूर्तियों के पटल लगे हुये हैं, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि कोई झरोखे से झांक रहा हो।²⁹

पांचवी पंक्ति में दक्षिणी और पश्चिमी भाग की ओर निर्मित रिसेस में एक-एक आला या ताखे निर्मित है। यह आले चौथी पंक्ति की श्रृंखला में निर्मित झरोखों से थोड़ा सा ऊपर हैं।

छठी पंक्ति में भी गवाक्ष या झरोखों से झांकती हुई मानव शकलों के अलंकरण निर्मित है जो मुख्य रूप से केन्द्रीय दीवाल के दक्षिणी एवं पश्चिमी भाग में दर्शाये गये हैं।

सप्तम पंक्ति में पूरब की ओर निर्मित पहली रिसेस के दक्षिणी भाग में दो आले निर्मित दिखाई पड़ते हैं जो क्षतिग्रस्त अवस्था में है। दक्षिणी भाग में पहली रिसेस के पश्चिमी ओर दो आले निर्मित दिखाई देते हैं जिनमें एक तो पूरी तरह से शेष है किन्तु उसमें कोई अलंकृत पटल नहीं लगा है। दूसरी आला ईंटों से बन्द है। पश्चिम की तरह चार आले निर्मित दिखाई देते हैं जो पहली रिसेस के दोनों ओर दो-दो है। उत्तरी और पश्चिमी रिसेस में जो आले निर्मित हैं उनके चौखटे अलंकृत ईंटों के बने हुये हैं किन्तु दक्षिणी पश्चिमी रिसेस पर ये पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गये हैं। इन सभी आलों में अलंकृत पटलों का आभाव दिखाई पड़ता है। उत्तर की ओर की आकृति भी लगभग इसी प्रकार की हैं। इसी पंक्ति में जो ग्यारह आलों की पहचान की गई है जिनमें से एक आले मात्र में एक मानव सिर की आकृति उत्कीर्ण की गई है बाकी या तो सब खाली है या तो ईंटों से भरकर बन्द कर दिये गये हैं।

अष्टम पंक्ति में निर्मित चौखटे लगभग तीसरी पंक्ति में निर्मित चौखटों के सदृश हैं। चूँकि इस पंक्ति तक पहुंचते-पहुंचते स्थानाभाव के कारण इसमें केवल 4 चौखटे मात्र निर्मित किये गये हैं। पहली रिसेस में कोई गवाक्ष या झरोखा निर्मित दिखाई नहीं देता किन्तु दूसरी रिसेस में उनके कुछ अवशेष दिखाई देते हैं।

वर्तमान में मन्दिर की कुल ऊँचाई 15.41 मीटर है। आठवीं पंक्ति के स्तर तक कुल मिलाकर 207 तॉख या आले निर्मित हैं जिनमें 119 पटल लगे हुए हैं। उपलब्ध अवशेषों को देखकर यह परिकल्पना आसानी से की जा सकती है कि उपरोक्त वर्णित आठ पंक्तियों के अतिरिक्त

उसके ऊपर छः पंक्तियां और रही होगी। आठवीं पंक्ति के ऊपर कहीं-कहीं पर झरोखे बने होने के संकेत दिखाई देते हैं। जिससे उपरोक्त परिकल्पना का मजबूत आधार बनता है। वर्तमान में उपरोक्त आठ पंक्तियों के अतिरिक्त जो शेष भाग रह जाता है उनमें चार चौखटे पूरब की ओर, पांच दक्षिण की ओर, तीन पश्चिम की ओर चार उत्तर की ओर बने हुये हैं।

मन्दिर निर्माण की सम्पूर्ण वास्तु एवं शिल्प हिन्दू है तथा इसमें बाहरी देश की शैली का समावेश देखने को नहीं मिलता। मन्दिर की बाह्य दीवारों पर जो आकृतियाँ एवं मूर्तियाँ विद्यमान हैं वह मूर्तिकला की अनुपम उदाहरण हैं। मन्दिर की स्थापत्य-कला प्राचीन भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की एक अमूल्य धरोहर है। यदि इसके आस-पास डेढ़ या दो किलोमीटर के क्षेत्र में पुरातत्वविद उत्खनन कार्य करें तो समकालीन इतिहास की अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी प्राप्त हो सकती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. मो० जहीर, द टेम्पिल ऑफ भीतरगाँव, पृ० 02
2. ए० कनिंघम, भीतरगाँव, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, रिपोर्ट खण्ड-x1 (ए०एस०आई०आर०) पृ० 40
3. श्री अमर सिंह कुशवाहा पुत्र श्री महादेव कुशवाहा उम्र 70 वर्ष, श्री बलराम सिंह कुशवाहा उम्र 78 वर्ष एवं श्री छोटे लाल पुत्र श्री सीताराम उम्र 77 वर्ष के परिवार भीतरगाँव में लगभग 200 वर्षों से रहते चले आ रहे हैं। इन्होंने अपने पूर्वजों की जानकारी के आधार पर साक्षात्कार में बताया।
4. ए०एच० लॉगहर्स्ट, ए०एस०आई०आर०, 1908-09, पृ० 14
5. वही
6. ए० कनिंघम, (ए०एस०आई०आर०) खण्ड-x1 पृ० 41
7. मन्दिर के समीप रहने वाले बुजुर्ग श्री अमर सिंह कुशवाहा के साथ मौखिक साक्षात्कार के आधार पर जिसकी पुष्टि कनिंघम ने भी की थी।
8. ए० कनिंघम (ए०एस०आई०आर०) खण्ड-x1 पृ० 41
9. स्वयं सर्वेक्षण के आधार पर
10. ए० कनिंघम (ए०एस०आई०आर०) खण्ड-x1 पृ० 45
11. मो० जहीर, द टेम्पिल ऑफ भीतरगाँव, पृ० 23
12. वही
13. पर्सीब्राउन, इण्डियन आर्किटेक्चर (बौद्धिष्ट एवं हिन्दू पीरियड), पृ० 41
14. आमलक (AMALAKA) का अर्थ आँवला होता है। आँवले में देशान्तर रेखाओं की तरह जो कलियाँ बनी एवं उभरी दिखायी देती है। उस तरह की आकृति मन्दिर के गुम्बद में विशिष्ट छटा लिए हुए होती है किन्तु उसमें कोई गुम्बद नहीं है। स्तम्भों और रिसेस के माध्यम से जो ढलुआ एवं मीनार सदृश शिखर निर्मित किया गया है उसमें आवलें की फलियों की भाँति अंलकरण है।
15. आर०नाथ०, भीतरगाँव, द टेक्निक ऑफ आर्किटेक्चर, पृ० 24
16. ए० कनिंघम, ए रिपोर्ट ऑफ ए टूर खण्ड VII, भीतरगाँव पृ० 40
17. मो० जहीर, द टेम्पिल ऑफ भीतरगाँव, पृ० 29
18. वही, पृ० 37, चित्र 14 से 18
19. वही, पृ० 44
20. ए० कनिंघम, ए रिपोर्ट ऑफ ए टूर खण्ड VII, भीतरगाँव पृ० 44
21. ए०पी०एच० बोगल, द टेम्पिल ऑफ भीतरगाँव, ए ब्रिक आर्किटेक्चर, ए०एस०आई०आर० 1908-09, पृ० 06
22. मो० जहीर, द टेम्पिल ऑफ भीतरगाँव, पृ० 45
23. वही, पृ० 16
24. मन्दिर निर्माण स्थल के स्वयं सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर
25. वही
26. वही
27. वही
28. मो० जहीर, द टेम्पिल ऑफ भीतरगाँव, पृ० 74-75
29. वही, पृ० 77





पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का विश्लेषण

□ डॉ. जे.पी. सिंह*

शोध सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में हाथरस जनपद में पंचायती राज संस्थाओं के सामने आ रही कठिनाइयों/समस्याओं का विश्लेषण किया गया है।

विकेन्द्रीकरण व्यवस्था में प्रधानों को अधिक शक्तिशाली बना दिया गया लेकिन ग्राम पंचायत सदस्यों को जस का तस रखा गया है। अतः इन ग्राम पंचायत सदस्यों को अधिक अधिकार सौंपे जाने की आवश्यकता है जिससे ये अपनी समितियों से जुड़े क्रियाकलापों एवं जिम्मेदारियों का बेहतर तरीके से निर्वहन कर सकें।

यह तथ्य सामने आया कि जहाँ-जहाँ ग्राम प्रधान महिलाएँ हैं उनमें से 55 प्रतिशत महिला प्रधानों के पति, भाई या बेटे ही जिम्मेदारियाँ सभाले हुये हैं। यहाँ तक कि विकास खण्डों में होने वाली बैठकों में इनके पति या भाई ही भाग लेते हैं। इसके लिये पुरुष मानसिकता दोषी है इसे बदलना आवश्यक है। महिला प्रधानों को अधिक जागरूक बनाया जाये। महिला प्रधानों को स्वयं भी आगे आना होगा। दक्षिण भारत की एक गाँव की प्रधान श्रीमती फातिमा बी इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं जिन्होंने तमाम पुरुष विरोध के बावजूद भी अपने स्तर से तमाम विकास कार्य कराये। किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि के स्थान पर यदि कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित होता है तो इसके लिये दण्ड का प्रावधान हो या एक से अधिक बाद महिला प्रधानों के पति या अन्य रिश्तेदारों की उपस्थिति पर खण्ड विकास अधिकारी उस गाँव के विकास कार्यों को आने वाली किश्त को रोक दें और

जब तक न भेजें जब तक कि महिला प्रधान बैठक में उपस्थित न हो।

यह तथ्य प्रकाश में आया है कि 90 प्रतिशत किसान सेवा केन्द्रों पर या तो सम्बन्धित अधिकारी पहुँचते ही नहीं है यदि पहुँच भी जायें तो सुबह 10:00 बजे से 5:00 बजे तक बैठे रहने के अलावा और कोई कार्य नहीं करते। क्योंकि शिकायत न के बराबर आती है। यदि एक दिन में एक शिकायत आ भी गयी तो इतने अधिकारियों/कर्मचारियों को किसान सेवा केन्द्र पर पूरा समय देने की क्या आवश्यकता है।

शोधकार्य में पाया कि 86 प्रतिशत ग्राम पंचायतों की खुली बैठकों में ऐसे प्रस्ताव पारित नहीं हो पाते जिनको कि प्राथमिकता के आधार पर पारित कराना चाहिये। खुली बैठकों में दंगा फसाद होना भी अब आम बात हो गयी है। बेहतर प्रस्तावों को पारित होने के लिये एक स्वस्थ माहौल की आवश्यकता होती है। जो ग्राम

* एसो0 प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, डी0एस0 कालेज, अलीगढ़

पंचायतों में कम नजर आता है। अतः ग्रामीण जनप्रतिनिधियों को बेहतर तरीके से प्रशिक्षित किया जाय एवं समझाया जाय कि विषम परिस्थितियों में भी अच्छे प्रस्तावों को कैसे पारित करना है।

पंचायत प्रतिनिधि आय के नये स्रोतों को लागू करने या करो की कड़ाई से बसूली करने के प्रति उदासीन है या किसी प्रकार का झंझट मोल लेना नहीं चाहते। इस कारण वित्त की कमी आड़े आती है। कार्यक्रमों का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के योगदान पर निर्भर करता है किन्तु इस सम्बन्ध में अनुकूल समस्याओं का निराकरण आवश्यक है।

पंचायती राज संस्थाओं के मार्ग में अनेक क्रियात्मक समस्याएँ पायी गयी है। कभी-कभी पंचायती राज संस्थाएँ पंचायत की सभाओं, शिलान्यास और उद्घाटन समारोह पर अनावश्यक रूप से खर्च करती हैं। पंचायत के पदाधिकारी यद्यपि अवैतनिक होता है पर वे अप्रत्यक्ष रूप से अपने मोटरगाड़ियों तथा कार्यालयों एवं आवास के टेलीफोनों पर अनावश्यक रूप से खर्च करते हैं। वे योजनाएँ देखने के लिये बाहर के राज्यों की भी यात्रा करते हैं। इसके अतिरिक्त पंचायत राज संस्थाएँ अपने राजनैतिक उत्सवों, सभाओं जुलूसों तथा जलसे पर भी खर्च करते हैं जिससे पंचायती राज संस्थाओं की कार्य संस्कृति पर खराब प्रभाव पड़ता है। अतः आवश्यक है कि पंचायतों को भी राज्य का पंचायत विभाग कड़े अनुशासन में रखे पंचायती राज संस्थान मतदाताओं की आशाओं तथा आकांक्षाओं को पूरा कर सके।

दूसरी वह जिसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है और सचिव प्रधान अध्यापक, इस तरह ग्राम प्रधान व ग्राम उप-प्रधान में इस बात की शंका रहती है कि शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन है जिस कारण शिक्षा समिति अपने निर्धारित उद्देश्य पाने में असफल है। ग्राम प्रधानों ने बताया कि प्रशिक्षण के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जाता है। बार-बार एक ही साहित्य ग्रामीण स्तर पर बाँटा जाता है केवल पुस्तक का कवर

बदला जाता है। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर जो धन खर्च हो रहा है। यदि यह पैसा सीधे किसी पंचायत को भेज दिया जाये तो उस ग्राम पंचायत का विकास होगा।

बहुत कुछ हद तक जनसंख्या वृद्धि भी विकास में बाधक है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि के लिये प्रधानों को जिम्मेदार बनाया जाये सिर्फ एक बच्चे वाले उम्मीदवार को ही चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त हो। परिवार नियोजन सम्बन्ध सामग्रियों के वितरण के उत्तरदायित्व भी प्रधानों को सौंपे जायें।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम्य स्वरोजगार योजना अभी तक किसी भी स्वयं सेवी समूह को अपेक्षा के अनुरूप लाभ नहीं पहुँचा पाई है। यह योजना पूरे समूह को धन मुहैया कराकर व्यवसाय कराने के लिये प्रेरित करती है। लेकिन उससे पहले उन्हें आपस में ऋण करके दिखाना होता है। समूह के छः महीने में परिपक्व होने के बाद बैंकर्स ग्रेडिंग करते हैं। यदि ग्रेडिंग में समूह अनुत्तीर्ण हो गया।

जब ग्राम पंचायत सदस्यों की बैठक बुलाई जाती है तो बैठक में सदस्य नहीं आते हैं और उनके हस्ताक्षर कराने के लिये उनके घर-घर जाना पड़ता है। ग्राम पंचायतों में दो-दो शिक्षा समिति होने का क्या औचित्य है। एक वह जिसका अध्यक्ष गाँव का उपप्रधान होता है, छः अन्य पंचायत सदस्य होते हैं। कहने मात्र के लिये योजनायें नीचे से बनती है। हकीकत में सारी योजनाएँ ऊपर से थोपी जाती हैं जिसमें योजना आयोग के वातानुकूलित कक्ष में बैठे सचिव जिन्हें धरातल की लेशमात्र भी जानकारी नहीं होती, वे इन योजनाओं को बनाते हैं।

इन संस्थाओं के सामने कार्यात्मक समस्याएँ भी पायी गयी हैं। उचित जानकारी न हो पाने के कारण हर वर्ष करेंट रिपोर्ट नहीं बन पाती जिसका परिणाम यह होता है कि कार्य किसी के द्वारा कराया जाता है और उसे दिखा कोई और देता है। यह उदाहरण है कि विकास खण्ड मुरसान ग्राम पंचायत बुधू नगला हेमराज

जिसमें पूर्व प्रधान के कार्यकाल के समय से करेन्ट रिपोर्ट नहीं बन पाई और इस वर्ष नये ग्राम प्रधान ने जो विकास कार्य कराया है। विकास कार्य दोनों करेंट रिपोर्ट में दिखाया गया।

एक ग्राम सभा उन ग्राम पंचायतों के लिये जहाँ एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक गाँव हैं, अव्यवहारिक सिद्ध हुई है। यही कारण है कि ग्राम सभा की बैठकों में उपस्थिति बहुत कम रहती है, कहीं-कहीं पर कोरम भी पूरा नहीं होता। एक गाँव से दूसरे गाँव जाने के लिये महिलाओं तथा बूढ़ों को अधिक परेशानी होती है। इसलिये संविधान में संशोधन करके ग्राम सभा के लिये प्रावधान होना चाहिये कि प्रत्येक गाँव स्तर पर ग्राम सभा हो, ऐसा करने से ग्राम सभाओं में महिला-पुरुषों दोनों की भागीदारी बढ़ेगी।

सरकार ने विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापकों के साथ अप्रशिक्षित शिक्षा मित्रों की नियुक्ति कर उनके मान सम्मान को ठेस पहुँचाई है। यदि सरकार को ऐसा ही करना है तो बी0एड0 प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दे इससे बेरोजगारी की समस्या भी हल हो जायेगी।

सरकार ने कर्मचारियों के वेतन भुगतान का अधिकार जो पंचायतों को सौंपे हैं उससे महिला कर्मियों व दलित

कर्मियों के शोषण उत्पीडन को बढ़ावा मिला है। आँगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को एक-एक साल तक वेतन भी नहीं मिल पाता।

अधिकतर महिला प्रधानों को पता ही नहीं है कि जो कार्य उसने कराया है वह किस गली में है और कार्य किसके घर से किसके घर तक कराया गया है। प्रशिक्षण भी महिला प्रधानों द्वारा नहीं बल्कि उनके पतियों व सम्बन्धियों द्वारा लिया जाता है।

प्रधान द्वारा दी गयी सूची के अनुसार ही इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास बनवाये जाते हैं जबकि जरूरतमंद व्यक्ति को यह लाभ नहीं मिल पाता है।

संदर्भ :

1. उत्तर प्रदेश 2020, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार
2. भारत 2020 प्रकाशन विभाग, भारत सरकार
3. महेन्द्र कुमार (2018) भारतीय कृषि अर्थशास्त्र
4. महेन्द्र कुमार (2018) ग्रामीण विकास के तत्व
5. योजना पत्रिका, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार
6. कुरुक्षेत्र पत्रिका, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार
7. के.के. तौमर (1998) ग्रामीण राजनैतिक परिवर्तन
8. दास पी0 (1992) रोल ऑफ जिला परिषद इन रूरल डवलपमेंट





Effects of industrial effluents on the soil profile of Talanagri area of Aligarh District

□ Dileep Gupta*

शोध सारांश

The present study was undertaken to study the effects of industrial effluents on the soil of Talanagri Industrial area of Aligarh District of Uttar Pradesh. The sampled soils were studied for their physical and chemical properties at two depths. The results showed that area which is near to industries has more sand than area which is farther. The physicochemical parameters of soil (pH, conductivity, turbidity, salinity and TDS) were assessed and it was found that pH was higher and organic carbon was lower in the samples collected from industrially affected soil.

Key Words : physicochemical parameters, turbidity, salinity

INTRODUCTION

It is a matter of utmost concern that present age agriculture is being threatened, continuously by the constant decline in the already depleted resources particularly soil and water due to ever increasing population, fast urbanization and environmental pollution emanating from industrial mismanagement. Due to rapid industrialization heavy metals get introduced into the environment which changes the physicochemical parameters of the soil.

In the present research study the physicochemical parameters of the soil of Talanagri area were determined.

MATERIALS AND METHODS

Aligarh is a city located in U.P. state of northern India. The city is about 90 miles east to New Delhi. The site for soil sampling was at a distance of 040 m, 140 m and 260 m away from effluent sludge site. The georeference of this area under study is latitude N 27°53' and longitude E 78°35'. Soil samples were collected from five different sites in the duration September 2015 – January 2016. Two sites were sewage irrigated, two partially sewage irrigated and two ground water irrigated. From each site two samples were collected, one at a depth of 5 cm and other at a depth of 20 cm. The

* Department of Chemistry, D.S. College, Aligarh (U.P.)

primary soil samples were collected according to standard procedures by means of a plastic rod. Prior to extraction of soil the places were first cleared, carefully demarcated and marked with the help of knife. The surface was pricked with a knife to show structures, colours and compactness of the soil particles. The samples were collected by making the pit at the marked area. First the soil sample of size 20 g at Site I was collected at a depth 5 cm and then second sample was collected at a depth of 20 cm. Soils from different depths were collected separately, put in separate airtight polythene bags and kept for further laboratory analysis. Samples were marked as S_1 and S_2 . Samples were collected similarly from the other four sites (Site I, II, III, IV) and their samples in the polythene bags were named as $S_3, S_4, S_5, S_6, S_7, S_8, S_9, S_{10}$. Total number of samples were 10.

RESULTS AND DISCUSSION

(A) Physicochemical properties of soil samples from the study area:

Table (1) depicts the summary of the physico-chemical properties of ten soil samples ($S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6, S_7, S_8, S_9, S_{10}$) from the study sites. The soil properties analysed were pH, organic carbon, organic matter, electrical conductivity, exchangeable cations (K^+, Na^+), nitrogen content and phosphorus content. These characteristics were determined using the methods described by different scientists. The

amount of soil organic matter was determined by multiplying the percentage of carbon by a factor of 1.724 (Walkley & Black). The exchangeable cations were determined by the methods described by Jackson.

pH of the study sites ranged from 7.84 at S_8 to 9.15 at S_3 sample with a mean value of 8.7. The results showed that there was no obvious variation in soil pH values. The range of pH is less. Soil pH is nearly same for river irrigated and groundwater irrigated soils (Table 1). The slightly low pH at site S_3 may be due to dumping of some acidic waste as this site is near to the dumping area.

The soil organic matter (OC) of the soils ranged from 1.80% at S_9 to 2.95% at S_1 with a mean value of 2.40%. The table 1 showed that soil organic matter was much higher in river irrigated soils than groundwater irrigated soils.

Total nitrogen content varied from 0.050% at S_3 to 0.080% at S_8 . The data in Table 2 showed that in river irrigated soils the total nitrogen content was higher ($S_1, S_2, S_7, S_8, S_{10}$) than ground water irrigated soils (S_3, S_4, S_9, S_{10}).

Total phosphorus content column in Table 2 showed that there was no distinct difference in the total P contents in river irrigated and ground water irrigated soils. It varied from 0.025% in S_9 to 0.048% in S_2 which indicates that phosphorus content is

slightly higher in river irrigated soil than ground water irrigated soils.

The results of electrical conductivity (Table 1) varied from 0.60 (S_9) to 1.20 at S_1 which depicted that electrical conductivity of river irrigated soil is higher than ground water irrigated soil.

TABLE-1 : PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF SOIL SAMPLES COLLECTED FROM TALANAGRI AREA

S. N.	Sample No.	Electrical conductivity (dS m ⁻¹)	pH	Organic matter (%)
1.	S_1 (RI)	1.20 (1.,26 – 1.40)	8.95	2.95
2.	S_2 (RI)	1.19 (1.15 – 1.25)	9.1	2.92
3.	S_3 (G)	0.90 (0.85 – 1.10)	8.70	2.83
4.	S_4 (G)	0.91 (1.10 – 1.20)	9.15	2.85
5.	S_5 (G)	0.95 (1.05 – 1.15)	8.62	2.50
6.	S_6 (G)	0.95 (1.05 – 1.15)	8.75	2.51
7.	S_7 (RI)	0.74 (0.70 – 0.75)	7.84	2.62
8.	S_8 (RI)	0.75 (0.70 – 0.75)	8.02	2.65
9.	S_9 (G)	0.60 (0.60 – 0.65)	7.95	1.80
10.	S_{10} (G)	0.63 (0.60 – 0.65)	8.0	1.81

Table-2 : PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF SOIL SAMPLES COLLECTED FROM TALANAGRI AREA

S. N.	Sample No.	CEC [Cmol(p ⁺)] Kg	Total nitrogen (%)	Total phosphorus (%)
1.	S_1 (RI)	11.2	0.060	0.045
2.	S_2 (RI)	11.0	0.062	0.048
3.	S_3 (G)	10.9	0.050	0.032
4.	S_4 (G)	10.8	0.052	0.035
5.	S_5 (G)	10.7	0.068	0.040
6.	S_6 (G)	10.5	0.067	0.041
7.	S_7 (RI)	11.0	0.070	0.039
8.	S_8 (RI)	11.1	0.080	0.038
9.	S_9 (G)	10.8	0.054	0.025
10.	S_{10} (G)	9.6	0.066	0.030

RI- River irrigated GI- Groundwater irrigated

CONCLUSION

Table 1 showed that pH was generally higher in the soils which were not affected by effluents than in the area affected by effluents. In most soils pH tend to increase with depth because the upper layer of soil receive maximum leaching by rainfall which increases carbonic acids, nitric acid which removes metal cations and replace them with H⁺. Lower soils are not leached. Organic fertilizers also make the soil acidic. Organic carbon was comparatively lower at the areas which are not affected by effluents than the areas affected by effluents. There was no significant difference between the values obtained at the top soil than the lower soil. Table 2 showed that nitrogen content of the deep soil is higher than that of top soil. The availability of phosphorus depends upon the soil pH. Phosphorus availability is more at

pH between 6.0 to 8.0 while it is less available at lower pH i.e. less than 6.0. The available phosphorus increases with the depth. The total number of cations, a soil can hold or its negative charge is CEC, there was no significant difference in CEC of top soil and lower soil

REFERENCES

1. L Jaishree; Somwanshi; SK Akuskarint; Int.J.chem.Sci.2008, 6(1), 255-261.
2. K Kanimozhi; APanneerselvam; Archives of Applied Science Research. 2011, 3 (2), 525-536.
3. AK Gupta; MLVarshney; Practical Manual for Agricultural Chemistry. Kalyani Publisher, 1994, 3-26.
4. NN Garba; A.Isma'Il; UK Asma; ZN Garba; B.I Tijjini; European Journal of Applied Engineering and Scientific Research., 2013, 2 (2), 23-27.
5. KP Kordlaghari; SN Sisakht; A. Saleh; J of Biological Research., 2013, 4 (3), 105-108.
6. KK Borah; B.Bhuyan; HP Sharma; Archives of Applied Science Research., 2009, 1 (2), 159-164.
7. I.Ifenna; LC.Osuji; Archives of Applied Science Research.,2013, 5 (3), 184-192.
8. AF Aiyesanmi; AE Okoronkwo; OM Sunday; Archives of Applied Science Research., 2012, 4 (1), 360-371.
9. M C Onojake; LC Osuji; Archives of Applied Science Research. 2012, 4 (1), 8-58. [10]CC Trasar; MC Leiros; S Seoane; F. Gilsotres; Soil Biol. Biochem., 2008, 1, 301-307

